महानगर नई दिल्ली गुरुवार 25 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

पुणे पुलिस ने हाई कोर्ट में कहा

हिज्बुल के संपर्क में थे गौतम नवलखा

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा)।

पुणे पुलिस ने बंबई हाई कोर्ट में दावा किया है कि कार्यकर्ता गौतम नवलखा और उससे संबंधित नक्सली समूह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के संपर्क में थे।

बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे के खंडपीठ ने इस बीच नवलखा को दी गई गिरफ्तारी की छूट को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। नवलखा और कुछ अन्य कायकर्ताओं को कथित रूप से नक्सलियों के साथ संबंध रखने के मामले में मुकदमें का सामना करना पड़ रहा है।

नवलखा ने अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पुणे पुलिस की अधिवक्ता अरुणा पाई ने कहा कि मामले के सह अभियुक्त रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग के लैपटॉपों से बरामद कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि नवलखा और उससे जुड़े विभिन्न नक्सल समूहों की हिज्बुल नेताओं के साथ 'द्विपक्षीय बातचीत' हुई है ।

अधिवक्ता ने दावा किया, 'वह (नवलखा) हिज्बुल समेत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ 2011 से ही संपर्क में है।' पाई ने आरोप लगाया कि 2011 से 2014 के बीच नवलखा कश्मीरी अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह जिलानी व शकील बख्शी के साथ संपर्क में था। नवलखा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत और अन्य अपराधों में मामला दर्ज किया गया है।

आतंक पर इमरान का कबूलनामा

पाक में अभी भी 30 से 40 हजार आतंकी

जम्मू-कश्मीर और अफगानिस्तान में सक्रिय रहे हैं ये दहशतगर्द

वाशिंगटन, 24 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में लगभग 30 से 40 हजार 'सशस्त्र लोग' हैं जिन्हें अफगानिस्तान या कश्मीर के किसी हिस्से में प्रशिक्षण मिला है और जिन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने देश में सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में अमेरिका को सच नहीं बताया।

भारत और अफगानिस्तान आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने यहां पनाहगाह उपलबध कराता है जिनमें अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूह शामिल हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, 'पाकिस्तान में 40 अलग-अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे। पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजरा है जहां हमारे जैसे लोग चिंतित थे कि क्या हम (पाकिस्तान) इससे सुरक्षित निकल पाएंगे।

इमरान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने देश में सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में अमेरिका को सच नहीं बताया।

तीन दिन की अमेरिका यात्रा पर पहुंचे खान ने अमेरिकी सांसदों के समक्ष यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने अमेरिका को सच नहीं बताया, खासकर कि 15 वर्षों में देश में 40 आतंकी समूह सक्रिय रहे।

उन्होंने कहा, 'हमारे सत्ता में आने तक सरकारों के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, क्योंकि जब आप आतंकी समूहों के बारे में बात करते हैं तो, हमारे यहां अब भी 30 से 40 हजार सशस्त्र लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान या कश्मीर के किसी हिस्से में प्रशिक्षण मिला है और जिन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है।'

खान ने कहा, '2014 में पाकिस्तान तालिबान ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। सभी दलों ने राष्ट्रीय कार्ययोजना पर दस्तखत किए और हम सबने फैसला किया कि हम पाकिस्तान में किसी भी आतंकी समूह को गतिविधियां चलाने नहीं देंगे।'

उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के हित में है कि 'हम अपने देश में किसी भी सशस्त्र समूह को गतिविधियां नहीं बाकी पेज 8 पर

सरकार ने फिर कहा, कश्मीर पर ट्रंप से बात नहीं हुई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर एकजुट विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन लोकसभा में हंगामा और सदन से वाकआउट किया। हालांकि सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के विषय पर ट्रंप से कोई बात नहीं की।

निचले सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ओसाका में बातचीत हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने का आग्रह किया था। अब पूरा देश जानना चाहता है कि सचाई क्या है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन
पेज 8 पर

उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं, वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस विषय पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। इसलिए शंका पैदा होती है। 'प्रधानमंत्री सदन में आएं और स्थिति स्पष्ट करें।' द्रमुक के टीआर बालू ने भी प्रधानमंत्री से सदन में आकर इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में कांग्रेस के नेता चौधरी से कहा कि आपको बात रखने का पूरा मौका दिया गया और आप सत्ता पक्ष का जवाब भी सुनें। लेकिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलने के लिए खड़े हुए तब यूपीए नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, द्रमुक सहित कुछ विपक्षी दलों ने सदन से वाकआउट किया।

भाजपा के दो विधायकों का कांग्रेस के पक्ष में मतदान, इसे 'घर वापसी' बताया

भोपाल, 24 जुलाई (भाषा)

भाजपा को उस वक्त झटका लगा जब बुधवार को मध्य प्रदेश में भाजपा के दो विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने कमलनाथ सरकार के पक्ष में मतदान किया। दोनों विधायक पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे हैं और पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के इन दोनों विधायकों ने कहा कि यह उनकी 'घर वापसी' है। विधानसभा में दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2019 पर मतदान हुआा।

कांग्रेस ने शाम को दावा किया कि भाजपा के कुछ और विधायक मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं। प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा में मतविभाजन के घटनाक्रम के बाद शाम को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया, 'भाजपा के कुछ और विधायक भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और बाउंड्री पर बैठे हैं।'

भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी (मैहर सीट, सतना) और शरद कोल (ब्यौहारी सीट, शहडोल) ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कमलनाथ सरकार का समर्थन किया है।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि जब विधेयक पर हमारी (भाजपा की) सहमति थी तो कांग्रेस को इस पर मत विभाजन करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मतदान सिर्फ एक विधेयक पर मतदान नहीं, बल्कि यह मेरी सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करने का मतदान था। कमलनाथ ने कहा, '6 माह से भाजपा रोज कहती रही कि हमारी सरकार अल्पमत की सरकार है। आज जाने वाली है, कल जाने वाली है। ऐसा वो रोज़ कहती थी।' उन्होंने कहा कि आज भी सुबह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि हमें इशारा मिल जाए तो हम आज सरकार गिरा दें। मैंने उन्हें उसी समय विश्वास प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

विपक्ष कभी भी सरकार का बहुमत परीक्षण करा ले।
-कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कमलनाथ सरकार का समर्थन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विधायक बिकाऊ नहीं हैं और मध्य प्रदेश सरकार पूरे पांच साल चलेगी। कमलनाथ ने कहा कि शुरू से भाजपा नेता कह रहे हैं कि मेरी सरकार गिर रही है।

निजता के उल्लंघन पर फेसबुक पर पांच अरब डॉलर का जुर्माना

वाशिंगटन, 24 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिकी नियामकों ने सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक पर सूचनाओं की निजता संबंधी कानून के उल्लंघन के एक मामले में रिकॉर्ड पांच अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है।

इसी के साथ कंपनी के कारोबार परिचालन पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और उसे अपने लिए एक संशोधित कारपोरेट ढांचे की रूपरेखा सौंपने को कहा गया है। संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) का कहना है कि यह किसी भी कंपनी पर ग्राहकों की सूचना की निजता उल्लंघन के मामले में लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। वहीं यह अमेरिकी सरकार द्वारा किसी भी तरह के नियम उल्लंघन के लिए लगाए गए सबसे अधिक जुर्मानों के मामलों में से एक है।

एफटीसी के साथ हुए विवाद निपटान समझौते के अनुसार फेसबुक के कारोबारी परिचालन पर कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा कानून अनुपालन के लिए बहुस्तरीय माध्यम बनाए गए हैं।

बांग्लादेश में भीड़ ने आठ लोगों को पीटकर मार डाला

ढाका, 24 जुलाई (एएफपी)।

बांग्लादेश में पुल निर्माण के लिए बच्चे का अपहरण कर बलि देने की सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद भीड़ ने आठ व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस प्रमुख जावेद पटवारी ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं भी हैं। उन्हें मुख्यतः फेसबुक पर फैलाई गई इस अफवाह के बाद गुस्साई भीड़ ने निशाना बनाया कि तीन अरब डालर की विशाल परियोजना के लिए मनुष्यों के सिरों की जरूरत है।

18 राज्यों ने प्लास्टिक थैलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया है कि 18 राज्य प्लास्टिक थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं।

बोर्ड ने एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल के पीठ को बताया कि 18 राज्य प्लास्टिक के थैलों/उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके अलावा पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल ने धार्मिक/ऐतिहासिक स्थानों पर प्लास्टिक के थैलों/उत्पादों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है।

एनजीटी ने बोर्ड को 30 सितंबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आगे कार्रवाई करने के लिए कहने का निर्देश दिया।

बोर्ड ने यह भी कहा कि असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी और तेलंगाना ने प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

केंद्रीय सूचना आयोग करेगा पूर्ण पीठ का गठन

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

सरकार के पास मौजूद अधिकारियों की निजी जानकारियां क्या 20 साल बाद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक की जा सकती हैं? केंद्रीय सूचना आयोग ने इस महत्त्वपूर्ण सवाल पर निर्णय के लिए पूर्ण पीठ के गठन का फैसला किया है।

आरटीआइ द्वारा 20 साल बाद व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने के मसले पर

वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के एक दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के संघ लोक सेवा आयोग में जमा फार्मों व अन्य रिकॉर्ड की प्रतियां मांगी थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत निजता प्रावधान का हवाला दिया जो किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को सार्वजनिक करने से छूट देता है।

गृह मंत्रालय की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन खारिज किए जाने के बाद एहतेशाम ने सूचना आयोग से संपर्क किया। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने इस महत्त्वपूर्ण मामले बाकी पेज 8 पर

'सांप्रदायिकता से न जोड़ें आपराधिक घटनाओं को'

नई दिल्ली/कोलकाता, 24 जुलाई (भाषा)।

प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री को लिखे गए एक खुले पत्र के बाद, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि देश में दलित और अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में हार से अब तक नहीं उबर पाए हैं वो आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों की 49 शख्सियतों के दस्तखत वाले एक पत्र में कहा गया है कि मुसलिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों की पीट-पीटकर हत्या के मामलों को तत्काल रोकना चाहिए।

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाए लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'किसी को बाकी पेज 8 पर

दरअसल

खुशखबरी

वाणिज्यिक सर्किल दर में करीब 21 फीसद की कमी प्रस्तावित

ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में छह फीसद अधिभार भी खत्म

नोएडा के आवासीय और वाणिज्यक क्षेत्र में लौटेगी रौनक!

आशीष दुबे
नोएडा, 24 जुलाई।

शहर में वाणिज्यिक एकल भूखंड की सर्किल दरों में 21.5 फीसद की कमी की गई है। वहीं मंजिलवार वाणिज्यिक संपत्तियों में 21 फीसद की कमी की गई। इसी तर्ज पर फ्री होल्ड वाणिज्यिक भूखंड (एकल संपत्ति) और तल-वार (मंजिलों वाली) संपत्तियों में तकरीबन 21 फीसद दर में कमी की गई है। अन्य सभी परिसंपत्तियों की वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सर्किल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साथ ही नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा और जेवर इलाके में आवासीय भूखंड व मकानों की सर्किल दर मौजूदा जितनी ही रखी गई हैं। नई सर्किल दर एक अगस्त से प्रभावी होगी। इस संबंध में जनपदवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। दूसरी ओर, प्रॉपर्टी के जानकारों ने सर्किल दर में कमी को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। वेव इंफ्रा के सीईओ राजीव गुप्ता के मुताबिक वाणिज्यिक परियोजनाओं की सर्किल दरों में 21 फीसद तक कमी करने से नोएडा व ग्रेटर नोएडा में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही शॉपिंग मॉल पर अतिरिक्त 25 फीसद अधिभार माफ करने का फैसला निवेशकों के लिए राहत भरा साबित होगा।

बुधवार को डीएम बीएन सिंह ने सेक्टर- 27 स्थित जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि जिन शॉपिंग मॉल में सेंट्रल एअर कंडीशनर व एक्सीलेटर लगे हैं, वहां लगने वाले 25 फीसद अधिभार को समाप्त कर दिया गया है। इसी तर्ज पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व दादरी इलाके में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में लगने वाले छह फीसद अधिभार को भी समाप्त कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर जनपदवासियों के सुझाव मिलने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर आपत्तियां मांगी गई थीं। उन पर विचार करने के बाद निबंधन, एआरपी स्टांप आदि से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए थे। उसके बाद प्रस्तावित सर्किल दरों को लेकर सूची तैयार की गई है।

सर्किल दर घटाने और यथावत रखे जाने के बावजूद इस साल गौतम बुद्ध नगर निबंधन विभाग को 2580 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य मिला है। पिछले साल यह लक्ष्य 2535 करोड़ रुपए था। माना जा रहा था कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा में वाणिज्यिक और संस्थागत जमीनों की सर्किल दर अधिक होने की वजह से निबंधन विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी। इस मामले पर क्रेडाई (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के पूर्व अध्यक्ष दीपक कपूर ने कहा कि पंजीकरण के समय घर खरीदारों को राहत देने के लिए सर्किल दर कम करना प्रस्तावित किया है। सामुदायिक केंद्र/क्लब, स्विमिंग पूल और जिम पर लगने वाले छह फीसद अधिभार को खत्म करना नए घर खरीदारों के लिए फायदा साबित होगा। इससे संपत्ति की बिक्री और खरीद बढ़ेगी।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Viji Victor W/O Antony George R/O-4/B, Upasana-Bhawan, Holy Family-Hospital, Okhla-Road, New Delhi-110025. inform That In My Husband's Service-Record My Name Is Wrongly Written As Viji Antony Whereas My Correct-Name Is Viji Victor.Concerned Please-Note. 0040504608-4

I,Noora Karim W/o,late Maj Gen Afsir karim R/OK-103 Vivek-Vihar Sector-82 Noida GautambudhNagar UP have changed my name to Nurussabah Karim for all purposes 0040504568-1

I, Ved Prakash S/o Sh.Aala Singh R/o-H.No-C-195, Ashok Vihar, Delhi-52,have Changed my Name Ved Prakash Sharma to Ved Prakash far All purposes 0040504479-2

I, Vipin Malhotra S/o Ravinder Kumar R/o C-182, Gandhi Vihar, Delhi-09, informs that my name has been wrongly written as Vipin in my Driving Licence. The actual name of mine is VIPIN MALHOTRA for all purposes. 0040504580-1

I, Vandana / Vandna w/o Sunil Kumar Bokolia r/o C-5, CTI Govt. Quarters, Raja Garden, Delhi-110027, have changed my name to VANDANA BOKOLIA. 0040504490-1

I, Upendra Kumar Mishra R/o-F-62 First-Floor Humayupur Safdarjung-Enclave Delhi-110029 Have Changed My Son's Name From Mannit Mishra To Aryash Mishra. 0040504550-9

I, Uma Shanker S/o Heera Lal R/o H. No.205/10A, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012, have changed my name to Uma Shankar for all purposes. 0040504508-1

I, Udai Singh Solanki S/O-Lila Ram Solanki R/o-205-206 Block-R Camp No-5 Jawala Puri Delhi-110087,Changed My Name To Uday Singh Solanki. 0040504570-10

I, Tersem Tayal S/O Hardutt Rai Hno.2011 B, IInd-Floor, Nai-Basti, Anaj Mandi-Extn, Delhi-110040. Changed my Name To Tarsem Chand. 0040504570-9

I, Tanshu Chadha D/o Tarun Kumar Chadha R/o- 19, Jangpura Road, Bhogal, Delhi-110014, have changed my name to Saina Chaddha. Permanently. 0040504550-1

I, Sushil Chauhan S/o Late Nepal Singh Chauhan, R/o 8144, ATS One Hamlet, Sector-104, Noida, Gautam Budh Nagar, U.P.-201301, Actual name is Sushil Kumar Chauhan , Have changed my name to Sushil Kumar Chauhan for all future purposes. 0040504536-1

I, Suresh Kumar Verma S/o Ram Singh Verma R/o-C-190, Shalimar Garden, Ext-II, Sahibabad, UP have changed my name to Suresh Verma. 0040504494-2

I, Surbhi Bhardwaj W/O Mohit Sharma, Residing At-161-A, Sarai-Jullena, New Delhi-110025.Have Changed My Name To Chhavi Sharma.For All Future Purposes. 0040504608-5

I, Supriya D/o Narender Singh R/o RW-16, Malibu-Town, Sohna Road, Gurugram-122018. Have Changed My Name To Supriya Shekhawat. 0040504559-4

I, Sunita Devi W/o Sanjay jindal H.No.B-530, Street No.4, majlis-park, Delhi-110033.have changed my name to Sunita jindal for all purposes. 0040504570-4

I, Subhash Chand Rohela R/o RZE-16, Mahavir Enclave, Palam Dabri Road, New Delhi 110045, have changed my name to Subhash Chand Rohilla for future. 0040504342-1

I, Subash Chandra Biswal S/o Surendra Prasad Biswal R/o 53-B, 1st Floor, Street No.2, Karkardooma, Delhi-110092 have changed my name to Subas Chandra Biswal for all purposes. 0040504505-1

I, Sonia Mattraa W/O Shankar Lal H.No-109, Third Floor, Pocket-1, Jasola, Delhi-110025. Have Changed My Name To Sonia. 0040504550-8

I, Shobha Sharma W/o,Vijay Kumar Sharma R/o-RZ-G-211, Gali-12, Sitapuri-2, N.Delhi-45 changed my minor daughter's name Bhoomi Sharma to Aarika Sharma. 0040504570-6

I, Shishir Khemka S/o. Sh. Late. Prem Prakash Khemka R/o. 1/6438, second Floor, Gali No.5 East Rohtash Nagar Shahdara, Delhi-32. I have change my name from Shishir Kumar Khemka to Shishir Khemka for all future purposes. Shishir Kumar Khemka & Shishir Khemka is the same person. 0040504488-1

I Satish Kumar Singh S/o Raj Kumar Sharma R/o-RZ-20-21/274 Gali No-5C Geetanjali-Park West Sagarpur Delhi-110046.have changed my name to Satish Singh. 0040504608-2

I Revadhar S/O Manorath Joshi R/O WZ-91, Mohan Nagar, New Delhi-110046 Have Changed my Name to Jagdish Chand. 0040504538-10

व्यक्तिगत

I, Shyam Narayan S/o Sukhari Singh R/o KH No.793, Swami Sharda Nand Park, Near Animal Hospital, Rajeev Nagar, Bhalswa Dairy, Badli, Delhi-110042, have changed my name to Shyam Narayan Singh for all purposes. 0040504529-1

I, Shanker Lal/Shankar Lal Mattraa S/O Sugan Chand H.No-109, Third-Floor, Pocket-1, Jasola, Delhi-110025. Have Changed My Name To Shankar Lal. 0040504550-7

I, Seeta Rani W/O Pradeep Kumar Bajaj R/O C-C-60F, L.I.G. Flats, Hari Nagar, New Delhi-64, Change My Name To Deepa. 0040504550-5

I, Sarabjit Singh S/o Jasbir Singh R/o E-145, Karampura, New Delhi-110015, have changed my name to Sarabjeet Singh. 0040504550-4

I, Sanjay Sahni S/O Rakesh Kumar Sahni R/O B-4/23, Sector-8, Rohini, Delhi-85, Change My Name To Sanjeev Kumar Sahni. 0040504581-3

I, Sanjay Kumar S/o Late Bhagmal Singh R/o.K-I-77, Kavi Nagar, Ghaziabad, U.P, have changed my name to Sanjay Chaudhary permanently. 0040504494-3

I, Sangeeta Jhaveri W/o Rajesh Gupta R/o N-99 Greater Kailash Part-1, Delhi-110048, have changed my name to Sangeeta Gupta Permanently. 0040504538-1

I, Sandeep Kumar Tokas S/O Satpal Singh H.No-214, Munirka-Village, New Delhi-110067. Changed My Name To Sandeep Tokas. 0040504613-2

I, Sandeep Jain S/o Hemchand Jain R/o-J-3/3 West Jyoti Nagar, Shahdara Delhi-110094,have changed my name to Sandeep Kumar Jain for all purposes 0040504538-4

I, Sandeep Chhikara,Son Of,Devender Singh, R/O Flat No.482, Pocket-3 Akshardham -Appartment, Dwarka Sec-19, New Delhi-110075,Have Changed The Name Of My Minor Son Hridaan Chhikara To Hridhan Chhikara Aged 8Years. 0040504608-9

I, Sandeep Chhikara S/O Devender Singh,R/O Flat No.482, Pocket-3 Akshardham-Appartment, Dwarka Sec-19, New-Delhi-110075,Have Changed The Name Of My Minor Son Arhaan Chhikara To Arhan Chhikara Aged 7-Years. 0040504608-8

I, Saket Kumar S/O Vinod Kumar Mishra R/O-D-90 Dayalbag-Surajkund Faridabad Hr-121009 Have Changed My Name To Saket Kumar Mishra. 0040504550-6

I, SONU B K S/o Ram Bahadur R/o-385, Sector-V, R.K.Puram, New Delhi, have changed my name to SONU BISHWAKARMA. 0040504570-5

I, SEETA RANI W/O PRADEEP KUMAR BAJAJ R/O-C-C-60F, L.I.G. FLATS, HARI NAGAR, NEW DELHI-64, change my name to DEEPA. 0040504581-5

I, Robin S/O Ram Narain Narula R/O-E-1002, Exotica-Fresco, Sector-137, Noida, Gautambudh Nagar, U.P-201305. Changed My Name To Robin Narula. 0040504613-3

I, Ritu E David W/o Pankaj Kumar Michael R/o Flat No. 8, Kadambari Apartments, Rohini Sector-9, ND-85, have changed my name to Ritu Pankaj Michael. 0040504585-1

I, Renu W/o Tarun Chaudhary R/O 329, Plot No.Old-Wz-93-B, Kh. No.611, Sudarshan-Park, KaramPura, Delhi-15, Change My Name To Saumya Chaudhary. 0040504608-3

I, Raquel D/o Yoginder Rana R/o-GH-4/312, Meera Apartments, Paschim Vihar, N.Delhi-110063 have changed my name to Radhika Rana permanently. 0040504570-2

I, Ram Shankar Kewat S/o Bujhawan, R/o-11, Bharat Kund, Rajapur Mafi, Faizabad, Sohawal (UP) have changed my name to Shankar Prasad. 0040504494-4

I, Ranjit Singh,S/o Ajaib Singh, R/o-V.P.O. Shankerpura Tehsil Batala Distt.-Gurdaspur, Punjab,have changed my Son name Akashdip Singh to Akashdeep Singh. 0040504598-1

I, Rameshprasad Saw S/O Preet Saw Hno-804 Gf Chirag Delhi Malviya Nagar Delhi-17, Changed My Name To Ramesh Prasad. 0040504581-2

I, Ram Charan Prajapati S/O Roop Chand R/O Gali No.-7-A, Samta Vihar, Mukundpur Extn. Delhi-42 Changed My Name To Ram Charan Ram. 0040504581-4

I, Shivani Thakur D/o Sheeshpal Thakur H.No-172 Ward.No-4 Khatri Wada Old-Faridabad-121002 Have Change My Name To Shivani. 0040504608-6

I, Tanya Gupta D/o Sh. Ravinder Kumar Singhal R/o H. No. 86, Sec-16A, Faridabad, Haryana, hereby declare that Tanya and Tanya Gupta are the same person and I will be known as Tanya Gupta for all future purposes 0010104884-1

I, Lejeesh Kumar L S/o Leva Kumar R R/o B-38,Ground Floor,Shyam Nagar,Khyala Road,Vishnu Garden,Tilak Nagar P.O.,West Delhi,Delhi-110018, have changed my name to Asnee Bolin. 0050151941-1

I, Rajeshwari Devi, W/o Sh.Shyam Sundar, R/o-407, Sanand-Tower, ONGC-Colony, Makarpura-Road, Vadodara, Gujarat-390009, presently residing at-Pocket-1, Sector-C, House No.1246, VasantKunj, New Delhi-110070, that inadvertently in the school record of my son my name has been wrongly written as Rajeshwari instead of Rajeshwari Devi which may be amended accordingly. 0040504559-6

I, Puspa Lata D/o Ram Kishor R/O-A-18 Gali No.22 Dayalpur Delhi-110094. have changed my name to Pushplata for all purposes. 0040504538-5

I, Pushpa janghu W/O Brahm Prakash janghu H.no-319, Bichli Gali, Near Talab, Daultabad, Gurgaon. changed my name to Pushpa Rani. 0040504559-10

I, Puja Jain W/O Sandeep Kumar Jain R/o-J-3/3 West Jyoti Nagar, Shahdara Delhi-110094,have changed my name to Pooja Jain for all purposes 0040504538-3

I, Priya Paliwal d/o Rakesh Kumar Paliwal r/o 1028, Gali Jain Mandir, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to PRIYA. 0040504491-1

I, Prashant Saini S/o Narender Singh Saini R/o-H.No.693, Saini-Vihar, Village-Mundka, New Delhi-110041,that my father's name is wrongly written in my OBC Certificate as Narender Singh Dahiy instead of correct name Prashant Saini. 0040504613-4

I, Pramod Kumar S/o Narayan Aggarwal R/o 2027-B,156, TriNagar, Ganeshpura, Delhi-110035. Have Changed My Name To Pramod Aggarwal. 0040504581-1

I, Pradeep s/o Ghanshyam r/o Flat No. D-2, 3rd Floor, Siddhartha Apartments, Khasra No. 322, Near MCD School, Neb Sarai, IGNOU, New Delhi-110068, have changed my name to RAHUL SARSWAT. 0040504545-1

I, Pinky Mehra@ Pinky W/o Tara Singh, R/o-D-3, Ground-Floor,Tibbia-College, KarolBagh, New Delhi-110005,have changed my name to Pinki for all purposes. 0040504598-3

I, Parul W/O Pawan Kumar Gupta R/O-C-48-B, Street No-8, Bhagat Singh Marg, Shalimar-Bagh Village, Delhi-110088, Changed my name to Parwati. 0040504559-1

I, Padam Jain S/o Duli Chand Jain R/o E-15/18, Sector-8, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Padam Sain Jain. 0040504550-3

I, Omwati, W/o Late Sh.Brahm Singh R/o-H.No.A-3/4, Gali No.4, Subhash-Mohalla, North-Ghonda, Delhi-110053, that inadvertently in my some documents i.e. G.P.A., Electricity-Bill, Water-Bill, and House-Tax, my name has been wrongly-written as Jagwati instead of Omwati Which may be amended accordingly. 0040504559-5

I, Om Prakash S/o Ramuggar Shukla R/o Khno.13/10&13/1, Galino.14,West Santnagar, Bhagat Colony, Burari, Delhi-110084,Changed My Name to Om Prakash Shukla. 0040504570-8

I, Anjni Kumar S/o Deep Narayan R/o 1326 Sector-3 Ballabgarh Faridabad have changed my name to Anjani Kumar Chaubay 0040504479-1

I, No.16017601k L/Nk Naresh Singh S/O Jaipal Singh R/O Vill-Kanakpur, Po-Wair, Distt-Bulandshr, Uttarpradesh-203202, Have Changed My Minor Son's Name From Dipanshu To Dipanshu Chauhan. For All Future Purposes. 0040504559-8

I, No-2898486l Hav Veer Singh S/O Kundan Singh R/O.Vill-Baniyawala, Po-Badowala, Distt-Dehradun, (UK)-248007, Have Changed My Minor Son's Name. From Parsant Pawar To Prasant Panwar,For All Future Purposes. 0040504559-7

I, Nivedita Tej Sood and Nivedita Harish Kumar W/o Sood Tej R/o. C-1602, Prateek Stylome, Sector-45, Noida, G.B. Nagar, U.P. have changed my name to Nivedita Kumar Sood for all Purposes. 0040504494-1

I, Nida Ayyoob W/O Mohd Suhaib R/O-8852, Naya-Mohalla, Near Azad-Market Chowk, Pul-Bangash, Delhi-110006,Have Changed My Name,From Nida Ayyoob To Nida Ayoub(New-Name) For All Purpose. 0040504608-7

I, Neha, W/o Gaurav Taneja, R/o-DG-II/72A,G.F., VikasPuri, Delhi-110018,inform that Neha & Neha Taneja both are one & the same person. 0040504598-4

I, Naresh Suhag W/o Jai Singh R/o D-82, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Naresh Devi for all purposes. 0040504542-1

I Murti W/o Sh. Krishan Murari R/o B-137, Raja Vihar, Badli Delhi-110042, have changed my name to Murti Devi. 0040504538-2

I Gurinder Singh S/o Surjit Singh R/o-7/2 Double-Storey Prem-Nagar Janakpuri.Delhi-110058,have changed the name of my minor son Gurjot Singh Gadhoke aged 13years and he shall hereafter be known as Gurjot Singh. 0040504608-1

व्यक्तिगत

I, Mukeshkumar Ramnaresh Gupta S/o Ramnaresh Subailal Gupta. H.No-18, SBI-Bank Colony, Mission-compound, Saharanpur, have changed my name Mukesh Ramnaresh Gupta. 0040504550-10

I, Mukesh Kumar S/o Sh. Ram Niwas Bansal R/o KU-27, 2nd Floor, Pitampura, Delhi-34, have changed my name to Mukesh Bansal for all purposes. 0040504534-1

I, Mohammad Rehman S/o Mukhtar Ahmed R/o 2280, Bazar Chitli Qabar, Chatta Mom Gran, Turkman Gate, Delhi-110006 have changed my name to Mohammad Rahman for all purposes. 0040504517-1

I, Meraj Ahmad S/o Mohd Muneer Khan R/o-A-62/1, Abul-Fazal Enclave-2, Shaheen-Bagh, Jamia-Nagar, Delhi-110025. have changed my name to Meraj Khan. 0040504559-2

I, Manisha W/o Baljeet Singh Rattan R/o:11C /1, Street No-23, SantGarh, MBS-Nagar, NewDelhi-18.Have Changed My Name to Manisha Rattan.,for all Purposes. 0040504538-9

I, Kuldeep Singh Bhadhouriya S/o Surjan Singh R/o House No-459/7, Gali No.7, Shalimar Village, Delhi-110088, have changed my name to Kuldeep Singh for all future purposes. 0040504513-1

I, Kaushliya Kumhar W/o Sh.Kartik Kumar R/o House No.D-1/194, Bharti Nagar, Lodhi Road, Central Delhi, New Delhi-110003, is also known as Sushila Kumari. Both names are of one & the same person. 0040504484-1

I, Juginder Paul S/o Lal Chand R/o-44-A Hari Singh-Park New Multan Nagar, Delhi-110056, have changed my name to Joginder Pal Papneja Permanently 0040504487-1

I, Hoshiyar Singh S/o Bahadur Singh Rana R/o-1841, Lodhi-Road Complex, New Delhi-110003. have changed my name to Hoshiyar Singh Rana. 0040504559-3

I, Hari Om Baba S/o Ganish Nand Giri R/o-H.No.2392 Krishna-Ashram Street-Tilak Chuna-Mandi Paharganj Delhi-110055.changed my name to Maha Madleshwar Swami Hari Om Giri. 0040504538-6

I, Gurvinder Singh S/O S. Avtar Singh R/O- BC-204C, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed name Gurvinder Singh Oberoi for future. 0040504598-2

I, Guru Dutt S/o Nanak Chand R/o W P-37 C, Pitampura, Saraswati Vihar, North-West Delhi-110034, have changed my name to Gurudutt Singh. 0040504595-1

I, Gurelli Jyoti Lakshmi W/O Tsunduru Rajanikantha Rao Add:-4122/B 5&6 Vasantkunj, N. Delhi-110070. Changed My Name To Tsunduru Jyoti Rao. 0040504570-7

I, Faraj Ahmed, S/o Mohammad Izhar Ahmed, R/o-1424, Main Bazar, Chitli Qabar, JamaMasjid, Delhi-110006,have changed my name to Faraz Ahmed. 0040504570-3

I, Dhananjay S/o Vijay Pal R/o House No. 365,Village Tahirpur,Opposite Cng Pump,Delhi-110095, have changed my name to Dhananjay Pal. 0050151942-1

I, Devikka Hooda, Daughter Of, Rajvir Singh Hooda R/O-House No.3258, Pocket-3, Sector-D, Vasant Kunj, New Delhi-110070,Have Changed My Name Devika Hooda.,For All Purposes. 0040504559-9

I, Deepa Rani D/o Sh. Panna Lal Gupta R/o KU-27, 2nd Floor, Pitampura, Delhi-34, have changed my name after marriage to Deepa Bansal W/o Sh. Mukesh Bansal for all purposes. 0040504539-1

I, DEEP SHIKHA w/o Vikas Jha r/o D-75, Gali no.-3, D Block, 60 Feet Road, Dr. Ambedkar Colony, Chattarpur, New Delhi- 110074, have changed my name to DEEPSHIKHA JHA. 0040504493-1

I, Bharti Rani W/o Sher Pal Singh R/o H.No-200, Sector-10C, Vasundhra Ghaziabad U.P-201012,have changed my name to Bharti Singh. 0040504500-1

I, Bhag Singh (B.S. Negi) S/o Shri Ranbir Singh Negi R/o Flat No. 14, Plot No. 4, Harshuk Apts., Sec-7, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name to Bhag Singh Negi for all future purposes. 0040504501-1

I, Baljeet Singh Rattan S/o Gurdass Singh R/o:11C/1, Street.No-23, SantGarh, MBS-Nagar, New Delhi-18.Have Changed My Minor Daughter's Name from Jasmitha to Jasmitha Kaur.,for all Purposes. 0040504538-7

I Prakash Jha S/o Vasudev Jha R/o B-218, Gali No. 10, Baba Mohan Ram Colony, Mukandpur Part-2, Delhi-110042 Have Finally Changed My Name To Griffin Nibha Vasu Boyka For All Purpose. 0070666420-1

I, Ajay Kumar S/o Mathura Prasad R/o 338, Sanfort, Gyan Khand-1, Indirapuram, Shipra Sun City, Ghaziabad, UP, have inform that Ajay Kumar Tiwari are one and the same person's name. 0040504497-1

I, Baljeet Singh Rattan S/o Gurdass Singh R/o:11C/1, Street No-23, SantGarh, MBS-Nagar, New Delhi-18.,Have Changed My Minor Daughter's Name from Ajitesh to Ajitesh Kaur.,for all Purposes. 0040504538-8

I, Babu S/o Abdul Karim R/o 2729-J-3, Choti More Sarai, North Delhi-110006, informs that in Driving Licence (No-DL01 19900035314) mine and my father's name has been wrongly written as Babu Khan S/o Jodha Khan but our correct names are Babu S/o Abdul Karim. 0040504522-1

I, Aviral Mathur S/O Alok Mathur, R/O-B-2-95, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029.Changed My Minor Son Name Aniket Mathur To Aniket Deep Mathur. 0040504613-1

I, Asha Upadhyay W/o Rajesh Upadhyay R/o-GH-13/624, Paschim Vihar, Sunder Vihar, Delhi-110087, have changed my name to Asha Mishra Upadhyay. 0040504550-2

I, ASHOK KUMAR S/o K S Singhal R/o-G-20/178 Pkt-20, Sector-7, Rohini, New Delhi-110085,have changed my name to ASHOK KUMAR GUPTA. 0040504570-1

I, HemantKumar Labh S/o Sh. Shiv Kumar Labh R/o H.No. C-702, Dew Drops Apartments, Plot No.GH-5, Sector-47, Gurugram-122018, (Haryana), have changed my name Hemantkumar Labh to Hemant Kumar Labh for all future purposes. 0040504400-1

खोया+पाया

I, SAMBHAV Monga S/o Amit monga R/o Q-49 3-floor Rajouri Garden New Delhi. have lost my original certificate class-10th year-2018 Rollno-2182495 C.B.S.E. Panchkula. 0040504581-8

Lost Original Documents of Property No.238 First-Floor, Ram Nagar, Krishna Nagar Delhi-110051, founder may inform Anuradha Mehta W/o Late Parveen Mehta #9868447229. 0040504581-9

This is notified that I Saad Ali S/o Rashid Ali R/o Block-I-2, House No.256, Sangam Vihar, New Delhi-110062 have lost my original Marksheet & Certificate of Senior Secondary School, Roll No.8218807, Year 2017. Issued by CBSE. If anybody found, please inform us. 0040504492-1

I, REENU D/o Harnam singh r/o-D/1-330 St.no-7. Harsh-vihar new Delhi-93. Have lost my original certificate class-10th year-2010 Rollno-6320090 CBSE, Delhi. 0040504581-6

I, Neha D/o Mukesh Kumar R/o 25/339 Trilokpuri Delhi-91. have lost my original certificate class-2016 Rollno-9600380 C.B.S.E. Delhi. 0040504581-7

I Tejinder Kaur D/o Harjeet Singh.have lost my 10th,12th-Class CBSE marksheet and Certificate 10th Roll.no. 6330168 Year-1994 and 12th Roll.no.6631834 Year-1996 finder contact-9953676552. 0040504581-10

PUBLIC NOTICE

I, Dr. Vipin Sood S/o Lt.Sh. DK Sood, R/o Sood Hospital, Muradabad Road I, Kashipur, Uttrakhand Owner of Property CGE214 DLF CAPITAL GREENS -1, SHIVAJI MARG, NEW DELHI Informs that I have lost the following Property Receipts :-
CLG/CRB/00225/0512,
CLG/CRB/00275/1012
CLG/CRB/00749/0313
CLG/CRB/00342/1113
Finder Pls Contact :9719775695

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Smt. Sita Rani Taneja W/O Late Ram Dass Taneja has become exclusive owner & is in possession of inherited property bearing H.No.278, Gali No.12, Amrit Puri-B, Garhi, N.Delhi-65 admeasuring 70sq.yds vide Court Decree dated 11.07.2019, Ms.Surya Malik Grover, ADJ-01, Saket, wherein my client have to held with absolute rights to sell the said property. It is further notified that if any person/s having claiming any rights/title/ interests/ lien/charge or any objection with respect to the property/decree, he/she should notify such objection/claim to the undersigned within 15 days from date of publication of notice.
Sd/-
Nitin Gupta (Advocate)
Ch. No. 470
Saket Court Complex New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT my clients (1) Sh. Mahendra Singh Bhandari son of Late Shri Sher Singh Bhandari, and his wife (2) Smt. Vimla Bhandari, Both, R/o RK-100, RK Block, Gali No. 21, Jain Road, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059, hereby severe all their relations, disown and disinherit their son Sh. Manvendra Singh Bhandari and his wife Mrs. Anu Bhandari, Both R/o First Floor, RK-100, RK Block, Gali No. 21, Jain Road, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 from all their properties, both moveable and immoveable due to their disrespectful, torture, rude behaviour and attitude towards my clients. Any person dealing with them shall do so at his own risk and responsibility.
Sd/-
(JAGDISH KUMAR SOLANKI)
ADVOCATE
Seat No. 48, Civil Wing,
Tis Hazari Court Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Sh. Gurcharan Singh S/O Late Sh. Pala Singh and his wife Smt. Balbir Kaur, both R/O. A-105, Shivaji Vihar New Delhi-110027, have disowned their son Mr. Harpreet Singh, from all their movable and immovable properties as he has become disobedient, disloyal and disrespectful to my client and have been acting againts their interest. Anybody dealing with him shall be doing at his own risk and cost and my clients shall not be held responsible for any of his acts.
Sd/-
JEEWAN PARKASH GUPTA
(ADVOCATE)
CH.NO.129, WESTERN WING,
TIS HAZARI COURTS,
DELHI-110054

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री जगदीश चन्द्र उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी निवासी 17बी, ब्लॉक-ए, गली नं. 9, गोपाल विहार, विजय विहार, फेज 2, सैक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85 ने अपने पुत्र भारत भूषण, उनकी पत्नी भावना व उनके पुत्र जयस को अपनी सभी चल-अचल सम्पत्तियों से पूर्णतः बेदखल कर दिया है। उनके किसी भी तरह का कार्य, लेन-देन के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे व मेरी मुवक्किल का इन सब बातों से कोई लेना-देना नहीं होगा।
कमल शर्मा, एडवोकेट
नं.X-18, सिविल विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री हरकिशन पुत्र श्री रतन सिंह, के डी डी ए फ्लैट नं. 151, तृतीय तल, पॉकेट-ए, सैक्टर-जी, मयूर विहार फेस-3, दिल्ली-110096 के कागजात आबंटन पत्र नं. एम/327(236)2004 दिनांक 31.08.2004, कब्जा प्रमाण पत्र, बाहरी कब्जा, बिजली पानी का एन ओ सी कहीं खो गया है। जो भी व्यक्ति उनको किसी प्रकार से प्रयोग करेगा तो वह स्वयं उसका जिम्मेवार होगा और मेरे मुवक्किल किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। अतः यह उपरोक्त सम्पत्ति स्टेट बैंक द्वारा बन्धक बनाई हुई है।
NARENDRA KUMAR-ADVOCATE
Ch. No. F-321, 3rd Floor, District Courts Karkardooma, Delhi

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती शालिनी गर्ग और अनिल गर्ग का उस फर्म TIFOSI फूड्स से कोई संबंध नहीं है, जिसके पार्टनर नीरज श्रीवास्तव और श्री अनूप कुमार गुप्ता जीएसटी पंजीकरण संख्या 07AAFFT9771Q125 हैं।
KAMAL SINGH
(Advocate)
Enrl. No.- D-748/14

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री रघुवर एवं श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी श्री लक्ष्मण दोनों निवासी डी-721, के-ब्लाक, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-33, ने अपने पुत्र बीरु उम्र 23 वर्ष एवं पुत्रवधू गुडिया उम्र 20 वर्ष को उनके दुराचरण, दुर्व्यवहार एवं असामाजिक गतिविधियों में रहने के कारण अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर संबन्ध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उनकी गतिविधियों एवं किसी प्रकार का लेन-देन के प्रति मेरी मुवक्किल एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
संजीव जैन (अधिवक्ता)
Enrl. No. D-226/91

सर्वजानिक सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिलों कमल सिंह व मुन्नी देवी निवासीः- झुग्गी नंः-367, उधोग नगर, टी-हटस, वॉटर टैंक नंः-2, ज्वालापुरी, दिल्ली-87 ने अपने पुत्र सचिन व सुधीर व उनमी पत्नियों को उनके दुर्व्यवहार व मेरी मुवक्किलों एवं उनके परिवार को परेशान करने व कहना ना मानने के कारण उन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। यदि कोई उन दोनों से किसी भी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा। मेरे मुवक्किलों व उनके परिवार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
Neeraj Bansal (Advocate)
Ch.No.: C-68, C.L. Josheph Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerns that my client, Smt. Raj Rani Jindal W/O Late Sh.Dev Raj Jindal R/O G-46, Kirti Nagar, New Delhi-110015, do hereby declare that she has disowned and severed all relations with her son namely Anil Kumar Jindal and his wife Anita Jindal and their family, from all her movable and immovable properties as they have become disobedient, offensive, abusive and violative towards my client. Any person dealing with them in any manner, shall do so at his/her/their own risk and responsibilities and my client shall not be liable for the same.
Sd/-
(SACHIN WADHWA)
ADVOCATE
(M) 9810326222

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Smt. USHA W/O LATE SH. BUDHI RAM R/O H. NO. J-716, GALI NO.1, KARTAR NAGAR, GHONDA DELHI-110053, has severed all relations with her son namely BHARAT BHUSHAN AND HIS WIFE ANURADHA, and debarred them from her all moveable and immoveable properties due to their misconduct and misbehavior. My client shall not be responsible for any act done by them in future.
Sd/-
ABHIJEET SHAH (ADVOCATE)
C.K. DAPTHARY BLOCK, GROUND FLOOR, BHAGWAN DAS ROAD,
SUPREME COURT OF INDIA
NEW DELHI-110001

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Tarni Ram S/o Ram Prakash Ram R/o Ward No. 14, Bagraha Ahilwar, Distt. Samstipur, Bihar, at Present E-72, J.J. Colony, Shakurpur, Delhi-110034, have severed all their relations with his sons Sarwan Ram and Laxman Ram and their family members, also debarred/disowned from their entire movable, immovable properties due to their irresponsible and rude behavior towards my client' and with other family members, however both are living separately since marriage. Anybody deals with the said persons in future will be at his/her own risk. My above named client shall not be responsible for any act and deeds of them.
Sd/-
N. K. JAULI (Advocate)
Ch. No.- P-19/A, Post Office Lane,
Tis Hazari Courts Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clientess Mrs. Santosh Bharadwaj W/o Late Mr. Om Prakash Bharadwaj R/o. 603, Near Prachin Shiv Mandir, Chirag Delhi, New Delhi has severed all her relations with her son Mr. Vikram Bharadwaj S/o late Mr. Om Prakash Bharadwaj R/o 46 D, Shiekh Sarai, Phase 2, Near Shaheed Bhagat Singh College, New Delhi. My clientess further disinherit him from all her moveable and immoveable properties. Hence forth my clientess shall have nothing to do with Mr. Vikram Bharadwaj.
Sd/-
Michael Shepherd (Advocate)
Enrol No. D/1477/03

PUBLIC NOTICE

Be it known to all to whom it may concern that my clients Mr Om Prakash son of Mr Lok Chand and his wife Mrs Vijendri wife of Mr Om Prakash, both resident of E-I/114, Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062 due to disobedient behavior and misconducts of their son V.P. Shiv Chhayankan son of Mr Om Prakash have broken down and severe their all relations and disclaim, disown, and debar him from their all movable and immovable properties and right of succession, as he is working beyond their control and harassing, humiliating, missbehaving them and having no good cordial relation, he usually involved in anti-social activities, in future my clients shall not be responsible for his any mischiefs or misconduct. If anybody dealing with him in any manner shall be doing so at own risks, costs, consequences and responsibilities.
Ranjan Gupta (Advocate)
Ch.No. 311, Saket Court, New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

"It is hereby notified for General Public that my client Sh. Sultan Singh S/o Sopa Singh & Smt. Sushila Devi W/o Sh. Sultan Singh both R/o J-1314, Fema Katra, Kishan Ganj, Delhi-110007, has severed their relations with their son namely Kamal Singh and their daughter-in-law Smt. Jyoti @ Kamlesh W/o Sh. Kamal Singh D/o Sh. Tadaknath on account of their quarrelsome, disobedient, disloyal, unbecoming, immoral and threatening act to falsely implicate in criminal cases and unsocial acts and as such have debarred them from inheriting any movable and immoveable properties of my clients. If anybody deals with them, shall do so at his/her own risk and my clients shall not be responsible for their any of the act".
Sd/-
R.K. SINGH
(ADVOCATE)
Ch. No. 647, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

बिहार व झारखंड में बिजली गिरने से 23 की मौत

पटना/रांची, 24 जुलाई (भाषा)।

बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी कि इन लोगों की मौत मंगलवार की रात से लेकर अब तक बिजली गिरने की घटनाओं में हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार के औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण और भागलपुर जिलों में 13 लोगों की व झारखंड के जामताड़ा, रामगढ़ और पाकुड़ जिलों में 10 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बिहार में तीन लोग घायल भी हुए हैं। बिहार में भारी बारिश हो रही है।

गोह थाना प्रभारी वेंकटेश्वर ओझा ने बताया कि बिहार के औरंगाबाद जिले में मंगलवार की रात मारे गए सात लोगों में से एक महिला सहित चार लोगों की मौत गोह थाना क्षेत्र में हुई। जिले के रफीगंज और कासमा थाना क्षेत्रों में तीन लोगों की मौत हुई। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पूर्वी चंपारण में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटपड़िया गांव में 13 वर्षीय एक लड़की सहित दो लोगों की नींद में उस समय मौत हो गई, जब उनके मकान की छत पर बिजली गिर पड़ी। गोविंदगंज और कोटवा थाना क्षेत्रों में बुधवार सुबह बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।

PUBLIC NOTICE

My clients Ramesh Patel S/o sh. Bishamber and his wife Chhaya Devi R/o House No.3 Gali No.-11 Block-B Kaushik Enclave Burari Delhi have severed or discontinue their relation with her daughter Anjali Patel and her Husband Nitin Singh who living somewhere else & have debarred them from all their movable and immovable properties
Sd/-
ZUBAIR AHMED
(ADVOCATE)
Ch. No. L-22
TIS HAZARI COURT
8800449652

शिक्षा संबंधित

ADMISSION

For Admission in B.Ed. (2019-21) under 10% Management Quota (reservation as per GGSIPU Norms). CET-2019 qualified candidates apply to **Guru Ram Dass College of Education** (Affiliated to GGSIPU), West Jyoti Nagar, Shahdara, Delhi-94. #22819091 (Mon – Fri 10am– 2pm) latest by 07-08-2019

ADMISSION

For Admission in **BBA(G), BBA(B&I), BCA Programs (in I & II Shift)** under 10% management Quota (reservation as per GGSIPU Norms), eligible & CET qualified candidates apply to **Sri Guru Tegh Bahadur Institute of Management & Information Technology** (Affiliated to GGSIPU, Under DSGMC), Adj. to Gurdwara Nanak Piao, State Bank Colony, Delhi-09. Ph: 011-27124670 (Mon-Thurs 10 am -3 pm) latest by 07-08-2019. For more details visit www.sgtbimit.com

SRI GURU TEGH BAHADUR INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY

ADMISSION NOTICE

(For 10% seats of Management Quota)
Applications are invited from eligible & CET 2019 qualified candidates for admission in BBA(G)-12+06, BBA(B&I)-06+06 & BCA-12+06 Programs (in I & II Shift).
Forms are available at the college from Mon to Sat between 10 am & 3 pm.
Last date for submission of forms is on or before August 07, 2019
For more details, visit www.sgtbimit.com
Chairman/Co-Chairman Director
Adj. to Gurdwara Nanak Piao, State Bank Colony, Delhi -09
Ph: 011-27124670, 27465798

TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES

(Affiliated to GGSIP University & Approved by BCI)
SECTOR - 9, DWARKA, NEW DELHI - 110075
Admission Under Management Quota (Session - 2019-20) Open for the following Courses:
BBA (G)
BA (JMC)
B.COM (H)
BCA
B.A. LLB
Reservations as per rules
Applications are invited
www.tips.edu.in

प्रवेश सूचना 2019-20

मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत

मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत 10% सीटों के लिए बी.बी.ए. एवं बी.बी.ए. (कैम) (प्रातः एवं सैकेन्ड शिफ्ट) एवं बी.ए.एल.एल.बी. कोर्सेज में प्रवेश पाने हेतु आवेदन-पत्र, इंस्टीट्यूट के कार्यालय से प्रातः 9:00 बजे से सायं 2:00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों पर) अधिकतम 07 अगस्त 2019 तक प्राप्त किए एवं जमा कराये जा सकते हैं।

सत्र 2019–20 में उपरोक्त कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए योग्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया जी.जी.एस. आई.पी. युनिवर्सिटी की प्रवेश विवरणिका तथा मैनेजमेंट कोटा के संशोधित अनुसूची दिनांक 23.07.2019 के अनुसार रहेगी।

सभी उपरोक्त कोर्सेज की काउंसलिंग इंस्टीट्यूट में होगी।

प्रत्येक कोर्स में आरक्षण नीति के अनुसार,सीट विवरण जानने हेतु, www.idealinstitute.edu.in पर जायें।

आईडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी
(जी.जी.एस. आइ.पी. युनिवर्सिटी, दिल्ली)
16X, कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली-92, फोनः 22372639
निर्देशक

PUBLIC NOTICE

My client's Mukhtiyar, S/O Shokat Ali, and Zebunnisha, W/O Mukhtiyar, both R/O C-4, 5th Floor, Gaffar Manzil, Part-II, Haji Colony, Jamia Nagar, New Delhi-110025, have severed all their relations and disowned/Debarred their son Parvez and his wife Sahana, from all their moveable, immoveable properties, my client's shall not be responsible for their acts and conducts in future.
Sd/-
INDERJEET BAINSLA
(Advocate)
Ch. No. 625,
Saket Courts New Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients Ram Pal Singh S/o Sh. Ganga Ram and my wife Geeta Devi R/o Subhash Park Khora Colony Khora Ghaziabad U.P 201309 have severed or discontinue their relation with my son Udya Partap and his wife Anju who living somewhere else & have debarred them from all their movable and immovable properties.
Sd/-
Zubair ahmed Advocate
Ch. No. L-22
Tis Hazari Court Delhi
8800449652

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Ranjeet Singh S/o Sh. Chiru R/o House No. 448, Shahbad Daulatpur, North-West, Delhi-110042 have debarred and disowned his son Bijender Kumar, his wife Pooja & their son Master Ayushman & their daughter Baby Kavya from his all movable and immovable properties due to their disobedience. My client have also severed all his relation with them. If anybody deals with them he will do so at his own risk, costs and consequences. My client shall not be held responsible for their acts in any manner for the same.
ANIL KUMAR SINGH (Advocate)
Ch. No. 190, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

All general public is hereby informed that my clients Sh. Parmanand S/o. Fateh Chand and Smt. Savitri W/o. Sh. Parmanand both R/o. B-685, Weavers Colony, Ashok Vihar, Phase-4, New Delhi -52 has disowned and debarred his step-son namely Niranjan, his wife Babita and their sons namely Chetan and Rudra all R/o. 2B-137, Kabir Nagar, Near Rana Pratap Bagh, Malka Ganj, Delhi -07 from all the movable and immovable properties owned by my clients due to their misbehavior towards my clients. My clients shall not be liable for any loss, what so ever in nature, caused to any one because of them.
VISHVA NATH KUMAR-ADVOCATE
Ch. No. 718, Lawyer's Chamber Block, Rohini Courts, Delhi -85

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public at large that we Harish Sachdeva S/o Late Shyam Lal aged about 72 years & Veena Sachdev w/o Harish Sachdeva aged about 68 years both R/o 19/1, West Patel Nagar, Delhi and permanent R/o 16/11, Old Rajinder Nagar, Delhi being continuously disturbed an anguished by the persistent misbehaviour and irresponsible conducts of our son Jatin Sachdeva, his wife Mona Sachdeva and their son Aryan Sachdeva, disown expel and debar our son, his wife and their son, from all of our movable and immovable properties and sever all our relationship ties with them. If anybody deal with them in any manner whatsoever, shall do at their own risk and peril and we take no responsibility of them. N. D. Patel, Advocate
Ch.No 598, W Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Be It Known To All That My Client Amrita Chandra W/O Naveen Chandra And Naveen Chandra S/O Hari Kishore R/O T-1 1002 Park View Residency Sector-3 Palam Vihar Gurgaon Haryana Hereby Declare That The Above Property Is Registered In Our Name Vide Registry No. 10773 Dated 30/07/2012 With Sub Registrar Gurgaon Haryana. The Property Deed Is Laminated And We Intend To Create Charges FROM SBI, RACPC,, Gurgaon On The Basis Of This Laminated Deed. If Any Person Having Any Interest Should Intimate Us Within 15 Days.
RITU VERMA (ADVOCATE)
Enrl No:- D/1126/92

अदालती सूचना

In The Court of Principal Judge, Family Court, District Court, Satna
Presiding Officer : [illegible]
(RCS HM/0000108/2019)
[illegible] Vs. ....वादी
[illegible] प्रतिवादी
Process id-623/2019
पेशी दिनांक : 28-08-2019
[illegible]
Principal Judge,
Family Court, District Court, Satna

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पुलिस विभाग में सफाई, दागियों की होगी विदाई

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभागीय पारदर्शिता और काम में ईमानदारी न बरतते हुए विभाग पर बोझ डालने वाले अधिकारियों पर गाज गिरने के संदेश का सिलसिला अब पुलिस महकमे में शुरू होने वाला है। ऐसे पुलिस वालों की सूची बनाई जा रही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बलात्कार, छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के आरोपियों पर सख्ती बरती जाएगी। बिना वजह आदतन ड्यूटी से गायब रहते हों और शराब और नशे की आदत से पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हों उन पर भी कार्रवाई होगी।

पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की अनुशंसा पर विभागीय जांच के बाद ऐसे पुलिस वालों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के सर्तकता विभाग की अतिरिक्त आयुक्त सुमन गोयल ने इस बाबत एक गोपनीय पत्र जारी किया है। यह पत्र सभी विभागों के उपायुक्तों, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज और एफआरआरओ को भी जारी किया गया है। इसकी कॉपी दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी को भी भेजकर महकमे को सुधारने की कवायद शुरू की गई है।

पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल कुमार मित्तल का कहना है कि सतर्कता विभाग का यह नियमित अभ्यास है। यह हरेक साल जारी होता है। इसके तहत जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है। सर्तकता विभाग के निदेशक का कहना है कि निठल्ले, लापरवाह, नशे के आदी के साथ आदतन गैरहाजिर रहने वाले पुलिसवालों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। सर्तकता विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के पत्र में सिपाही से सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की जांच उपायुक्त से करने की बात कही गई है। आदेश के मुताबिक पहले पुलिसकर्मियों के पूरे सेवाकाल की जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। सतर्कता विभाग के पत्र के मुताबिक भ्रष्टाचार में भारी जुर्माना अदा करने, नौकरी से गायब रहना या देर से आना आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहना माना गया है। महिलाओं के साथ अपराध को गंभीरता से लिया गया है। इसमें बलात्कार, छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट में अगर कोई पुलिस वाले लिफ्त पाए गए हैं और इससे विभाग को नैतिक नुकसान पहुंचा है तो उन पर कार्रवाई होगी।

उत्तर-पूर्वी जिले में अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

उत्तर-पूर्वी जिले के वेलकम में होंडा सिटी कार सवार एक युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इमरान (36) के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेगबहादुर अस्पताल भेज दिया है। यह वारदात मंगलवार देर रात बारह बजकर पैंतीस मिनट पर हुई। इसी इलाके के दुर्गापुरी चौक पर बुधवार सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ही मामले के आरोपियों की धड़पकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि घटनाक्रम का पता लगाने और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। उपायुक्त ठाकुर ने बताया कि वेलकम में मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात को हुई इमरान की हत्या की जांच की जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

CHAMAN LAL SETIA EXPORTS LTD.
(A Govt. Recognised Star Export House)
Regd. Office: Meerankot Road, P.O. Central Jail, Ajnala Road, AMRITSAR -143002
Tel. 0183-2590318, 0183-2592708
Fax No.: 0183-2590453, 0184-2291067
CIN No.: L51909PB1994PLC015083
Email: clsetia@rediffmail.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of Board of Directors of the Company named Chaman Lal Setia Exports Ltd. is scheduled to be held on Wednesday, 14th day of August, 2019 at 05:00 p.m. at the Registered Office of Company at Meeran Kot Road, P.O. Central Jail, Amritsar-143002 inter-alia to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30.06.2019.
The Notice is also available on the website of Company at www.maharanirice.in as well as on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com

For Chaman Lal Setia Exports Ltd.
(RAJEEV SETIA)
Director
(DIN. 01125921)
Place: Amritsar
Date: 24.07.2019

S.B. College of Science & Technology (SBCST)
(Affiliated with BTE Delhi)
(Near) The Mann School, Holambi, Khurd, Delhi – 110082
www.sbcstcollege.in E-mail: sbcst1960@gmail.com Ph No. 011-27780815
ADMISSION NOTICE 2019-20
For 10% Seats Management Quota
Applications are invited from all eligible candidates for Admission under Management Quota Seats (05) in
2 years Diploma in Pharmacy
Statutory Reservations, as per Govt. Policy applicable
for more details contact College Office directly
CHAIRMAN

Delhi Institute of Rural Development - DIRD
Nangli Poona, Delhi - 110036
Contact no. 01127732759 visit us dirdcollege.com
ADMISSION NOTICE 2019-20
For 10% Seats Management Quota
Applications are invited from eligible & CET-2019 qualified candidates for Admission under Management Quota Seats
BBA (Gen) – 09 + 06 (I & II Shift)
BBA (B&I) - 06, B. Ed. - 10, B. Com (H) – 06, B. A. Eco (H) – 03
Last date for submission of duly filled form available at college office is on or before 07/08/2019 from 09:30 AM to 5:00 PM.
Statutory Reservations, as per Govt. Policy applicable
AND
Delhi Institute of Rural Development - DIRD
Holambi Khurd, Delhi - 110082
Contact no. 01127700815 visit us dirdcollege.com
ADMISSION NOTICE 2019-20
For 10% Seats Management Quota
Applications are invited from CLAT eligible & CET-2019 qualified candidates for Admission under Management Quota Seats
BA LLB (H) – 12, BBA LLB (H) – 06, BBA (Gen) - 04
Last date for submission of duly filled form available at college office is on or before 07/08/2019 from 09:30 AM to 5:00 PM.
Statutory reservations, as per Govt. Policy applicable
CHAIRMAN

BHARATI VIDYAPEETH'S EDUCATIONAL COMPLEX
A-4, Paschim Vihar, New Delhi-63 Tel: 25275055 / 25278443
Websites: www.bvicam.ac.in / www.bvcoend.ac.in

All candidates seeking admission under 10% reserved Management Category seats for 2019-2020 at Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) and College of Engineering (BVCOE), New Delhi, shall apply in the form available in the office latest by **07th August, 2019, 04:30 p.m.**
Admission will be done on merit as per the guidelines of GGSIP University and Govt. of NCT Delhi. Further instructions for counseling and admissions will be available on the **College Notice Boards and Websites.**

गुमशुदा की तलाश

रीना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला (फोटो में दिखाई गई) जिसका नाम: **रीना**, पुत्री: **लक्ष्मण**, पता: मकान नं. एफ–414, पुराना रघुबीर नगर, नई दिल्ली जोकि दिनांक 07.06.2019 से रघुबीर नगर, नई दिल्ली से गुमशुदा है। इस सन्दर्भ में **DD No. 33-A, dated 08.06.2019** पुलिस थाना, राजौरी गार्डन, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे गुमशुदा महिला की पहचान दी गई है:

नाम: रीना, उम्र: 27 वर्ष, कद: 5'0'', चेहरा: लम्बा, रंग: साफ, शरीर: सामान्य, पहनावा: लाल रंग की प्रिन्टेड साड़ी और पैरों में चप्पल।

अगर किसी को इस गुमशुदा महिला के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया थाना प्रभारी, राजौरी गार्डन, दिल्ली को संपर्क करें।

वेबसाइट: http://cbi.nic.in, ई–मेल: cic@cbi.gov.in
फोन: 011–24368638 / 24368641, फैक्स: 011–24368639

थाना प्रभारी
पुलिस थाना, राजौरी गार्डन, दिल्ली
फोन: 011-25453990, 8750871127

DP/8343/WD/19

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (क) के विषय में तथा बेस्ट बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच–69, ग्राउंड फ्लोर, डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार फेज–1, दिल्ली –110052, भारत में स्थित है, के विषय में – आवेदक

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 10 जुलाई, 2019 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन के संशोधन की पुष्टि के लिए एक आवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी–2 विंग, द्वितीय तल, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे दिए पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय: एच–69, ग्राउंड फ्लोर, डीडीए फ्लैट्स अशोक विहार फेज–1, दिल्ली –110052
कृते एवं हिते बेस्ट बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./–
राकेश कुमार
निदेशक
डीआईएन – 08222053
69–ए, सीपीडब्ल्यूडी कालोनी, वसंत विहार–1, दिल्ली–110057

तिथि : 25–07–2019
स्थान : दिल्ली

NEWGEN

OUR SOFTWARE PRODUCTS
DRIVE DIGITAL TRANSFORMATION

Key Highlights - Q1 FY'20

- Revenue up **23%** YoY
- **Expansion** in Operating Profits
- Strong **APAC & USA** Market Growth
- SaaS Revenues up **73%** YoY

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित (अनंकेक्षित) वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र. सं.	विवरण	समेकित (राशि लाख रू. में)			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30 जून 2019 (अनंकेक्षित)	30 जून 2018 (अनंकेक्षित)	31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)	31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	13,096.61	10,647.42	20,396.67	62,064.15
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	403.92	493.40	7,871.79	13,358.19
3	अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ /(हानि (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	403.92	493.40	7,871.79	13,358.19
4	अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ /(हानि) (विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	308.49	386.73	6,251.22	10,220.89
5	अवधि के लिये कुल समग्र आय [अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित,]	296.88	403.37	6,142.27	10,248.74
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रू का अंकित मूल्य)	6,872.12	6,798.76	6,845.76	6,845.76
7	आरक्षितें (पूनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है.	42,824.90	33,733.85	42,824.90	42,824.90
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 10/7 की) (जारी और बंद प्रचालनों के लिये)–				
	1. बेसिक ईपीएस:	0.45	0.57	9.18	15.01
	2. डाइल्यूटिड ईपीएस:	0.44	0.56	9.02	14.74

टिप्पणी:
1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति ने 24 जुलाई 2019 को आयोजित बैठक में संवीक्षा कर ली है और निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है।
2. लेखा परीक्षकों ने 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कंपनी के एकल और समेकित परिणामों की सीमित संवीक्षा कर ली है। इन वित्तीय परिणामों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई गुणावगुण नहीं है।
3. महत्वपूर्ण एकल वित्तीय सूचना

राशि रू. लाख में

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30 जून 2019 (अनंकेक्षित)	30 जून 2018 (अनंकेक्षित)	31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)	31 मार्च 2019 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से राजस्व	11,356.79	9,111.87	18,798.55	55,204.05
कर पूर्व लाभ	221.23	290.95	7,589.47	12,511.89
कर पश्चात लाभ	171.24	226.94	6,032.78	9,583.08

4. कंपनी ने, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 को अपनाया है और मानदंड के आरंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव के साथ, पूर्व तिथि से अपनी लीजों में मानदंड लागू किया है, जिसे आरंभिक आवेदन की तिथि (1 अप्रैल, 2019) को मान्यता प्रदान की गई है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक सूचना का पुनः उल्लेख नहीं किया है, इसकी बजाए, इस मानदंड को आरंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव में 1 अप्रैल 2019 को बरकरार आय के ओपनिंग बेलैंस में समायोजन के तौर पर मान्यता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2019 को रू 247.14 लाख के करों की बरकरार निवल आय के समायोजन से (रू 67.93 लाख के आस्थगित कर सृजन के प्रभाव सहित) रू 1769.79 लाख की परिसंपत्ति के राइट ऑफ यूज तथा रू 2010.89 लाख की तत्स्थानी लीज देनदारी की पहचान की गई है। चालू अवधि के लिये लाभ और हानि वर्णन में, ऑपरेटिंग लीजों के संबंध में खर्चों की प्रकृति पूर्व की अवधियों में लीज किराये से राइट टू यूज परिसंपत्ति के लिये अवमूल्यन लागत और लीज देनदारियों पर अर्जित ब्याज के लिये वित्तीय लागत में परिवर्तित की गई है।
5. आईपीओ की निवल आय के उपयोग के लिये कंपनी की विवरणिका में यथा उल्लिखित सार्वजनिक इश्यू के प्रयोजन में बदलाव हेतु डाक मतपत्र के जरिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में संकल्प सदस्यों ने 26 जून 2019 को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया है। 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के दौरान इन आय का कोई उपयोग नहीं था। 30 जून, 2019 को, शेष आय को अस्थाई रूप से नकद और नकद समतुल्य में बैंक में सावधि जमा सहित निवेश/जमा किया गया है।
6. उपर्युक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकट अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिये वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र बीएसई और एनएसई की स्टॉक एक्सचेंजों पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है तथा यह हमारी वेबसाइट: www.newgensoft.com के निवेशक संबंध खण्ड के अधीन भी उपलब्ध है।

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड
सीआईएन: L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालय: ए–6, सत्संग विहार मार्ग, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, नई दिल्ली–110067
टेली: (+91)-11-40770100, 26964733, 26963571, फेक्स:. (+91)-11- 26856936
ई–मेल/यूआरएल: investors@newgensoft.com / https://newgensoft.com
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 24.07.2019

मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
हस्ता/–
दिवाकर निगम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00263222

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
Canara Bank (A Government of India Undertaking)
Together We Can

30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए एकल / समेकित वित्तीय परिणाम की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		30.06.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	30.06.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय (निवल)	14062.39	53385.30	13192.46	15231.72	57858.26	14089.73
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर से पूर्व, असामान्य और/या असाधारण मदें)	540.88	(2327.41)	350.49	596.95	(2056.70)	411.53
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के पश्चात)	540.88	(2327.41)	350.49	596.95	(2056.70)	411.53
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के पश्चात)	329.07	347.02	281.49	383.04	601.85	340.68
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(जिसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात तथा अन्य व्यापक लाभ (कर पश्चात) शामिल है।]	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें
6	ईक्विटी शेयर पूंजी	753.24	753.24	733.24	753.24	753.24	733.24
7	आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों को छोड़कर)	28975.82 (31.03.19 को)	28975.82 (31.03.19 को)	28346.86 (31.03.18 को)	30487.82 (31.03.19 को)	30487.82 (31.03.19 को)	29639.72 (31.03.18 को)
8	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/–) परिचालनगत व परिचालन रहित के लिए)						
	1. मूल:	4.37	4.71	3.84	5.09	8.18	4.65
	2. अनुपात हास:	4.37	4.71	3.84	5.09	8.18	4.65

नोट:
1. उपरोक्त आंकड़े, सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के उद्धरण रूप हैं। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट (BSE: www.bseindia.com एवं NSE: www.nseindia.com) व बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर उपलब्ध है।
2. कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी सुसज्जित नहीं है, क्योंकि इन्ड ए.एस. अभी तक बैंक में लागू नहीं किया गया है।

ह/–	ह/–	ह/–	ह/–	ह/–
ए. मणिमेखलई	देवाशीष मुखर्जी	एम.वी. राव	आर.ए. शंकर नारायणन	टी.एन. मनोहरन
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.	अध्यक्ष

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 24.07.2019

आकर्षक लाभों के साथ ब्याज दरें

केनरा **खज़ाना** जमा योजना
111 222 333
(₹ 2 करोड़ से कम जमा के लिए)

जमा अवधि	सामान्य नागरिक	वरिष्ठ नागरिक
	ब्याज की दर (%)	
111 दिन	6.25%	6.75%
222 दिन	6.60%	7.10%
333 दिन	6.70%	7.20%

Call Canara 1800 425 0018

@canarabanktweet | CanaraBankOfficial | canarabank | canarabankinsta
www.canarabank.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	37.8 डि.से.	37.8 डि.से.	36.5 डि.से.	35.6 डि.से.
न्यूनतम	29.2 डि.से.	29.2 डि.से.	28.5 डि.से.	27.8 डि.से.

‘तीन श्रेणियों में पक्की होंगी कच्ची कॉलोनियां’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

- नहीं होगी जीपीए, निजी जमीन पर बसी कॉलोनी को देना होगा जुर्माना
- कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए सुझाव
- सैनिक फार्म, महेंद्रु एंक्लेव व अनंतराम डेयरी जैसी कॉलोनियों को भी मिला मौका

कच्ची कॉलोनियों पर केंद्र सरकार से टकराव के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में पक्का किया जाएगा। इनमें पहली श्रेणी सरकारी जमीन, दूसरी श्रेणी खेती वाली जमीन और तीसरी निजी जमीन पर बसी कॉलोनियां होंगी। सरकारी व खेती की जमीन पर रह रहे लोगों को जमीन का पैसा और जुर्माना देना होगा जबकि निजी जमीन पर बसी कॉलोनियां केवल जुर्माना देकर नियमित की जा सकेंगी। नई व्यवस्था में जीपीए मान्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कम से कम दरें तय की जाएंगी।

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2015 तक की कॉलोनी जहां बसावट 50 फीसद तक है, उस प्रावधान में संशोधन करने की मांग की है। इस तय समय सीमा को 31 मार्च 2021 किया जाना चाहिए। इसी तरह जीपीए पर भी एक निश्चित समय सीमा के लिए मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। 1797 कॉलोनियों के बाद दूसरे चरण में अन्य कॉलोनियों के लिए तय समय सीमा 1 जुलाई 2021 की जाए। इसी तरह जीपीए की जमीन वाले मालिकों को 30 जून 2021 तक का समय दिया जाए और इस तय समय में इन्हें नियमित किया जाए। इसके बाद भी यदि कोई भी कच्ची कॉलोनी बसती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे शक है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) तीन माह के अंदर नक्शे तैयार नहीं कर पाएगा। इसलिए इन

कॉलोनियों में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के आधार पर नक्शे पास किए जाएं और तुरंत इनकी रजिस्ट्री खोली जाए। उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों को नियमित करने से पूर्व कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क व सीवर जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर दिया है। इस कार्य पर दिल्ली सरकार 6 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों को पक्का करने की प्रक्रिया में दिल्ली सरकार ने कोई देरी नहीं की है। इस मामले में सुझाव देने के लिए दिल्ली सरकार को 15 दिन का समय दिया गया था लेकिन दिल्ली सरकार ने सात दिन के अंदर ही अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए। उन्होंने कहा कि इस मसौदे में दिल्ली सरकार ने यह मांग की है कि श्रेणी 2 वाली कॉलोनियों के कामकाज का अधिकार दिल्ली को दिया जाए। उन्होंने कहा कि कच्ची कॉलोनियों को अब तक तिरस्कार झेलना पड़ा है। दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों के साथ है। साथ ही ग्रामीण सभा की जमीन पर बसे लोगों पर धारा 81 के केस बंद किए जाएंगे और नियम प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। केंद्र से पास होने के बाद डीडीए तीन माह के अंदर नक्शे बना देगी। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन को दिल्ली सरकार को देने की सिफारिश की गई है ताकि इन कॉलोनियों में दिल्ली सरकार जरूरी सेवाएं उपलब्ध करा सके। वन विभाग व फॉरेस्ट एरिया के विवाद को छोड़कर इन कॉलोनियों को नियमित किया जाए।

पॉश कॉलोनियों को भी मिलेगा नियमित होने का मौका

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नियमन प्रक्रिया से बाहर रखी गई सैनिक फार्म, महेंद्रु एंक्लेव व अनंतराम डेयरी जैसी कॉलोनियों को भी नियमित किया जाना चाहिए। तय प्रावधान के मुताबिक इन कॉलोनियों को दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा राहत देने के लिए बैंक लोन की व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार चाहते हैं कि कॉलोनियां नियमित हो, इसलिए खुशी के साथ कॉलोनियों के काम शुरू किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कॉलोनियों के लिए स्टांप ड्यूटी शून्य किए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने माना कि यह राशि शून्य नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सामान्य शुल्क होना चाहिए।

महिलाओं के लिए निःशुल्क हो रजिस्ट्री : मनोज तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

कच्ची कॉलोनियों पर विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मांग है कि महिलाओं से जमीन रजिस्ट्री पर शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार केवल वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है जबकि केंद्र सरकार जनता को एक माह में यह मालिकाना हक देने जा रही है।

मनोज तिवारी ने कहा कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार को लगातार पत्र लिख रहा था। लेकिन दिल्ली सरकार ने भ्रम पैदा किया कि कॉलोनियों के काम को केंद्र सरकार ने लटका रखा है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है और इनके ले-आउट प्लान पर भी कोई काम नहीं हुआ है। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से 2021 तक का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि

केंद्र सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है और जल्द ही भाजपा एक विशेष सम्मान कार्यक्रम में फैसले का स्वागत करेगी।

‘आप’ ने किया जनता को गुमराह, धरना देंगे : गोयल

बुधवार को राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों पर ‘आप’ सरकार ने जनता को गुमराह किया है। अब तक दिल्ली सरकार इस मामले में केवल रोड़े अटकाती रही है और पिछले साढ़े चार साल में दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की राह में कोई कार्य नहीं किया है।

आयकर दिवस पर समारोह स्थल की ओर जातीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा कि करदाताओं को कर भुगतान को सजा के रूप में नहीं बल्कि उनकी तरफ से देश निर्माण में दिए जाने वाले योगदान के रूप में लेना चाहिए। फोटो : अरुण चोपड़ा

अध्यक्ष का पद खाली, कार्यकारी अध्यक्षों ने कुर्सी संभाली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

- हारुन यूसुफ और देवेंद्र यादव ने संभाला कार्यालय

दिल्ली में कांग्रेस का सबसे दमदार चेहरा रहीं शीला दीक्षित के निधन से सदमे में आई कांग्रेस के नेताओं ने नए नेतृत्व के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको राजधानी में होने के बावजूद इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। पार्टी के अन्य नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहीं शीला दीक्षित की अस्थियां बुधवार को हरिद्वार में विसर्जित कर दी गईं। उनके करीबी नेताओं की मानें तो पार्टी आने वाले दिनों में शीला दीक्षित की याद में एक बड़ी सभा का आयोजन करेगी।

इस बीच शीला दीक्षित के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसुफ और एक अन्य कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय आकर अपना कार्यभार संभाला। पिछले दिनों दिल्ली के प्रभारी चाको ने इन्हें पत्र लिखकर कहा गया था कि वे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाएं और पार्टी संगठन को चाक-चौबंद करने का काम करें। समझा जा रहा है कि इन बैठकों का सिलसिला अगले महीने से शुरू होगा।

शीला दीक्षित के निधन के बाद दिल्ली में नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चा जरूर हो रही है लेकिन पार्टी नेताओं का यह मानना है कि दिल्ली में नेतृत्व के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार अजय माकन के इस्तीफे के बाद लंबी मशक्कत के बाद शीला दीक्षित के नाम पर तब जाकर सहमति बनी जबकि तीन नए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए।

गोयल ने की ‘डेल्ही’ को दिल्ली करने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

बजट सत्र के प्रश्नकाल में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष विजय गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी का नाम डेल्ही से बदलकर दिल्ली कर देनी की मांग की है। इसके संबंध में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव मिलने पर उसे संबंधित मंत्रालय के विभाग को भेजा जाएगा।

गोयल ने कहा कि किस कारण राजधानी का नाम दिल्ली पड़ा, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतिहास इसके लिए कई धारणाएं पेश करता है। उन्होंने कहा कि ‘डेल्ही’ शब्द में शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विरासत को प्रतिबिम्बित करने के लिए किसी शहर का नाम बदला गया है। कई शहरों के नामों को कानून पास कर बदला जा चुका है।

दूध के कंटेनर में शराब की आपूर्ति करने वाला गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

दूधिया बनकर दूध के कंटेनर में अवैध शराब की आपूर्ति करने वाला तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी की पहचान 43 साल के जवाहर के तौर पर की गई है। हरियाणा के पलवल का रहने वाला दूधिया अवैध शराब दूध के कंटेनर में भरकर दिल्ली लाता था और विभिन्न इलाकों में आपूर्ति करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से चार कंटेनर में रखे 200 शराब की क्वार्टर जब्त किए हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल के मुताबिक 22 जुलाई की रात करीब दस बजे मीठापुर में आगरा नहर के पास पुलिस टीम पिकेट लगाकर जांच कर रही थी। तभी फरीदाबाद की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाए वह भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। संदेह होने पर पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल पर टंगे दूध के चारों कंटेनरों की तलाशी तो यह देखकर चौंक गए कि उसमें शराब की बोतलें रखी थीं। पुलिस ने शराब की बोतलें जब्त करने के साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।

बीएसईएस के नाम पर उगाही

बिजली कंपनी बीएसईएस के नाम पर धमकी देकर उगाही का गिरोह चलाने वाले एक गिरोह का दक्षिणी दिल्ली की नारकोटिक्स की टीम ने खुलासा किया है। शिकायत पर पुलिस टीम ने दो आरोपियों को घात लगाकर महरौली बदलपुर रोड पर एशियन मार्केट के पास से दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संगम विहार के ब्रिजेश शर्मा उर्फ प्रशांत उर्फ बंटी और तुगलकाबाद एक्सटेंशन के संजय कुमार उर्फ शकील के तौर पर की गई है। आरोपी ब्रिजेश पहले भी इसी तरह के मामले में शामिल रह चुका है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज है।

विधायक से रंगदारी मांगने के आरोप में न्यूज पोर्टल संचालक गिरफ्तार

गुरुग्राम, 24 जुलाई (जनसत्ता)।

गुरुग्राम के भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल को बदनाम करने की धमकी देकर तीन करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में एक कथित पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है और एक न्यूज पोर्टल चलाता है। पुलिस उसके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

दो दिन पहले विधायक उमेश अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत की कि कुछ लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक न्यूज पोर्टल पर लगातार उनके खिलाफ आधारहीन खबरें चलाई जा रही हैं। यहां तक कि उनके द्वारा आयोजित की गई वैष्णो देवी यात्रा की कुछ वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उनके खिलाफ गलत खबरें चलाई जा रही हैं। विधायक के अनुसार जब उसने इस न्यूज पोर्टल के संचालक विजय शुक्ला से संपर्क किया तो उसने इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए विधायक से तीन करोड़ रुपए की मांग की।

आइआइटी दिल्ली : पीएचडी में चार गुणा बढ़े विदेशी विद्यार्थी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

- दस फीसद तक विदेशी विद्यार्थियों की संख्या को पहुंचाना है लक्ष्य
- वैश्विक सोच रखने वाले विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए विदेशी विद्यार्थी हैं जरूरी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली के पीएचडी पाठ्यक्रम में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में इस साल चार गुणा की वृद्धि हुई है और अब यह 40 के करीब है। आइआइटी दिल्ली का लक्ष्य पीएचडी पाठ्यक्रमों में कम से कम दस फीसद तक विदेशी विद्यार्थियों की संख्या को पहुंचना है। इसके लिए संस्थान पांच सालों में 500 विदेशी विद्यार्थियों को पीएचडी छात्रवृत्ति देगा। ऐसा आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव ने बुधवार को कई विदेशी राजदूतों की उपस्थिति में ‘आइआइटी दिल्ली का वैश्विकरण : उच्च शिक्षा के लिए भारत में नए अवसर’ शिखर बैठक के दौरान कहा।

प्रोफेसर राव ने कहा कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए सांस्कृतिक विविधता अहम होती है। प्रमुख भारतीय संस्थानों में इसकी कमी है। आइआइटी दिल्ली ने सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक सोच रखने वाले विद्यार्थी तैयार करना चाहते हैं ताकि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर सकें। इससे स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। पूर्व छात्र मामलों और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के मामलों के डीन प्रोफेसर संजीव सांघी ने कहा कि इस शिखर बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य संस्थान के वैश्विकरण के लिए मजबूत कदम उठाना है। शिखर बैठक में इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, स्वीडन, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, युगांडा, नामीबिया के शिक्षा और संस्कृति से संबंधित राजदूत मौजूद थे।

बागी विधायकों की याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के बागी विधायकों अनिल बाजपेयी और कर्नल देवेंद्र सहरावत की याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई से विधानसभा अध्यक्ष को अलग रहने का निर्देश देने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले दोनों विधायकों की अपीलों पर विचार करने की कोई वजह नहीं है। साथ ही कहा कि शुरुआती आपत्ति और अयोग्यता याचिका पर एकसाथ विचार करने का फैसला लेना विधानसभाध्यक्ष का विशेषाधिकार है।

पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश जारी करने का हम कोई कारण नहीं पाते हैं। दोनों विधायकों ने याचिकाओं को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

राजस्व हानि | 5.36 लाख वर्ग मीटर नोएडा की जमीन पर मिला कब्जा

आम्रपाली ने जमा कराए मात्र 525 करोड़ रुपए

आशीष दुबे
नोएडा, 24 जुलाई।

- साल 2007-10 के बीच आम्रपाली ने नौ परियोजनाओं पर शुरु किया काम
- बकाया वसूली की रणनीति के लिए नोएडा, ग्रेनो और यीडा के शीर्ष अधिकारी लखनऊ तलब
- बिल्डरों से बकाया वसूली को लेकर कड़े रुख अपना सकती है सरकार

आम्रपाली बिल्डर को 2007 से 2010 के बीच नोएडा में करीब 5.36 लाख वर्ग मीटर जमीन आबंटित की गई थी। इस जमीन के एवज में आम्रपाली ने कुल 525 करोड़ रुपए प्राधिकरण के खाते में जमा कराए। जबकि नोएडा प्राधिकरण का आम्रपाली पर 2200 करोड़ रुपए बकाया है। बकाया रकम कैसे मिलेगी इस पर अनिश्चितता का माहौल है। इतनी बड़ी रकम के बकाया होने का मुख्य कारण बसपा शासनकाल में हुई बिल्डर आबंटन नीति में बदलाव को माना जा रहा है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बुधवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के सीईओ समेत उच्चाधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया है। जहां पर आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं के अलावा हजारों करोड़ रुपए की राजस्व हानि को लेकर चर्चा की जाएगी।

शुरुआती तीन साल (2007-1010) में आम्रपाली ने नोएडा में नौ परियोजनाओं पर काम शुरू किया। 2007 में सेक्टर- 119 में करीब 55 हजार वर्ग मीटर जमीन पर प्लेटिनम परियोजना शुरू की। 12 साल बाद 2019 में भी इस परियोजना पर प्राधिकरण का 200 करोड़ रुपए बकाया है। बसपा कार्यकाल में हुए इस आबंटन में जमीन की कुल लागत का 30 फीसद के बजाए 10 फीसद पर किया गया। जबकि उससे पहले कुल जमीन कीमत का 30 फीसद भुगतान करने के बाद आबंटन होता था। बताया जा रहा है कि बिल्डर आबंटन नीति में हुए बदलाव का बड़ा फायदा आम्रपाली समूह ने उठाया। जिसने महज तीन साल में ही नौ परियोजनाएं शुरू कर बुकिंग के नाम पर निवेशकों से कई हजार करोड़ रुपए जमा करा लिए। जबकि कुछ किस्तें जमा कराने के बाद आम्रपाली ने प्राधिकरण को भू आबंटन की बकाया राशि जमा करना बंद कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के बकाया 2200 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा 680 करोड़ सेक्टर- 76 स्थित सिलिकॉन परियोजना पर बकाया है। वहीं, सबसे कम सेक्टर- 50 स्थित ईडेन पार्क परियोजना पर 45 करोड़ रुपए बाकी हैं।

हवाला को लेकर होगी जांच

महज दस फीसद देकर बिल्डर भूखंड के आबंटन के बाद आम्रपाली ने कारोबार बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर ही करोड़ रुपए खर्च किए। सत्ता में पकड़ रखने वाले अधिकारियों ने भी काली कमाई को सफेद करने के लिए आम्रपाली समूह को जरिया बनाया। इस खेल में अधिकारियों या सत्ता पर पकड़ रखने वाले नेताओं का पैसा फंसा या नहीं, यह तो अभी साफ नहीं है लेकिन खरीदारों की उम्मीदें जरूर दस सालों से लटकी रहीं। प्रवर्तन निदेशालय बसपा कार्यकाल में उच्च सरकारी पदों पर तैनात रहे अधिकारियों की नब्ज टटोल रहा है। यहां तक की अदालत ने भी आदेश सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आम्रपाली समूह की निदेशकों ने रुपए की बड़ी हेराफेरी हुई है। फ्लैटों का फर्जी आबंटन दिखाकर हवाला के जरिए रकम विदेश भेजी गई।

खबरों में शहर

दिल्ली में कर मुक्त हुई ‘सुपर 30’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

दिल्ली सरकार ने बुधवार को फिल्म ‘सुपर 30’ को कर मुक्त करने की घोषणा की है। इस फिल्म को पहले ही बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कर मुक्त किया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ‘सुपर 30’ फिल्म को कर मुक्त कर रही है ताकि दिल्ली में छात्रों और शिक्षकों को इससे प्रेरणा मिल सके। यह फिल्म पटना के विद्वान आनंद कुमार की जिंदगी पर आधारित है, जो हर साल आइआइटी-जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए गरीब परिवारों के 30 योग्य छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि आनंद कुमार शहर के सरकारी स्कूल के छात्रों को हर महीने एक कक्षा देने के लिए राजी हो गए।

जामिया में सात अगस्त तक आवेदन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 से चार नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें दो स्नातकोतर और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं। वहीं, पूर्व में बंद हो चुके चार पाठ्यक्रम में दाखिला फिर से खोला है। इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 7 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। जामिया से मिली जानकारी के अनुसार शुरू हो रहे नए पाठ्यक्रमों में बैंकिंग और वित्तीय विश्लेषण में स्नातकोतर (40 सीटें), पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग में स्नातकोतर (12 सीटें), तुर्की भाषा में एडवांस्ड डिप्लोमा (30 सीटें) और डिप्लोमा इन मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स (20 सीटें) पाठ्यक्रम शामिल हैं।

सीबीएसई ने सीटेट की उत्तर कुंजी जारी की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से 7 जुलाई को आयोजित हुई राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की ओएमआर शीट की फोटोकॉपी और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इन्हें 24 से 26 जुलाई रात बारह बजे तक देखा जा सकता है। उम्मीदवार किसी भी प्रश्न के उत्तर को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए सीटेट की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है। उम्मीदवारों को हर प्रश्न के लिए शुल्क के रूप में एक हजार रुपए का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

प्राणी उद्यान में आखिरी चिंकारा की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के एकमात्र चिंकारा की मौत हो गई। दिल्ली चिड़ियाघर के एक अधिकारी के मुताबिक यह चिंकारा काफी बूढ़ा और कमजोर हो गया था और उसकी मौत 14 जून को हो गई थी। इससे कुछ दिन पहले ही चिड़ियाघर में प्राणियों की गणना की गई थी। अधिकारी ने बताया कि उनके पास शाकाहारी जानवरों की उम्र पता लगाने की कोई प्रणाली नहीं है इसलिए इस चिंकारा की उम्र पता करना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि एक साल पहले तक हमारे पास चार चिंकारा थे। लेकिन उम्र के अलावा विभिन्न कारणों से एक के बाद एक चिंकारा की मौत होती चली गई।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय : राष्ट्रीय एकीकरण में विशेष बच्चियों या दिव्यांग महिलाओं की भूमिका पर दो दिवसीय सेमिनार, सभागार (कक्ष-344), एसआइएस, जेएनयू परिसर, सुबह पौने ग्यारह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : ईरान पर फोटो प्रदर्शनी, एनेक्स आर्ट गैलरी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्स), मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, 30 जुलाई तक।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

पॉक्सो संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)

राज्यसभा ने बुधवार को पॉक्सो संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके तहत बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। उच्च सदन में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही थी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केन्द्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 18 राज्यों ने ऐसी अदालतों की स्थापना के लिए सहमति जताई है। इसके बाद उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ईरानी ने कहा कि 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के लिए कुल 767 करोड़ रूपए खर्च किया जाएगा। इसमें से केन्द्र 474 करोड़ रूपए का योगदान देगा।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मौजूदा विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 'दुर्लभतम मामलों' में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ईरानी ने कहा कि उन्होंने बच्चों के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों में उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के साथ बैठक की थी।

लोकसभा में 'तीन तलाक विधेयक' पर चर्चा आज

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)

● भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए विप जारी किया है।

लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पर चर्चा के बाद आज उसे पारित किए जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए विप जारी किया है। सभी सांसदों से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

विधेयक में तीन तलाक दिए जाने को अपराध करार दिया गया है। साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। नरेन्द्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था। कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है।

त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ए-44 हौजरी कॉम्प्लेक्स, फेज़ II एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201305
कॉर्पोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टॉवर्स 15-16, सेक्टर 16 ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301
दूरभाष - 91 120 4308000 / फैक्स - 91 120 4311010-11
ई-मेल shares.ttl@trivenigroup.com Website: www.triveniturbines.com
कम्पनी पहचान संख्या : L29110UP1995PLC041834

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संशोधित, (आईइपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे सभी अंश जिनके सम्बन्ध में सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश का दावा अथवा भुगतान नही किया गया है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरण हेतु वांछित हैं।

आईइपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सम्बंधित अंशधारकों को, जिनके वित्तिय वर्ष 2012-13 के अन्तरिम लाभांश का दावा नहीं किया / अदत्त हैं तथा जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना प्रेषित की है। कथित अंशधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com पर 'Investors' Web. Link: https://www.triveniturbines.com/transfer-shares-iepf.html. अनुभाग के अंतर्गत अपलोड किया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तांतरित होने हेतु संभाव्य अंशों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सम्बंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2012-13 के अन्तरिम एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु अपना आवेदन कम्पनी या इसके शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात अलंकित असाइनमैन्टस लिमिटेड (यूनिट त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड) को अलंकित हाईटस, 1ई/13 झन्डेवालान एक्सटैन्शन, नई दिल्ली-110055 अथवा ईमेल द्वारा rta@alankit.com पर कर सकते हैं। यदि अदत्त लाभांश का वैध दावा 28 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी प्रावधानों का पालन करने की दृष्टि से कथित अंशों को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशो को उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हों, आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारकों द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित में से किसी एक से संपर्क करें:-

Corporate Office of the Company	Registrar and Transfer Agent Office
Triveni Turbine Limited (Nodal Officer and Company Secretary) Express Trade Towers, 8th Floor, Plot No. 15-16, Sector 16-A, NOIDA - 201301 (U.P.) Tel. No. 120 4308000 Email: shares.ttl@trivenigroup.com	Alankit Assignments Limited (Unit: Triveni Turbine Ltd.) Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 Tel. No. 011-42541234, 23451234 E-mail: rta@alankit.com

कृते त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड
हस्ताक्षर
(राजीव साहनी)
कम्पनी सचिव
M. No. ACS 8047

स्थान : नौएडा (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 24 जुलाई 2019

के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ प्रस्ताव उपरांत विज्ञापन

आरिएण्ट ट्रेडलिंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 801-ए, 8वाँ तल, महालय बिल्डिंग, फेयरडील हाउस के पीछे, ऑफः सी.जी. रोड, स्वास्तिक क्रॉस रोड्स, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात-380009
CIN:L65910GJ1994PLC022833, टेली नं.: +91-079-30025866
ईमेल आईडी: orient.tradelink@gmail.com

श्री ऑशिम खेत्रपाल ("अधिग्रहणकर्ता") द्वारा ऑरिएण्ट ट्रेडलिंक लिमिटेड ("ओटीएल" अथवा "द टार्गेट कम्पनी" अथवा "टीसी") के इक्विटी शेयरधारकों से रु. 2/- प्रति के 1,09,65,000 इक्विटी शेयरों तक के अधिग्रहण के लिये खुला प्रस्ताव ("प्रस्ताव")

यह प्रस्ताव उपरांत विज्ञापन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सब्स्टांशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टैक ओवर्स) विनियमन, 2011 तथा उसके संशोधनों ["सेबी (एसएएसटी) विनियमन, 2011"/विनियमनों] के विनियमन 18(12) के अनुपालन में टार्गेट कम्पनी के 20% इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले रु. 4.60 प्रति इक्विटी शेयर्स पर टार्गेट कम्पनी के रु. 2 प्रति की सम मूल्य के 1,09,65,000 इक्विटी शेयरों को अर्जित करने के लिये अधिग्रहण-कर्ता द्वारा की गई खुली प्रस्ताव ("प्रस्ताव") के सिलसिले में अधिग्रहण-कर्ता की ओर से फास्ट्रैक फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड ("प्रस्ताव के प्रबंधक") द्वारा जारी की जा रही है। उपरोक्त प्रस्ताव के सिलसिले में विस्तृत सार्वजनिक विवरण 11 जनवरी, 2019 को निम्न समाचार पत्रों में दिया गया था:

समाचार पत्र	भाषा	संस्करण
फाइनांसियल एक्स्प्रैस	अंग्रेजी	सभी संस्करणों
जनसत्ता	हिन्दी	सभी संस्करणों
फाइनांसियल एक्स्प्रैस	गुजराती	गुजरात

1.	टार्गेट कम्पनी का नाम	ऑरिएण्ट ट्रेडलिंक लिमिटेड
2.	अधिग्रहण-कर्ता का नाम	श्री ऑशिम खेत्रपाल
3.	प्रस्ताव के प्रबंधक का नाम	फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
4.	प्रस्ताव के रजिस्ट्रार का नाम	स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	प्रस्ताव का विवरणः (क) प्रस्ताव खुलने की तिथि (ख) प्रस्ताव बंद होने की तिथि	 5 जुलाई, 2019-शुक्रवार 18 जुलाई, 2019-गुरुवार
6.	मूल्य (कंडीडरेशन) के भुगतान की पूर्णता की तिथि एवं अस्वीकृति/स्वीकृति की सूचना	01 अगस्त, 2019-गुरुवार

7. अधिग्रहण का विवरण

क्रम सं.	विवरण	प्रस्ताव पत्र में प्रस्तावित		वास्तविक	
7.1	प्रस्ताव मूल्य (रु. में)	रु. 4.60 (रुपये चार एवं पैसे साठ मात्र)		रु. 4.60 (रुपये चार एवं पैसे साठ मात्र)	
7.2	टेण्डर की गई शेयरों की सं. का कुल योग	1,09,65,000 इक्विटी शेयर्स		1,30,39,298 इक्विटी शेयर्स	
7.3	स्वीकृत शेयरों की सं. का कुल योग	1,09,65,000 इक्विटी शेयर्स		1,09,65,000 इक्विटी शेयर्स	
7.4	प्रस्ताव का आकार (प्रति इक्विटी शेयर प्रस्ताव मूल्य द्वारा गुणा की गई इक्विटी शेयरों की संख्या)	रु. 5,04,39,000 (रुपये पाँच करोड़ चार लाख उन्तालिस हजार मात्र)		रु. 5,04,39,000 (रुपये पाँच करोड़ चार लाख उन्तालिस हजार मात्र)	
7.5	सार्वजनिक उद्घोषणा से पूर्व अधिग्रहणकर्ता की शेयर धारिता पूंजी (क) नग (ख) इक्विटी शेयर का %	 7233495 13.19%		 7233495 13.19%	
7.6	खुला प्रस्ताव द्वारा अर्जित शेयर्स क) नग ख) इक्विटी शेयरों का %	 10965000 20%		 10965000 20%	
7.7	विस्तृत सार्वजनिक विवरण ("डीपीएस") के बाद अर्जित शेयर्स क) नग ख) इक्विटी शेयर पूंजी का % ग) अर्जित शेयर मूल्य	 निल निल एनए		 निल निल एनए	
7.8	अधिग्रहण-कर्ता का प्रस्ताव उपरांत शेयरधारिता	शेयरों की सं.	एवं इक्विटी शेयर पूंजी	शेयरों की सं.	एवं इक्विटी शेयर पूंजी
		1,81,98,495	33.19%	1,81,98,495	33.19%
7.9	प्रस्ताव पूर्व एवं उपरांत सार्वजनिक शेयरधारिता	प्रस्ताव-पूर्व	प्रस्ताव-पूर्व	प्रस्ताव-पूर्व	प्रस्ताव-पूर्व
	क) नग ख) इक्विटी शेयर पूंजी का %	47591505 86.81%	36626505 66.81%	47591505 86.81%	36626505 66.81%

* खुला प्रस्ताव में सम्पूर्ण स्वीकृति की परिकल्पना करते हुए

8. अधिग्रहण-कर्ता इस प्रस्ताव उपरांत विज्ञापन में शामिल सूचना के लिये सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तथा साथ ही विनियमनों के अंतर्गत दायित्वों को भी स्वीकार करते हैं।
9. प्रस्ताव उपरांत विज्ञापन की प्रति सेबी, बीएसई लिमिटेड तथा टार्गेट कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस विज्ञापन में प्रयुक्त कैपिटलाईज्ड टर्म्स, लेकिन जो यहां परिभाषित नहीं है, का वही अभिप्राय होगा जो प्रस्ताव के पत्र तिथि 27 जून, 2019 में ऐसे टर्म्स को दिया गया है।

अधिग्रहण-कर्ता की ओर से प्रस्ताव के प्रबंधक द्वारा जारी

फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
बी-502, स्टेट्समेन हाउस,
147, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
टेली. नं.: 011-43029809
ईमेलः mb@ftfinsec.com
वेबसाईटः www.ftfinsec.com
सम्पर्क व्यक्तिः श्री पवन कुमार माहुर
सेबी पंजी. सं.: INM000012500
CIN: U65191DL2010PTC200381
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 24 जुलाई, 2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः मेरठ रोड, सेहानी, गाज़ियाबाद, उ0प्र0-201003

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदारः **(1) श्रीमती सरला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग** सी-234, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0। **(2) श्रीमती सरला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग, मालिक- मैसर्स बालाजी एण्टरप्राईजेज,** निकट अर्जुन नगर, शॉप नं.19, गाजियाबाद, उ0प्र0।	श्रीमती सरला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग के नाम पर लोहिया नगर जी.डी.ए. आवासीय कॉलोनी, गाजियाबाद में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति सं. सी-234, एल.आई.जी., एरिया परिमाप 120.96 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 50.72 वर्ग मीटर एवं खुला एरिया 70.24 वर्ग मीटर जो **निम्नानुसार घिरा है:** **पूर्वः** रोड 9.15 मीटर चौड़ी, **पश्चिमः** मकान नं. सी-200, **उत्तरः** मकान नं. सी-235, **दक्षिणः** मकान नं. सी-233	**31.03.2017 को एनपीए 18.06.2019 को बकाया रु.7,35,725/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)**

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाना है।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24.07.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाज़ियाबाद

भारत सीट्स लिमिटेड

CIN: L34300DL1986PLC023540

पंजी. कार्यालयः 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
ईमेलः seats@bharatseats.net, वेबसाईटः www.bharatseats.com, फोन +91-9643339870-74, **फैक्सः** 0124-2341188

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.6.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	17059.20	23929.57	19859.15	90884.39
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	604.61	1078.36	604.24	3122.39
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	604.61	1078.36	604.24	3122.39
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	379.87	712.47	475.13	2142.05
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	383.94	707.71	505.86	2158.38
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	628.00	628.00	628.00	628.00
7.	अन्य इक्विटी (आरक्षित)(पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	-	-	-	9827.89
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)(रु. में)				
(क)	मूल (रु.)	1.21	2.27	1.51	6.82
(ख)	तरल (रु.)	1.21	2.27	1.51	6.82

टिप्पणी:-

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाईट www.bharatseats.com पर उपलब्ध है।

ख) भारत सीट्स लिमिटेड ("कम्पनी") के उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 के नियम 3 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2016 तथा उसके बाद संबंधित संशोधन नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट रूप में भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 34 के अनुसार तैयार किया गया है।

ग) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 23 जुलाई, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये "भारत सीट्स लिमिटेड" के उपरोक्त वित्तीय परिणामों को इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिव्यू इंगैजमेन्ट्स पर मानक (एसआरई) 2410 के अनुसार कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखा गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से
भारत सीट्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./- (रोहित रेलान)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

स्थानः दिल्ली
तिथिः 23.07.2019

HDFC हाऊसिंग डेवलपमेंट फाईनांस कारपोरेशन लि.

शाखा: एससीओ 153-155, सेक्टर-8-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
सीआईएन: [illegible] वेबसाइट: www.hdfc.com दूरभाष: [illegible]

मांग सूचना

[illegible]

क्र. सं.	ऋणी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	कुल बकाया देय राशि	मांग सूचना की तिथि	सिक्योर्ड परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1.	[illegible] खाता सं. 589889573	31.05.2019 [illegible] 684838/-	1 जुलाई, 2019	[illegible]
2.	[illegible]	31.05.2019 [illegible]	1 जुलाई, 2019	[illegible]

[illegible]

कृते हाऊसिंग डेवलपमेंट फाईनांस कारपोरेशन लि.
हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 25.07.2019

पंजीकृत कार्यालय: रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्च गेट, मुंबई-400020

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION FOR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)

WONDER FIBROMATS LIMITED

Our Company was originally incorporated at Delhi as "Wonder Fibromats Private Limited" on 13th October, 2009 under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation issued by the Asst. Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana. Consequent, upon the conversion of our Company into public limited company, the name of our Company was changed to "Wonder Fibromats Limited" vide fresh certificate of incorporation dated 5th July, 2018 issued by the Registrar of Companies, Delhi. For further details of incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" and "Our History and Corporate Structure" beginning on pages 54 and page 148 respectively of the Prospectus.

Corporate Identification Number: U31900DL2009PLC195174
Registered Office: 45, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi 110020
Work: Factory at Khasra No. 105-106 Raipur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee 247667 **Tel:** 011 66058952
Email: info@wonderfibromats.com **Website:** www.wonderfibromats.com
Contact Person: Ms. Nikita, Company Secretary & Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY
MR. HARSH KUMAR ANAND, MR. YOGESH ANAND AND MR. YOGESH SAHNI

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 22,24,000 EQUITY SHARES OF A FACE VALUE OF RS. 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF WONDER FIBROMATS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "WFL" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 90/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 80 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 2,001.60 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,12,000 EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF RS. 90 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 100.80 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 90 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 1,900.80 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.55% AND 25.22%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED JULY 02, 2019

ISSUE CLOSING DATE EXTENDED TO MONDAY; JULY 29, 2019*
PRICE REVISED AT Rs. 89/- PER EQUITY SHARE

* The issue opened on Monday; July 22, 2019 and was scheduled to close on Wednesday; July 24, 2019, pursuant to the disclosure made in the prospectus dated July 02, 2019 filed with the Registrar of the Companies, Delhi, ("The ROC"), NSE Emerge and SEBI. All capitalized term used in the notice shall, unless the context otherwise requires, has the meaning ascribed in the Prospectus dated July 02, 2019.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10.00 EACH AND THE ISSUE PRICE OF RS 89.00 IS 8.90 TIMES OF THE FACE VALUE

THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER.

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 22,24,000 EQUITY SHARES OF A FACE VALUE OF RS. 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF WONDER FIBROMATS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "WFL" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 89/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 79 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 1,979.36 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 1,12,000 EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF RS. 89 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 99.68 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,12,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 89 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 1,879.68 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.55% AND 25.22%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM

For **Wonder Fibromats Limited**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Harsh Kumar Anand
Managing Director

Date: 24.07.2019
Place: Delhi

Wonder Fibromats Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.navigantcorp.com, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com/emerge, and website of the Issuer Company at www.wonderfibromats.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

कार्यालय
आयकर आयुक्त (न्यायिक)
कमरा सं. 162-A, के.रा. भवन, नई दिल्ली

दूरभाष/ फैक्सः 23379308
ई मेलः delhi.cit.judicial@income tax.gov.in

फा.सं.आ.आ. (न्या.)(रा.क.वि.अ.)/मामले/2019-20/448 दिनांकः 19 जुलाई, 2019

रा.क.वि.अ. (NCLT) के मामलों में सुनवाई से संबंधित नोटिस

निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को रा.क.वि.अ. (NCLT) के मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए नोटिस दिया जाता है जो इन कंपनियों के पुनरुद्धार से संबंधित है, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (**National Company Law Tribunal**) सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका में कॉलम संख्या 4 में उल्लिखित तिथि में सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है:

क्रम सं.	मामला सं. व मामला शीर्षक	निदेशकों का नाम और उनका डीआईएन यदि उपलब्ध हो	सुनवाई की अगली तिथि
1.	अपील सं. 1265/ 252/ एनडी/ 2018 आयकर अधिकारी वार्ड 19 (1), नई दिल्ली बनाम आरओसी (ROC) (मैसर्स वन इज हन्ड्रेड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., पैनः AABCO2393N) पंजीकृत कार्यालयः C-23/2, प्रथम तल, मिडल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	1. पलूरू लक्ष्मी, डीआईएनः 02529538, 1-24-103/ 1, लोथकुन्ता इंदिरा नगर, वार्ड 8, अलवल रंगारेड्डी- 500011, आंध्र प्रदेश 2. पलूरू शिवा चारी, डीआईएनः 02529565, पी.नं. 198, बल्कमपेट अमीरपेट हैदराबाद-500016	22.08.2019
2.	अपील सं. 957/ 252/ एनडी/ 2018 आयकर अधिकारी वार्ड 19 (4), नई दिल्ली बनाम आरओसी (मैसर्स पिजन आईटी साल्यूशन प्रा.लि., पैनः AAFCP6816P) पंजीकृत कार्यालयः A-262, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025	1. शिवा नगेन्द्र नवूलूरी, डीआईएनः 01836361, प्लॉट नं. 32, आदित्य फोर्ट व्यू विलॉस, पुप्पलगुडा, मनीकॉडा राजेन्द्र नगर, केबी रंगा रेड्डी- 500089, तेलंगाना 2. सैयद मुख्तार अल्ली, डीआईएनः 02960398, A-262, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली- 110025	01.08.2019
3.	अपील सं. 983/ 252/ एनडी/ 2018 आयकर अधिकारी वार्ड 23 (3), नई दिल्ली बनाम आरओसी (मेसर्स श्री धनेश मॉर्केटिंग्स प्रा.लि., पैनः AAMCS5046F) पंजीकृत कार्यालयः 67 डीएसआईडीसी कॉम्पलेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002	1. जितेन्द्र कुमार सैनी, डीआईएनः 02090728, कैलाश नगर रेवाडी रोड, नारनौल, हरियाणा-123001 2. पुष्पा शर्मा, डीआईएनः 02090736, म.न. 708, हॉउसिंग बोर्ड, नारनौल, हरियाणा-123001	01.08.2019
4.	अपील सं. 1230/ 252/ एनडी/ 2018 आयकर अधिकारी 25 (1), नई दिल्ली बनाम आरओसी (मैसर्स तथागत मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पैनः AADCT5934E), पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट सं. 31, पटपड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092	1. यज्ञवालक्या सिंह, डीआईएनः 03170070 C-45, बटलर पैलेस, जोपलिंग रोड लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश 2. जिज्ञासा सिंह, डीआईएनः 03170070, मकान सं.-02, सेक्टर 14A, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश जय प्रकाश सिंह, डीआईएनः 03246777, 605, प्रथम विंग, गोकुल गार्डन, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली ईस्ट, मुम्बई-400101	09.08.2019
5.	अपील सं. 285/ 252/ एनडी/ 2019 आयकर अधिकारी वार्ड 17(4), नई दिल्ली बनाम आरओसी (नवरूप पैकर्स प्रा. लि. पैनः AACCN0587C)	1. बालेश्वर प्रसाद शर्मा, (डीआईएनः 00217189) 2. हेमंत कुमार, (डीआईएनः 01282299)	05.08.2019

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से, उपर्युक्त कंपनियों के प्रधान अधिकारियों/ निदेशकों को सूचित किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने से संबंधित मामलों में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष ऊपरलिखित नियत तिथि को सुनवाई में उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपर्युक्त दिनों में उपस्थित न होने की स्थिति में आपकी अनुपस्थिति में ही मामले की सुनवाई होगी और फैसला किया जाएगा।

भवदीया
हस्ता./-
(योगिता शर्मा)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)-3, नई दिल्ली

davp 15403/11/0005/1920

संकट और सवाल

कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जद (सेकु)-कांग्रेस गठबंधन सरकार सदन में विश्वासमत हासिल नहीं कर पाई और आखिरकार गिर गई। अब नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। लेकिन राज्य में पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव के बाद से, खासतौर पर पिछले बीस-पच्चीस दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम चला है, वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न तो है ही। गठबंधन सरकार में मंत्रियों की नाराजगी, विधायकों का बागी होना, मंत्री पद के लिए दबाव की राजनीति, मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे, मामले को फंसाए रखने के लिए अदालत का सहारा लेना और कानूनी दांवपेच के जरिए संकट को और बढ़ाने जैसे जितने भी घटनाक्रम देखने को मिले, उन सबसे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि आपस में लड़ने और सिर्फ सत्ता हथियाने की जुगत में लगे रहेंगे तो सरकारें जनता के लिए काम क्या करेंगी, विकास संबंधी काम कैसे होंगे, सरकारें कैसे जन-आकांक्षाओं पर खरी उतरेंगी? इस तरह की उठापटक की राजनीति के बीच कर्नाटक में पिछले एक साल में सरकार ने क्या कोई ऐसा उल्लेखनीय काम किया जो सीधे जनता के हितों से सरोकार रखता हो? क्या यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है?

कर्नाटक में राजनीतिक संकट की नींव विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही पड़ गई थी। यह तभी तय हो गया था कि जो भी सरकार होगी, वह जोड़-तोड़ के सहारे ही चलेगी। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से ये स्थिति बनी थी। शुरू में भाजपा विधायक दल के नेता येदियुरप्पा मुख्यमंत्री तो बन गए थे लेकिन छह दिन बाद वे भी विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए थे। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से जद(सेकु) के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। हाल में संकट तब खड़ा हुआ जब छह जुलाई को कांग्रेस के नौ और जद (सेकु) के तीन विधायक बागी हो गए और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप दिए। इसके दो दिन बाद सभी मंत्रियों ने भी अपने-अपने पार्टी नेताओं को इस्तीफे थमा दिए। मंत्री पद पर रहे दो निर्दलीय विधायकों ने भी इस्तीफा देकर भाजपा के साथ जाने का एलान कर दिया। संकट तब और गहरा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में यह कह दिया कि पंद्रह बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया कि तब पार्टी व्हिप का क्या मतलब रह जाएगा! अगर कोई विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?

कुमारस्वामी ने 18 जुलाई को विश्वासमत पेश किया था। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए तीन बार समय सीमा तय की, लेकिन विश्वासमत नहीं हो पाया। मंगलवार शाम विश्वासमत पर हुए मतदान में कुमारस्वामी सरकार के समर्थन में निन्यानवे और विरोध में एक सौ पांच वोट पड़े। सवाल है, अब आने वाले दिनों में क्या होगा? जैसे हालात हैं उसमें तो यही लग रहा है कि जिस संकट का सामना कुमारस्वामी को करना पड़ा, नए मुख्यमंत्री भी उससे बचे नहीं रहेंगे। अगली सरकार भी चुनिंदा विधायकों की मेहरबानी पर टिकी होगी। इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर आरोप विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर लगे हैं। सरकारें गिराने-बनाने के खेल में विधायकों की खरीद-फरोख्त कोई नई बात नहीं है। पैसे और पद के लालच में जनप्रतिनिधि किस तरह से अपने 'अंतर्मन की आवाज' पर फैसले करते हैं और 'नैतिकता' की दुहाई देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके 'अंतर्मन की आवाज' मतदाता के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। जनप्रतिनिधियों का ऐसा चरित्र जनादेश का अपमान होता है। कर्नाटक में यही हुआ है।

उड़नपरी हिमा

प्रतिभा का रास्ता कांटों भरा हो सकता है, कुछ समय तक के लिए बाधित दिख सकता है, लेकिन उसे अपने मुकाम तक पहुंचने से स्थायी तौर पर रोका नहीं जा सकता। महज इक्कीस दिनों के भीतर हिमा दास ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छह स्वर्ण पदक हासिल कर यह साबित कर दिया है कि देश में प्रतिभाओं और क्षमताओं की कमी नहीं है। बस उन्हें वक्त पर थोड़ी दिशा मिल जाए तो खेलों की दुनिया में देश का नाम सोने की तरह चमकते अक्षरों में दिखेगा। हाल में पोलैंड और चेक गणराज्य में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के तहत अलग-अलग दौड़ स्पर्धाओं में हिमा दास एक के बाद एक लगातार अव्वल नंबर पर आईं और छह स्वर्ण पदक जीते। हिमा ने दो सौ और चार सौ मीटर की दौड़ स्पर्धा में नए कीर्तिमान बनाए। यों किसी भी खिलाड़ी के इस तरह लगातार अव्वल आने पर दुनिया का ध्यान जाना लाजिमी है। यह बेवजह नहीं है कि भारत में न केवल शीर्ष स्तर के नेताओं और खिलाड़ियों ने हिमा दास को शुभकामना दी, बल्कि बाकायदा राज्यसभा की ओर से उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी गई और उन्हें पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया गया।

यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आज देश में एक प्रेरणा के रूप में देखे जाने और यहां तक के सफर से पहले महज उन्नीस साल की हिमा दास का सफर कोई आसान नहीं रहा है। एक दौर था जब उनका परिवार इस स्तर के अभाव से जूझ रहा था कि हिमा के पास दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। वे अपने स्कूल के दिनों में लड़कों की टीम में फुटबॉल खेलती थीं और अपना भविष्य इसी खेल में देख रही थीं। लेकिन एक शिक्षक की सलाह पर उन्होंने दौड़ना शुरू किया और बाद में अपने कोच की मदद से वे पहली अंतर-जिला स्तर की दौड़ प्रतियोगिताओं में हवा में उड़ने की तरह सबसे आगे रही थीं और इतनी कम उम्र में अपनी प्रतिभा से सबको चौंका रही थीं। उसी दौरान वे 'ढिंग एक्सप्रेस' के तौर पर मशहूर हो गईं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी कुछ ही समय बाद अपनी धमक स्थापित कर दी। यह सही है कि अभी उन्हें लंबा सफर तय करना है, लेकिन आज वे दौड़ की दुनिया में एक सितारे की तरह चमक रही हैं तो बेशक यह उनकी मेहनत, लगन और क्षमताओं का हासिल है। लेकिन सच यह भी है कि उनके कोच निपोन ने उनकी प्रतिभा को वक्त पर पहचाना और जिद के तौर पर अपनी सीमा में उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया।

हिमा के व्यक्तित्व की एक खूबसूरत खासियत यह है कि हाल में अपने प्रदर्शनों के बूते उन्हें जो आय हुई, उसका आधा उन्होंने अपने गृह-राज्य असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए दे दिया। वे आज भी अपने पुराने अभाव के दिनों को याद करके भावुक हो जाती हैं। हमारे देश में यह विडंबना लंबे समय से बनी है कि दूरदराज के इलाकों में गरीब परिवारों के कई बच्चे अलग-अलग खेलों में अपनी बेहतरीन क्षमताओं के साथ स्थानीय स्तर पर तो किसी तरह उभर गए, लेकिन अवसरों और सुविधाओं के अभाव में उससे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन इसी बीच कई उदाहरण सामने आए, जिनमें जरा मौका हाथ आने पर उनमें से किसी ने दुनिया से अपना लोहा मनवा लिया। हिमा दास उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने बहुत कम वक्त के दौरान अपने दम से यह साबित कर दिया कि अगर वक्त पर प्रतिभाओं की पहचान हो, उन्हें मौका दिया जाए, थोड़ी सुविधा मिल जाए तो वे दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर सकती हैं।

कल्पमेधा

प्रसिद्धि की भूख महान व्यक्तियों की अंतिम कमजोरी है तो छोटे व्यक्तियों की प्रथम कमजोरी है।
-जॉन रस्किन

जवानों के संकट से जूझती पुलिस

संजय कुमार सिंह

ऐसा नहीं कि सिर्फ निचले स्तर पर पुलिसकर्मियों का टोटा हो, देश का पुलिस तंत्र अधिकारियों की कमी से भी जूझ रहा है। देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कुल चार हजार आठ सौ तियालीस पद अधिकृत हैं, लेकिन इनमें भी नौ सौ से ज्यादा पद खाली हैं। यह वह सूचना है जो संसद में दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि इस मामले में अभियान चला कर सभी पदों को भरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और देश में पुलिस की कमी तत्काल दूर करनी चाहिए।

हाल में खबर आई कि देश में साढ़े पांच लाख से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों के पद खाली पड़े हैं। यह आंकड़ा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (बीपीआरडी) ने जारी किया है। यह वाकई चौंकाने वाली खबर है। इससे पता चलता है कि देश की कानून-व्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक का जिम्मा संभालने वाला पुलिस महकमा किस दयनीय हालत में काम कर रहा होगा। इसीलिए ज्यादातर राज्यों में अपराधों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं और जब सबसे ज्यादा बदतर कानून-व्यवस्था वाले राज्यों की सूची बनती है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश ही सबसे ऊपर आता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में हत्याओं से लेकर गैंगवार और वसूली जैसे काम हो रहे हैं। ये घटनाएं प्रदेश की कानून-व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। राजधानी दिल्ली भी इस समस्या से अछूती नहीं है।

वैसे तो ज्यादातर सरकारी महकमों की हालत यही है कि कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं और कामकाज पर असर पड़ रहा है। लेकिन पुलिस वालों की कमी का सीधा असर कानून-व्यवस्था से लेकर यातायात, जान-माल की सुरक्षा और आमजन से जुड़ी सेवाओं पर पड़ता है। यही नहीं, सड़क दुर्घटना और विभिन्न अपराधों में घायल लोगों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने का काम और जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही है। इसलिए दूसरे विभागों में कर्मचारियों की कमी से मुमकिन है काम न हो, पर पुलिस वालों की कमी का मतलब है कानून-व्यवस्था पर सीधा असर पड़ना। पुलिस के चुनौतीभरे काम और उसकी जरूरत के मद्देनजर देशभर में पुलिस वालों की संख्या स्वीकृत पदों के मुकाबले कम होना चिंताजनक है। एक जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार देश भर में पुलिसकर्मियों के पांच लाख तियालीस हजार पद खाली थे। इनमें सबसे ज्यादा एक लाख उनतीस हजार पद उत्तर प्रदेश में खाली थे। नगालैंड देश का अकेला ऐसा राज्य है, जहां पुलिस वालों की संख्या मानक से ज्यादा है। बीपीआरडी के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में पुलिस वालों के 24,84,170 पद घोषित हैं। एक जनवरी 2018 को इनमें से 19,41,473 पद भरे हुए थे।

पुलिस वालों के खाली पदों से संबंधित जो खबरें आई हैं, उनके मुताबिक एक जनवरी 2017 को पुलिस वालों के कुल पांच लाख अड़तीस हजार पद खाली थे और 2018 में यह संख्या बढ़ कर पांच लाख तियालीस हजार हो गई थी। 2016 में खाली पदों की संख्या सबसे ज्यादा साढ़े पांच लाख थी। कानून-व्यवस्था से लेकर यातायात संभालने के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों की कमी देश भर में कई सालों से है। पिछले साल एक जनवरी की स्थिति के अनुसार पुलिस वालों की कमी के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार (50291), पश्चिम बंगाल (48981), तेलंगाना (30345) और महाराष्ट्र (26196) का नंबर आता है।

राज्यों की बात फिर भी अलग है। राजधानी दिल्ली में पुलिसकर्मियों की कमी होना ज्यादा गंभीर है। बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति यहां पुलिस वालों की संख्या देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा रखी गई है। लेकिन पद खाली हों तो मकसद ही पूरा नहीं होगा। जून 2018 में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृहराज्य मंत्री ने कहा था कि दिल्ली पुलिस में (जून 2018 में) बारह हजार से ज्यादा पद खाली हैं। दिलचस्प यह है कि दिल्ली में पुलिस वालों के जो पद खाली थे, उनमें संयुक्त पुलिस आयुक्त के भी तीन पद शामिल थे। राजधानी की पुलिस वैसे भी विशेष है और सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। फिर भी इसमें हेड कांस्टेबल के तीन हजार दो सौ उनयासी और उपनिरीक्षक के डेढ़ हजार पद खाली हों तो यह चिंता का विषय बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ निचले स्तर पर पुलिसकर्मियों का टोटा हो, देश का पुलिस तंत्र अधिकारियों की कमी से भी जूझ रहा है। देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कुल चार हजार आठ सौ तियालीस पद अधिकृत हैं, लेकिन इनमें भी नौ सौ से ज्यादा पद खाली हैं। यह वह सूचना है जो संसद में दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि इस मामले में अभियान चला कर सभी पदों को भरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और देश में पुलिस की कमी तत्काल दूर करनी चाहिए।

पुलिस, खासकर दिल्ली तथा महानगरों की पुलिस को एक और जो महत्त्वपूर्ण व ज्यादा जोखिम भरा काम करना होता है, वह है आतंकी हमलों व अपराधियों से संबंधित खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करना। कर्मचारी कम होंगे तो ऐसे मामलों में लापरवाही बरती जाएगी। यह तथ्य है कि जब भी आतंकी घटनाएं या सामूहिक अपराध या बलात्कार जैसी वारदातें होती हैं तो दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह विषय सिर्फ चर्चा तक सीमित रह कर कहीं खो जाता है।

जब देश की राजधानी की यह हालत है तो बाकी राज्यों और दूर-दराज के शहरों की क्या बात की जाए! पुलिस बल की सबसे बड़ी समस्या कठिन और जोखिमपूर्ण हालात में काम करना है। पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलना, रहने और काम की खराब स्थिति की चर्चा होती रहती है। पुलिस वालों को मिलने वाली सुविधाओं की हालत यह है कि ज्यादातर राज्यों में तो उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। हरियाणा से खबर थी कि थानों में पुलिस वालों की इतनी कमी है कि सरकार ने नई भर्तियों के साथ-साथ आइआरबी (इंडियन रिजर्व बटालियन) के जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया था। हरियाणा के उस समय के पुलिस महानिदेशक ने इस आशय का प्रस्ताव दिया था जिसे सरकार ने मान लिया था। अब आइआरबी में डेढ़ दशक तक सेवाएं देने वाले पुलिस जवानों की हरियाणा के पुलिस थानों में तैनाती होगी। हरियाणा में लंबे समय से पुलिस कर्मचारियों की कमी चल रही है। राज्य की आबादी के लिहाज से करीब पच्चीस हजार पुलिसकर्मियों की जरूरत है। आइआरबी की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसका खर्च भी केंद्र सरकार ही वहन करती है। बटालियन के गठन के लिए यह शर्त रहती है कि केंद्र सरकार जहां चाहे इस बटालियन का उपयोग कर सकती है। इस बल का गठन राज्यों में सीआरपीएफ या अन्य केंद्रीय बलों पर से निर्भरता खत्म करने के लिए किया जाता है। हरियाणा सरकार पहले ही महिला बटालियन की मांग केंद्र से कर चुकी है। भारत सरकार ने 1971 में भारतीय रिजर्व बटालियन योजना की शुरुआत की थी। अब तक विभिन्न राज्यों में एक सौ तिरपन आइआर बटालियनों के गठन की मंजूरी हो चुकी है। इनमें से एक सौ चवालीस बटालियनें गठित की जा चुकी हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की दिशा में कदम उठाया। इसके अनुसार प्रदेश में फील्ड में तैनात पुलिस वालों की संख्या इतनी ज्यादा (करीब छप्पन हजार) है कि रोजाना आठ हजार स्टाफ साप्ताहिक अवकाश पर रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि साप्ताहिक अवकाश देने के लिए अकेले मध्यप्रदेश में आठ हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एसएएफ, पीटीएस और होमगार्ड शाखा से आठ हजार कर्मी लेना तय किया है। इससे पहले भी पुलिस वालों को दो बार साप्ताहिक अवकाश देने की कवायद हुई थी पर उसे लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में कल्पना की जा सकती है कि पुलिस में कर्मचारियों की कमी की समस्या कितनी गंभीर है और साप्ताहिक अवकाश देने जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करना कितना मुश्किल है। फिर भी यह काम होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है।

गांव की खुशबू

कुलीना कुमारी

दुनिया मेरे आगे

हाल ही में कुछ दिन एक ग्रामीण इलाके में रहने का अवसर मिला। मेरी यह अवधि मूसलाधार बारिश के बीच कटी। इसके बावजूद ग्रामीण इलाके में पर्व-त्योहार के नाम पर ऐसी एकजुटता देखी कि मैं दंग रह गई। लोग बारिश से बेपरवाह भीगते हुए भी उस समय मनाए जाने वाले उत्सव में हर स्तर पर अपनी भागीदारी कर रहे थे और आसपास मौजूद लोगों के साथ शामिल हो रहे थे। हां, बारिश की वजह से जो थोड़ी असुविधा हो सकती थी, वह हो रही थी। इससे इतना तो समझ आया कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के भीतर बहुत सरलता, निश्छलता और अपनापन है। लेकिन इनके बरक्स समाज में जो कुछ खुराफाती और अराजक लोग होते हैं, वे भोले-भाले या सीधे-सादे लोगों के निश्छल स्वभाव को गलत दिशा में मोड़ कर कभी-कभी दंगा-फसाद करा देते हैं।

इस सबके बावजूद प्राकृतिक रूप से अभी भी हमारे गांवों में मिट्टी, भोजन के आधार के रूप में किसानी और भारत की खुशबू नजर आती है। नए लोगों को देख कर वे ऐसे पूछते हैं जैसे उनके बारे में जानना, उनकी आवभगत करना और भटके राही हों तो सही जगह तक पहुंचाना उनका विशेष कर्तव्य हो। इसी ग्रामीण इलाके में मेरी एक परिचित अनजान होने की वजह से गंतव्य से करीब तीन किलोमीटर पीछे उतर गई थी। लेकिन इस बीच उसने एक व्यक्ति से अपनी परेशानी क्या बताई, वह उसे घर तक छोड़ आया। ऐसी कितनी ही बातें शहरी लोगों को ग्रामीण इलाके में आने पर महसूस हुई होंगी जो उनके मिट्टी से जुड़े होने का अहसास कराती हैं, शहरी लोगों के मुकाबले ज्यादा मानवीय होने का परिचय देती हैं।

सही है कि गांवों में शहरों जैसी तकनीक नहीं आई है, लेकिन आवश्यकता भर सुविधाएं यहां भी पहुंच गई हैं। लोग गांव में भी अब आमतौर पर गैस-चूल्हे का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे घरों में पंखा भी दिख जाता है और बिजली रहने पर टेलीविजन का प्रयोग भी। कुछ जगहों को छोड़ कर अधिकतर जगह सड़क भी बन चुकी है और आवाजाही के साधन भी मिलने लगे हैं। हालांकि आज भी देश में ऐसे इलाके हैं, जहां के लोग इन सब सुविधाओं से वंचित हैं। इसके अलावा, आमतौर पर जड़ समाजों के रूप में देखे जाने वाले गांवों में भी अब कई लोग प्रगतिवादी सोच वाले मिल जाते हैं। मेरे वहां के लोगों से मिलने-जुलने के क्रम में पता चला कि हाल ही में उस गांव के एक चाचा ने रिश्ते में लगने वाली अपनी ही भतीजी के प्यार में पड़ कर आपसी सहमति से विवाह कर लिया। शुरुआत में इस खबर ने गांव भर में खलबली मचा दी थी। बेशक उस परिवार का गांव वालों ने शुरू में बहिष्कार कर दिया था, लेकिन उस प्रेमी जोड़े की जान नहीं ली। धीरे-धीरे सब सहज हो गया। यह सब गांव वालों के बीच बढ़ती प्रगतिशील सोच का प्रतीक है।

इसके बावजूद इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि रोजी-रोटी की तलाश में बड़ी संख्या में लोग आज भी गांव से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि शहरों जैसी फैक्ट्रियां या नौकरी करने की जगहें वहां नहीं हैं, जहां लोग कमा सकें और परिवार चला सकें। इसीलिए कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर उनके बेटे के प्रवासी होने की पीड़ा और दुख मौजूद था। शहरी कमाऊ बेटा साथ नहीं रह सकता तो न रहे, लेकिन पैसा तो भेजे हर महीने। यह कहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आखिर वे क्या करें! गांव के अंचल में रहने वाले पुत्र के सिवा शहरी बेटा-बहू उनको रखने या जिम्मेदारी लेने के लिए ही तैयार नहीं था।

सोचने वाली बात है कि कितनी भूख है शहर में कि वहां इंसान ढेरों कंपनियां, फैक्ट्रियां और कमाई के साधन होने के बावजूद तृप्त ही नहीं हो रहा है। उसे और चाहिए। वह सिर्फ पाना चाहता है, लेकिन अपने मां-बाप के प्रति कर्तव्यच्युत होने से उसे परहेज नहीं। वह बांटना नहीं चाहता। ठीक है कि शहरीकरण ने व्यक्ति को आत्मकेंद्रित होना सिखाया है। इसी बीच प्रगति की रफ्तार बढ़ गई है। लोग अपने मन से जी पा रहे और स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पैदा किया, जिनकी बदौलत खड़े हुए, उन्हें भुला कर जीवन जीना उचित तो नहीं।

मैंने गौर किया है कि इंसान कितना भी स्वार्थी क्यों नहीं हो, लेकिन अंतिम समय में जैसे उसे अहसास हो जाता है कि जीवन का असली मतलब अपनों के संग मिल कर जीना है। शहरी चकाचौंध में खुद को डुबो लेना या किसी चीज को पकड़े रहना क्या खराब नहीं है? जबकि होना यह चाहिए कि गांव की मिट्टी में पले लोग शहर से अच्छी चीज सीख कर गांव में लौटें और प्रयोग करें और गांव को भी उन्नत बनाने में सहयोग करें। यह इसलिए भी जरूरी है कि मनुष्य सांस जमीन पर लेता है तो जीते-जी उसे जन्मदाता को और अपनी मिट्टी को नहीं भूलना चाहिए।

प्रकृति के साथ

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा था, 'प्रकृति की मेज सीमित संख्या में अतिथियों के लिए सजाई गई है। जो बिन बुलाए आएंगे वे भूखों मरेंगे।' इसका अर्थ हम दो रूपों में लगा सकते हैं। पहला, भोजन की आपूर्ति और दूसरा, प्राण वायु आक्सीजन की आपूर्ति। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। बढ़ती जनसंख्या के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन की आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण में जीवन, जो आज भी पूर्णरूप से सर्वत्र संभव नहीं है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह होने वाली है। इस संदर्भ में हाल ही में 'मूडी एनालिटिक्स' द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का आकलन अत्यंत चिंताजनक है। इसके नतीजे रेखांकित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन का मूल कारण है पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण का बढ़ता स्तर ही मौसम की अनियमितता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारक है। तापमान में वृद्धि का सबसे प्रतिकूल असर कृषि पैदावार पर पड़ेगा जिससे देश को गेहूं, मक्का व अन्य फसलों की कम पैदावार की मार झेलनी पड़ेगी।

दरअसल, अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो न्यूनतम उपभोग के सिद्धांत को अपनाना होगा। हम दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक तमाम ऐसी चीजों का उपभोग करते हैं जो अत्यावश्यक नहीं हैं। जिनके बिना भी हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है लेकिन अंशतः आदतन तो कभी-कभार दिखावे के लिए भी ऐसी चीजों का प्रयोग हम करते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। जैसे, आदतन बाहर निकलते ही पानी की बोतल खरीदना, जिसे हम घर से लेकर भी जा सकते हैं। हर छोटी चीज के लिए दुकानदार से प्लास्टिक की थैली की मांग करना, सार्वजनिक परिवहन सुविधा होते हुए भी अपनी कार से चलना या जरूरत न होने पर भी एयर कंडीशनर चलाना।

कागज हो या प्लास्टिक, दोनों का उपयोग प्रकृति के लिए हानिकारक है। एक के निर्माण में पेड़ों की बलि दी जाती है तो दूसरे के निपटारे में पर्यावरण की। सुबह से शाम तक ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग गैर-जरूरी है लेकिन हम आदतन मजबूर हैं। हमें अपनी आदत बदलनी होगी। उपभोग सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का करना होगा जिनकी आवश्यकता होगी, न कि इच्छा। जरूरत और इच्छा के अंतर को समझना होगा।

● *शुभेंद्र सिंह, नई दिल्ली*

स्वर्ण परी

हिमा दास भले ही मुंह में चांदी की चम्मच लिए न पैदा हुई हों लेकिन पैरों से सोना रौंदने की काबिलियत रखती हैं। देश एक तरफ जहां बेटियों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है तो वहीं हिमा बेफिक्री से दुनिया को पैरों से नापने चल पड़ी हैं। एक पखवाड़े में छह स्वर्ण पदक झटकना कोई बच्चों का खेल नहीं मगर हिमा ने यह कारनामा कर दिखाया। आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। हिमा की सफलता को सलाम।

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची*

अनुत्तरित प्रश्न

आखिरकार कर्नाटक में पिछले बीस दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक का एक और नाटकीय अध्याय मंगलवार को संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाला कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सदन में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहा। निवर्तमान सरकार के पक्ष में 99 और विपक्ष में 105 मत पड़े। इसी के साथ कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य छिटक गया। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में करारी शिकस्त के बाद से ही संगठनात्मक ढांचे में तालमेल और राष्ट्रीय नेतृत्व के अभाव से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह घटनाक्रम किसी गंभीर आघात से कम नहीं है।

साफ तौर पर कहें तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी फिलहाल 'रसातल' में चली गई है, जहां से उसे 'धरातल' पर आने का रास्ता मालूम नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के नजरिये से यह विश्वास मत देर आए दुरुस्त आए कहावत के चरितार्थ होने जैसा है। गौरतलब है कि राज्य के 2018 विधानसभा चुनावों में भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में खंडित जनादेश के अंतर्गत उपजे गठबंधन के चलते भाजपा राज्य में सरकार बनाने से चूक गई थी।

खैर, कर्नाटक में जो हुआ उससे लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यापक स्तर पर नैतिक पतन जरूर हुआ है जिसके चलते हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रश्नचिह्न जरूर लगा है। इस पूरे घटनाक्रम में दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, खरीद-फरोख्त जैसे नकारात्मक राजनीतिक पहलू अब अलग श्रेणी के ही शब्द नजर आते हैं। यह पहली दफा नहीं है जब विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक मूल्यों का पतन हुआ हो। इससे संदेह होता है कि कहीं हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी सुभेद्य तो नहीं कि उसमें सवाल तो हमें पता हैं लेकिन जवाब नहीं...!

● *केशव शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है :
chaupal.jansatta@expressindia.com

उलटा दांव

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता व कश्मीर के संबंध में मनमाना बयान एक सोची-समझी साजिश लगती है। ट्रंप आगामी चुनाव को देखते हुए यह दांव खेल कर अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत द्वारा रूस से एस- 400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली का सौदा समाप्त न करना भी अमेरिका को चुभ रहा था जिसे लेकर उसने विदेश मंत्रालय को कई बार चेताया पर भारत सरकार के कठोर निर्णय के कारण उसकी दाल नहीं गली। भारत को सुरक्षित व संपन्न बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अमेरिका की धमकियों की भी कोई चिंता नहीं की। यही कारण है कि कश्मीर मामले में एक नया राग अलाप कर अमेरिका पाकिस्तान के बहाने भारत पर तीर तान रहा है पर अब यह पैंतरा काम नहीं आएगा।

भारत पर अब उसकी गीदड़ भभकियों का कोई असर नहीं होगा। भारत सरकार ने तुरंत इस बयान के विरोध में संदेश भेजा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है लिहाजा, इसमें कोई अन्य देश कोई हस्तक्षेप न करे। ऐसे बयान ट्रंप और अमेरिका की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा हैं। भारत के कड़े रुख व अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने व्हाइट हाउस के माध्यम से बताया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं। भारत के वैश्विक जनाधार के कारण ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार, मध्यप्रदेश*

खेल कार्यक्रम

जर्मन ग्रांप्री	28 जुलाई
विश्व पुलिस और फायर गेम्स	28 जुलाई
एशेज श्रृंखला	1 अगस्त
ब्रिटिश ओपन	1-4 अगस्त
भारत का वेस्ट इंडीज दौरा	3 अगस्त

जन्मदिन

सीमा पूनिया	27 जुलाई
अरुण लाल	1 अगस्त
सुनील छेत्री	3 अगस्त
नरसिंह यादव	6 अगस्त
राजपाल सिंह	8 अगस्त

हिमा को हिमालय चूमने के लिए करनी होगी और मेहनत

संदीप भूषण

एक महीने के भीतर पांच स्वर्ण पदक जीतकर हिमा दास ने देश को गर्व का मौका दिया है। उन्होंने पहला और दूसरा पदक पोलैंड में आयोजित 200 मीटर स्पर्धा में जीता। इस दौरान उन्होंने क्रमशः 23.65 सेकंड और 23.97 सेकंड का समय लिया। इसके बाद चेक गणराज्य के अलग-अलग तीन प्रतियोगिताओं में उन्हें पीले तमगे से नवाजा गया। इसमें से दो 200 मीटर स्पर्धा में हिमा ने क्रमशः 23.42 और 23.25 सेकंड का समय निकाला। 400 मीटर स्पर्धा में उनका समय 52.09 सेकंड दर्ज किया गया। उनकी इस उपलब्धि के बाद देश में कुछ लोग जहां ओलंपिक में पदक की उम्मीद कर रह हैं तो कुछ लोग इसे सामान्य प्रदर्शन करार देते हुए मीडिया की सुर्खियों से बचने और अपने खेल को बेहतर करने की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों हिमा के इस प्रदर्शन को उस स्तर का नहीं माना जा रहा जिससे ओलंपिक में पदक जीता जा सके ?

दरअसल, हिमा दास ने जिन प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के मुताबिक वे उस स्तर की नहीं हैं जिनमें दिग्गज फर्राटा धावक भाग लेते हैं। इन पांचों प्रतियोगिताओं में से दो ई ग्रेड और दो एफ ग्रेड की प्रतियोगिताएं थीं। इसका मतलब है कि इसमें भाग ले रहे धावक भी ओलंपिक स्तर के नहीं थे। साथ ही जिस समय के साथ धिंग एक्सप्रेस ने ये पदक जीते वे उनके सर्वश्रेष्ठ से भी ज्यादा थे। उन्होंने जून 2018 में 200 मीटर में 23.10 का अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था वहीं 400 मीटर में 50.79 सेकंड के समय के साथ हिमा ने एशियाई खेलों में पदक जीता था। यही कारण है कि एथलेटिक्स से जुड़े ज्यादातर लोग उनके इस प्रदर्शन से खुश तो हैं लेकिन, वे यह नहीं मानते कि हिमा ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

आंकड़ों में कहां हैं हिमा

असम के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने वालीं हिमा दास के जज्बे और मेहनत का हर कोई कायल है। उन्होंने काफी तेजी से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। इस साल के शुरू में राष्ट्रीय कोच ने भी कहा था कि उनमें काफी प्रतिभा है। वे 400 मीटर में देश के लिए पदक की उम्मीद बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने समय को 52 सेकंड से कम करना होगा। हिमा ने इस बेहद कम समय में ही इस बाधा को भी पार कर लिया। जूनियर पूर्वी जोन का खिताब 55.8 सेकंड के समय के साथ जीतने वाली हिमा ने एशियाई खेलों में 50.79 सेकंड से रजत पदक जीता। 400 मीटर स्पर्धा में 18 साल की उम्र में यह कारनामा करने वाली वह पहली महिला थी। यहां तक कि दुनिया की सबसे तेज धावकों में शुमार जर्मनी की मारिटा कोच भी 18 साल की उम्र तक 51.60 सेकंड का समय निकाल पाई थीं। वहीं बाहामास के ओलंपिक चैंपियन शौन मिलर का भी इस उम्र में सर्वश्रेष्ठ 51.25 था।

हिमा अभी 400 मीटर स्पर्धा में नई हैं। इस लिहाज से उनके इन प्रदर्शन की काफी सराहना की जा रही है। हालांकि 2020 ओलंपिक को देखते हुए हमें इस पर भी ध्यान रखना होगा कि वे जो समय निकाल रही हैं उससे तोक्यो में पदक जीता जा सकता है या नहीं। भारत की नई उड़नपरी 400 मीटर में विश्व की 87वें नंबर की धावक है। वहीं 200 मीटर में उनका स्थान 122वां है। ओवरऑल रैंकिंग में वे 1250वें स्थान पर हैं। वहीं ओलंपिक में अब तक के प्रदर्शन से हिमा की तुलना करें तो वह कहीं नहीं ठहरतीं। ओलंपिक का 200 मीटर में सर्वश्रेष्ठ 21.34 सेकंड है तो 400 मीटर में 48.25। विश्व चैंपियनशिप की बात करें तो 200 मीटर में 21.63 सेकंड का रेकॉर्ड है और 400 मीटर में 47.99 सेकंड। इस लिहाज से उनके अभी के प्रदर्शन को तो कहीं से भी ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप के लिए सही नहीं कहा जा सकता।

पिछले पांच टूर्नामेंट में प्रदर्शन

स्थान	तारीख	स्पर्धा	समय (सेकंड)	पदक
पोजनान (पोलैंड)	जुलाई 2	200मीटर	23.65	स्वर्ण
कुटनो (पोलैंड)	जुलाई 7	200 मीटर	23.97	स्वर्ण
क्लाडो (पोलैंड)	जुलाई 13	200 मीटर	23.42	स्वर्ण
टाबोर (चेक गणराज्य)	जुलाई 17	200मीटर	23.25	स्वर्ण
पराग्वे (चेक गणराज्य)	जुलाई 20	400 मीटर	52.09	स्वर्ण

हिमा दास ने जिन प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के मुताबिक वे उस स्तर की नहीं हैं जिनमें दिग्गज फर्राटा धावक भाग लेते हैं। इन पांचों प्रतियोगिताओं में से दो ई ग्रेड और दो एफ ग्रेड की प्रतियोगिताएं थीं।

एथलेटिक्स

हिमा का सर्वश्रेष्ठ

स्पर्धा	समय (सेकंड)	तारीख
200 मीटर	23.10	जून 2018
400 मीटर	50.79	एशियाई खेल

ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप के रेकॉर्ड

ओलंपिक्स	200 मीटर	21.34 सेकंड
ओलंपिक्स	400 मीटर	48.25 सेकंड
विश्व चैंपियनशिप	200 मीटर	21.63 सेकंड
विश्व चैंपियनशिप	400 मीटर	47.99 सेकंड

तोक्यो ओलंपिक की उलटी गिनती शुरू, पदकों का हुआ दीदार

एशियाई महाद्वीप में 12 साल बाद होने वाले तोक्यो ओलंपिक की उलटी गिनती शुरू हो गई है और इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह से ठीक एक साल पहले बुधवार को यहां पहली बार इसके स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया।

जापान की राजधानी में प्रशंसकों, प्रायोजकों और राजनीतिज्ञों ने विभिन्न समारोह में हिस्सा लिया। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं और घड़ी 365 दिन शेष दिखा रही थी। तोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2020 को होगा।

ओलंपिक 1976 में तलवारबाजी के स्वर्ण पदक विजेता और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के अध्यक्ष थामस बाक ने स्कूली बच्चों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। जापान ने इन खेलों की मेजबानी पर लगभग 20 अरब डॉलर खर्च किए हैं हालांकि ओलंपिक आयोजन पर होने वाले खर्चों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। खेलों के लिए आठ नये स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं जिनमें से पांच पर काम समाप्त हो गया है। नेशनल स्टेडियम एक अरब 25 करोड़ डालर की लागत से तैयार किया गया है जिसे इस साल के आखिर तक खोल दिया जाएगा।

तोक्यो में आइओसी समन्वयक दल के प्रमुख जॉन कोटेस ने कहा, 'उत्साह लगातार बढ़ रहा है। आप टिकटों की बिक्री में अभूतपूर्व दिलचस्पी से इसका अनुमान लगा सकते हैं।' जापानी लोगों की टिकटों की मांग आपूर्ति से दस गुना या इससे अधिक है। विदेशों से भी टिकटों की भारी मांग है। जापान में हाल में अनधिकृत तरीके से टिकटों की फिर से बिक्री करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था और तमाम खामियों के बीच इस कानून की असली परख होगी।

तैयारी

तोक्यो की ओलंपिक तैयारियां आखिर चरण में प्रवेश कर गई हैं। कोटेस ने हालांकि तैयारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'हमें बहुत खुशी है कि खेलों के लिए तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

आयोजक तोक्यो की गर्मियों से निपटने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि इस बार यहां बारिश हुई। यातायात और भीड़ भी एक चिंता है। आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा, 'इस साल तोक्यो का मौसम अच्छा रहा। यह पिछले साल की तुलना में बहुत भिन्न था।' मोरी ने कहा कि जापान के शासक नौरहितो ने तोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक का मानद संरक्षक बनना स्वीकार कर लिया है। संभावना है कि ओलंपिक और पैरालंपिक के शुरू होने की घोषणा भी नौरहितो ही करेंगे।

तोक्यो के गवर्नर युरिको कोइके से कुछ दिन पहले ओलंपिक पर किए गए अरबों के खर्चे को सही ठहराने के लिए कहा गया था। आयोजकों पर लागत में कटौती करने के लिए दबाव था और उन्होंने कहा कि मौजूदा स्टेडियमों का उपयोग करके उन्होंने अरबों डालर बचाए हैं। तोक्यो में आठ नए स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं लेकिन वह 35 अस्थायी या पुराने स्टेडियमों का उपयोग कर रहा है।

ओलंपिक समाप्त होने के बाद 25 अगस्त 2020 से पैरालंपिक शुरू होंगे। तोक्यो ने इससे पहले 1964 में ओलंपिक का आयोजन किया था जबकि एशिया महाद्वीप में आखिरी ओलंपिक 2008 में बेजिंग में हुए थे। (**भाषा**)

1

2

तोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में अब 365 दिन रह गए हैं। बुधवार को ओलंपिक समिति ने जापान के तोक्यो स्टेशन के सामने एक घड़ी का उद्घाटन किया जिसमें ओलंपिक की उलटी गिनती दिखेगी। दूसरी तस्वीर में पदकों का अनावरण करते अधिकारी।

निशाना चूके ना

हांगकांग के एक स्टेडियम में बुधवार को एक मैत्री मैच के दौरान गेंद को कब्जे में लेने की कोशिश में मैनचेस्टर सिटी और किचे का खिलाड़ी।

जीत से विश्वकप में नगीना जड़ने उतरेगा इंग्लैंड

मनीष कुमार जोशी

हाल ही में संपन्न विश्व कप में न्यूजीलैंड को हराकर मेजबान इंग्लैंड चैंपियन बना। क्रिकेट के जन्मदाता कहे जाने वाले इस देश को विश्व विजेता बनने में लगभग 45 साल साल लग गए। अंग्रेज अपने इस प्रदर्शन पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि अब वे इस खेल के बादशाह हैं। हालांकि उन्होंने इस जीत का जश्न किसी खास तरीके से नहीं मनाया। अगर कोई दूसरा देश होता तो मुमकिन था कि कई दिनों तक इस जीत का जश्न मनाया जाता। ईयोन मोर्गन की अगुवाई वाली टीम को इस जीत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में रखना स्वीकार नहीं है। उन्हें अब भी एक बेहतरीन टूर्नामेंट और उसमें खिताब की भूख है। उन्हें यह मौका एक अगस्त से शुरू हो रहा एशेज श्रृंखला मुहैया करा रही है। कई खिलाड़ियों का मानना है कि इस खिताब को जीतकर ही वे विश्व कप की जीत का भी जश्न मनाएंगे।

पिछली एशेज सीरीज में इंग्लैंड टीम का उसी तरह मानमर्दन हुआ जिस तरह से एशेज सीरीज की शुरुआत में हुआ था। पिछली सीरीज में आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पांच टैस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से हराई थी। एक मैच ड्रॉ हुआ था। 4-0 से एशेज हार जाना अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं था। उन्हें उसी प्रकार की बेइज्जती का अहसास हुआ जैसा 1882 में हुआ था। हालांकि पहले भी इंग्लैंड आस्ट्रेलिया से हारता रहा है लेकिन एशेज उनसे बिलकुल अलग है। एशेज सीरीज आस्ट्रेलिया 33 बार और इंग्लैंड 32 बार जीता है।

एशेज

इंग्लैंड के प्रमुख खिलाडी जोए रूट ने कहा है कि अब हमारा ध्यान पूरी तरह से एशेज सीरीज पर है। विश्व कप खत्म हो चुका है और अब हमारे लिए एशेज सीरीज से अहम कोई दूसरी चीज नहीं है। हमारे लिए यह सीरीज विश्व कप से भी बड़ी है। हम विश्वकप जीतने का जश्न मना चुके हैं और हम अब पूरा ध्यान आगामी एशेज सीरीज पर देना है।

इंग्लैंड इस बार एशेज सीरीज की मेजबानी कर रहा है। सीरीज में पांच टैस्ट मैच खेले जाएंगे। अंग्रेजों को विश्व चैंपियन बनने का स्वाद तभी आएगा जब वो एशेज सीरीज जीत लेंगे। हालांकि विश्व कप के सेमी फाइनल में वो आस्ट्रेलिया को पराजित कर चुके हैं लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो इसे एशेज सीरीज की जीत के आगे महत्व नहीं देते।

आस्ट्रेलिया क्रिकेट अपने समय के बुरे दौर से गुजर रहा है। विश्व कप में उनका प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहा। मध्यक्रम और निम्नक्रम को लेकर उनके लिए समस्या है। स्टीवन स्मिथ और वार्नर प्रतिबंध के बाद वापसी कर रहे हैं। स्मिथ और वार्नर पर गेंद से छेड़छाड़ के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। वापसी के बाद स्मिथ फॉर्म में नहीं आ सके हैं लेकिन वार्नर पूरी तरह से फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हैजलवुड कितना प्रभाव दिखाते हैं इस पर कंगारुओं की कामयाबी निर्भर करती है। इंग्लैंड के विकेटों पर स्टार्क तो सफल हो सकते है लेकिन शेष गेंदबाजों पर आस्ट्रेलियाई प्रबंधन पुख्ता नहीं है। एशेज सीरीज पर जाने वाली कंगारुओं की यह टीम मजबूत नजर नहीं आ रही है।

इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से फॉर्म में है। उसके बल्लेबाज जोए रूट, मोर्गन, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर और बेन स्टोक्स किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने में सक्षम हैं।

जोफ्रा आर्चर

मिशेल स्टार्क

एनआइए को शक्तिशाली बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

लोकसभा ने बुधवार को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों को दूर करना है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद जांच एजंसी को किसी को आतंकवादी घोषित करने, उसकी संपत्ति को जब्त करने और उनके खिलाफ जांच करने में तमाम तरह की सहूलियतें मिलेंगी। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक को विचार करने के लिए रखे जाने का विरोध करते हुए एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने अध्यक्ष से मत-विभाजन की मांग की। सदन ने ओवैसी की आपत्तियों को 8 के मुकाबले 287 मतों से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद ओवैसी ने अपने कुछ संशोधनों पर भी मत-विभाजन की मांग की।

इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की नियमावली के नियम-367 के एक खंड का हवाला देते हुए कहा कि यदि मत-विभाजन की मांग अनावश्यक है तो अध्यक्ष सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कह सकते हैं। सदस्यों की संख्या गिनकर 'हां' और 'ना' के पक्ष में मतों की गिनती की जा सकती है। इस बीच मत-विभाजन की ओवैसी की मांग को लेकर भाजपा के कुछ सदस्यों की उनसे नोकझोंक भी देखी गई और ओवैसी कहते सुने गए, 'यह मेरा हक है।' इसके बाद हुए मत-विभाजन में ओवैसी के संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया। ओवैसी द्वारा पेश संशोधन का समर्थन उनके साथ एआइयूडीएफ, नेशनल कांफ्रेंस और आइयूएमएल सदस्यों ने भी किया।

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए देश में 'कठोर से कठोर कानून' की जरूरत है और यूपीए कानून में संशोधन देश की सुरक्षा में लगी जांच एजंसी को मजबूती प्रदान करने के साथ 'आतंकवादियों से हमारी एजंसियों को चार कदम आगे' रखने का प्रयास है। गृह मंत्री ने कहा कि यह संशोधन विधेयक केवल आतंकवाद को खत्म करने के लिए है और इसका हम कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए।

विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में कहा गया है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 संगठनों व संगमों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने के लिए और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए व उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कतिपय उपबंधों को जोड़ने के लिए वर्ष 2004, 2008 और 2013 में संशोधन किया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में बनेगा आधुनिक संग्रहालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की नई पुस्तक 'चंद्रशेखर -द लास्ट आइकान ऑफ आइडियोलॉजिकल पालिटिक्स' के विमोचन के मौके पर इसकी घोषणा की। देश में नए राजनीतिक संस्कार की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एक जमात ने अंबेडकर-पटेल जैसी महान विभूतियों की 'प्रतिकूल छवि' गढ़ने का प्रयास किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया।

मोदी ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मैंने ठान लिया है कि दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, डा. मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने विभिन्न पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों, संबंधियों एवं मित्रों से उनसे जुड़ी चीजों को साझा करने को कहा। चंद्रशेखर की किसान पदयात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज छोटा-मोटा कोई नेता भी 10-12 किमी की पदयात्रा करेगा तो 24 घंटे खबरों में बना रहेगा। मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान को ध्यान में रखकर पदयात्रा की। लेकिन देश ने उन्हें जो गौरव देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हम चूक गए

पुस्तक विमोचन के मौके पर संसद भवन पुस्तकालय में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

उन्होंने कहा कि देश के इन प्रधानमंत्रियों को भूला दिया गया, जबकि देश निर्माण में हर किसी का योगदान रहा। उन्होंने सवाल किया, 'लाल बहादुर शास्त्री जीवित लौटकर आते तो यही जमात उनके साथ क्या क्या करती?' उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की गई कि वे क्या पीते हैं। एक प्रधानमंत्री के बारे में धारणा बनाई गई कि वे बैठक में नींद लेते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस समय कांग्रेस का सितारा चमक रहा हो उस समय वो कौन सी प्रेरणा होगी कि एक व्यक्ति ने कांग्रेस से बगावत का रास्ता चुन लिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी को 'गुरु जी' कहकर बुलाते थे और सदन में भी बोलते थे तो पहले अटल जी से कहते थे, 'गुरु जी मुझे माफ़ करिये, मैं आज जरा आपकी आलोचना करूंगा।' इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वे सदैव चंद्रशेखर के विचार, व्यवहार और आचरण के कायल रहे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चंद्रशेखर ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को दिशा दी और पूरा जीवन समाजवाद को समर्पित कर दिया । राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चंद्रशेखर हमेशा देश के लिये सोचते थे। उनका अपनाया रास्ता लम्बा था लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिये उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया । आजाद ने कहा कि उन्होंने समाजवाद का नारा लगाया और आखिरी दम तक उसके लिये संघर्ष करते रहे ।

दिल्ली सहित देश के तीन राज्यों में होगा मेट्रो का विस्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

दिल्ली-कोच्चि और नागपुर में जल्द ही मेट्रो की नई लाइनें उपलब्ध होंगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन राज्यों की तीन लाइनों को सौ दिन के मसविदे में शामिल किया है।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन लाइनों के विस्तार पर मंत्रालय काम कर रहा है और जल्द ही इन रूट पर भी मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध होंगी। 100 दिन के अंदर में देश के विभिन्न राज्यों में मेट्रो की तीन लाइनों को चालू किया जाएगा। इन लाइनों में दिल्ली में द्वारका से नजफगढ़ लाइन (4.3 किलोमीटर), कोच्चि में महाराजा कॉलेज से थायकुडम मेट्रो (5.6 किलोमीटर) और नागपुर में लोकमान्य नगर से सिताबुल्दी मेट्रो (11 किलोमीटर) का रूट शामिल है। इनका निर्माण कार्य आखिरी चरण में चल रहा है और ये कॉरिडोर जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे। इन रूट के शुरू होने से प्रतिदिन करीब 15 हजार यात्री प्रतिघंटा पर इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन कॉरिडोर के पर एलिवेटिड मेट्रो 50 फीसद व भूमिगत मेट्रो 20 फीसद कमी लाई गई है। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक रेल नेटवर्क देशभर में मई 2014 तक करीब 247 किलोमीटर तक था। केंद्र सरकार के कार्यकाल में इस नेटवर्क में तेजी से विस्तार किया गया है। अब यह नेटवर्क बढ़ कर 657 किलोमीटर हो गया है और 18 शहरों को इससे जोड़ा जा चुका है।

सदस्यता अभियान की रिपोर्ट लेंगे अमित शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यता अभियान पर गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रिपोर्ट लेंगे। इसके लिए देश भर में प्रदेश स्तर पर तैयारियां की जा रही है। एक साथ देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और अब तक राज्य में जोड़े गए सदस्यों की जानकारी देंगे। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा व राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल भी शामिल रहेंगे।

राज्य स्तर पर इस कांफ्रेंस में सभी प्रदेश अध्यक्षों के अतिरिक्त प्रदेश के संगठन मंत्री जुड़ेंगे। अभियान से जुड़े नेताओं ने बताया कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य स्तरों पर जगह-जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और भाजपा नेता धार्मिक स्थलों तक भी पहुंच रहे हैं।

गृह मंत्रालय में अजय भल्ला ओएसडी नियुक्त

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

ऊर्जा सचिव अजय कुमार भल्ला का नया गृह सचिव बनना तय है। सरकार ने बुधवार को उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक भल्ला असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वह राजीव गौबा की जगह ले सकते हैं। गौबा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में ओएसडी के रूप में भल्ला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि आदेश में भले ही इस बात का उल्लेख नहीं हो कि भल्ला अगले गृह सचिव होंगे लेकिन ओएसडी की नियुक्ति निर्बाध कार्यभार हस्तांतरण के लिए की जाती है। केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भल्ला का अगस्त 2021 तक दो साल का तय कार्यकाल होगा।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के मुद्दों को देखने वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) का पुनर्गठन किया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूर्ववर्ती राजनाथ सिंह की जगह ली है।

जीएमओ में राजनाथ सिंह की जगह अमित शाह

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पुनर्गठित मंत्रियों के समूह के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं।

मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा पिछली सरकार में इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी शामिल थीं। मंत्रियों के समूह का गठन अक्तूबर 2018 में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उससे निपटने के लिए कानूनी एवं सांस्थानिक ढांचे को मजबूत करने के वास्ते अनुशंसाएं करना है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रियों के समूह ने पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया और वह उनसे मिले कई सुझावों का अध्ययन कर रहा है।'

एनआइए ने कश्मीर में चार ठिकानों पर की छापेमारी

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के साल 2018 के एक मामले में कश्मीर घाटी में चार जगहों पर छापेमारी की। यह छापे उन आतंकवादियों का पता लगाने के लिए मारे गए थे जो कथित रूप से घाटी के युवाओं को पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा (एलईटी) में शामिल होने के लिए उकसाते थे।

संघीय जांच एजंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में बख्तियार मुजीब मुल्लाह के परिसरों व बडगाम में जहूर अहमद शेख, बशीर अहमद शेख व मोहम्मद अफजल मीर के घरों पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि छापेमारी में राष्ट्रीय जांच एजंसी का सहयोग सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। उन्होंने बताया कि एजंसी को छापेमारी में जो सामग्री मिली उसमें आतंकवादियों के फोटो समेत उकसाने वाले दस्तावेज, पांच मोबाइल फोन, एक लैपटाप, एक हार्ड डिस्क, मैमोरी, सिम कार्ड व कुछ पेनड्राइव भी मिली हैं।

वीआइपी सुरक्षा में लगे
1300 कमांडो सुरक्षा बलों को मिले वापस

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

देश भर के कई नेताओं और जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा में लगे 1300 से अधिक कमांडो केंद्रीय सुरक्षा बलों को वापस मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में करीब 350 अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीआइपी) की सुरक्षा समीक्षा की थी।

अधिकारी ने बताया कि इस समीक्षा के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआइएसएफ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और दिल्ली पुलिस के 1,300 से अधिक सुरक्षाकर्मी वीआइपी सुरक्षा कार्य से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के करीब 3,000 कमांडो अब भी केंद्र सरकार के वीआइपी सुरक्षा इंतजाम का हिस्सा रहेंगे।

ऐसे कई लोग जिनकी वीआइपी सुरक्षा वापस ली गई है उन्हें राज्य पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि ताजा समीक्षा एक नियमित कदम है, जो ऐसे लोगों को होने वाले खतरों को ध्यान में रख कर मुहैया किया जाता है। यह समीक्षा काफी समय से लंबित थी।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने वीआइपी सुरक्षा पाने वालों का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सोमवार को पहली बार पूर्ण समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 'जेड प्लस' सुरक्षा के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, भाजपा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, हिमाचल प्रदेश के नव नियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्रा, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार सहित अन्य की भी 'जेड' सुरक्षा वापस ली गई है।

मुजफ्फरनगर दंगों के 74 मामलों को बंद करने की अदालत से नहीं मिली अनुमति

मुजफ्फरनगर, 24 जुलाई (भाषा)।

मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों से जुड़े 74 मामलों को बंद करने की उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। सरकार को अदालत से एक भी मामले को वापस लेने की अनुमति नहीं मिली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इस बारे में बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह ने बताया,'राज्य सरकार ने दंगे के कुल 74 मामलों को वापस लेने के लिए, पिछले छह महीने में 10 अलग-अलग अधिसूचना जारी की।' उन्होंने कहा, 'हालांकि सरकार को एक भी मामला वापस लेने की अनुमति नहीं मिली है।' जिला प्रशासन को करीब दो महीने पहले 20 मामले वापस लेने के निर्देश मिले थे लेकिन सभी अनुरोध अदालत के सामने विचार के लिए लंबित है।

संजय कोठारी को मिला तीन साल का सेवा विस्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव संजय कोठारी के कार्यकाल में तीन साल के सेवा विस्तार को बुधवार को सरकार ने मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कोठारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी। कोठारी 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे हरियाणा कैडर से हैं। समिति ने गुजरात कैडर के 1999 बैच के आइएएस अफसर अजय भादू को राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। वे इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के सचिव थे। कोठारी और भादू दोनों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक रहेगा। कोठारी को राष्ट्रपति ने अपना सचिव नियुक्त किया था। वे 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे।

कर्नाटक पर देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

कर्नाटक में विधायकों की खरीद-फरोख्त कर कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन की सरकार को गिराने का आरोप लगा कर कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का एलान किया है, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की गठबंधन सरकार के पतन का ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को व्यवस्थित ढंग से कमजोर कर रही है। प्रियंका ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा-एक दिन भाजपा को यह पता चलेगा कि सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, हर किसी के पीछे नहीं पड़ा जा सकता और हर झूठ आखिरकार बेनकाब होता है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार निहित स्वार्थ वाले लोगों के लालच की जीत हो गई।

केंद्रीय सूचना आयोग करेगा पूर्ण पीठ का गठन

पेज 1 का बाकी

पर निर्णय करने के लिए पूर्ण पीठ गठित करने का निर्णय लिया है। मुंबई ट्रेन बम धमाकों के सिलसिले में दोषी एहतेशाम को मौत की सजा सुनाई गई है। विस्फोट के मामले में गलत तरीके से फंसाने का दावा करने वाले एहतेशाम ने कहा कि उसने जो रिकार्ड मांगा है वह उसके आरटीआइ आवेदन दायर करने के दिन से 20 साल पुराना है। उसने यह आवेदन 2018 में दिया था।

एहतेशाम ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(3) का हवाला दिया जो कहती है कि किसी भी वाकये, घटना या मामले से संबंधित जानकारी, जो उस दिनांक से 20 साल पहले घटित हुई है, जिस पर धारा 6 के तहत कोई भी अनुरोध किया गया है, उस धारा के तहत अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने कहा, 'आयोग, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकार्ड्स का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि इसके समक्ष यह मुद्दा है कि क्या आरटीआइ अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के तहत लोक प्राधिकार के पास मौजूद व्यक्तिगत सूचना का खुलासा 20 वर्ष बीतने के बाद सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत किया जाएगा या नहीं।' भार्गव ने कहा कि आयोग का मानना है कि इस मामले में निर्णय का आरटीआइ अधिनियम के कार्यान्वयन पर बड़ा प्रभाव होगा। इसके मद्देनजर आयोग की राय है कि इस मामले को एक वृहद पीठ को भेजा जाना चाहिए।

एहतेशाम को 2006 में मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में हुए धमाकों के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इन ट्रेनों के प्रथम श्रेणी कोचों में 11 जुलाई 2006 को हुए आरडीएक्स धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 829 अन्य घायल हो गए थे

अवैध रेत खनन : केंद्र, पांच राज्यों व सीबीआइ को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन में शामिल लोगों के पट्टों के लाइसेंस रद्द करने और गैरकानूनी रेत खनन के मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र, सीबीआइ और पांच राज्यों को नोटिस जारी किए।

न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई के तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र और सीबीआइ के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को नोटिस जारी किए। इन सभी को चार हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना है। हालांकि शुरू में पीठ ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। रेत के अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाते हुए यह याचिका एम अलगारसामी ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान कहा कि इन राज्यों में आवश्यक पर्यावरण संबंधी मंजूरी के बगैर ही रेत का खनन हो रहा है। इस तरह का अवैध खनन पर्यावरण पर प्रतिकूल असर डालने के साथ ही आसपास के इलाकों की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर पीठ ने प्रशांत भूषण से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। पीठ ने कहा-हम हाई कोर्ट के आदेश का लाभ उठाना चाहते हैं ताकि हम सही तरीके से इस मुद्दे पर निर्णय कर सकें। लेकिन बाद में पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किए। भूषण ने कहा कि संबंधित प्राधिकारियों ने अनिवार्य पर्यावरण योजना और मंजूरी के बगैर ही खनन की अनुमति दे रखी है और रेत के गैरकानूनी खनन की वजह से पर्यावरण बुरी तरह खराब हो गया है।

'सांप्रदायिकता से न जोड़ें आपराधिक घटनाओं को'

पेज 1 का बाकी

भी आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ना चाहिए। देश में दलित और अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाए लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं।'

हिंसा और असहनशीलता पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ लेखकों के विरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हमने 2014 के चुनाव के बाद अवार्ड वापसी के नाम पर ऐसी ही चीजें देखी थीं, यह उसी का भाग-दो है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित 23 जुलाई के पत्र में कहा गया है कि 'असहमति के बिना लोकतंत्र नहीं होता है।' देश में धार्मिक पहचान के कारण घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए प्रबुद्ध नागरिकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुले पत्र में कहा है कि 'जय श्री राम' का उद्घोष भड़काऊ नारा बनता जा रहा है और इसके नाम पर पीट-पीट कर हत्या के कई मामले हो चुके हैं। फिल्मकार अदूर गोपालकृष्णन और अपर्णा सेन, गायिका शुभा मुद्गल और इतिहासकार रामचंद्र गुहा, समाजशास्त्री आशीष नंदी सहित 49 नामी शख्सियतों ने 23 जुलाई को यह पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 'असहमति के बिना लोकतंत्र नहीं होता है।' पत्र में कहा गया है, 'हम शांतिप्रिय और स्वाभिमानी भारतीय के रूप में, अपने प्यारे देश में हाल के दिनों में घटी कई दुखद घटनाओं से चिंतित हैं।'

पत्र में कहा गया है, 'मुसलिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों की पीट-पीटकर हत्या के मामलों को तत्काल रोकना चाहिए। हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखकर चौंक गए कि वर्ष 2016 में दलितों पर अत्याचार के कम से कम 840 मामले थे लेकिन दोषसिद्धि के प्रतिशत में गिरावट देखी गई।' पत्र के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में दलित और अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं।

पत्र में 'फैक्टचेकर इनडाटाबेस' और 'सिटिजंस रिलिजियस हेट क्राइम वाच' के तथ्यों का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले नौ साल में धार्मिक पहचान आधारित घृणा अपराध के मामले बढ़े हैं, 62 प्रतिशत पीड़ित मुसलिम समुदाय हैं। पत्र में कहा गया, 'इनमें करीब 90 प्रतिशत हमले मई 2014 के बाद हुए, जब आपकी सरकार ने देश में कार्यभार संभाला।' पत्र में कहा गया है कि जय श्री राम के उद्घोष को भड़काऊ नारे में बदल दिया गया है और इससे कानून-व्यवस्था की समस्या होती है और इसके नाम पर पीट पीटकर हत्या के कई मामले हो चुके हैं।

इन्होंने पत्र में कहा है, यह बात हैरान करने वाली है कि धर्म के नाम पर इतनी हिंसा हो रही है। पत्र में कहा गया, 'ये मध्य युग नहीं हैं। भारत के बहुसंख्यक समुदाय में राम का नाम कई लोगों के लिए पवित्र है। इस देश की सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में आपको राम के नाम को इस तरीके से बदनाम करने से रोकना होगा।' विशिष्ट जनों ने कहा कि संसद में ऐसी घटनाओं की आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? हम दृढ़ता से लगता है कि ऐसे अपराधों को गैर-जमानती घोषित किया जाना चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए उदाहरण बने।

यह लोकतंत्र में असंतोष के महत्व को भी रेखांकित करता है। पत्र में विशिष्ट जनों ने कहा है कि असहमति के बिना कोई लोकतंत्र नहीं है। लोगों पर राष्ट्रविरोधी या शहरी नक्सली का लेबल नहीं लगाया चाहिए और सरकार के खिलाफ असहमति जताने की वजह से कैद में नहीं डाला जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि अगर कोई सत्तारूढ़ दल की आलोचना करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह राष्ट्र के खिलाफ है। अपर्णा सेन ने पत्र में उठाए गए मुद्दे पर बुधवार को कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में बात की। उन्होंने कहा कि देशभर में पीट पीटकर हत्या के मामलों के बारे में पढ़ना बहुत निराशाजनक है और मीडिया से पत्र को राजनीतिक रंग नहीं देने के लिए कहा।

पाक में अभी भी 30 से 40 हजार आतंकी

पेज 1 का बाकी

चलाने दें'। खान ने कहा, 'हम पहली सरकार हैं जिसने आतंकी समूहों को निरस्त्र करना शुरू किया है। यह पहली बार हो रहा है। हमने उनके संस्थानों और मदरसों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। हमने वहां प्रशासक नियुक्त किए हैं।' पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कांग्रेसनल पाकिस्तान कॉकस की अध्यक्ष शीला जैक्सन ली द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में 40 अलग-अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे। पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजरा है जहां हमारे जैसे लोग चिंतित थे कि क्या हम (पाकिस्तान) इससे सुरक्षित निकल पाएंगे। इसलिए जब अमेरिका हमसे और करने तथा आतंक की लड़ाई को जीतने में हमारी मदद की आशा कर रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था।' खान ने कहा कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण था कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेताओं से मिले। उन्होंने कहा, 'हमने उन्हें बताया कि आगे बढ़ने के लिए हमारे रिश्ते आपसी विश्वास पर आधारित होने चाहिए।'

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: शिपिंग हाउस, 245 मैडम कामा रोड, मुंबई – 400021
वेबसाइट: www.shipindia.com; Twitter: @shippingcorp
सीआईएन: L63030MH1950GOI008033

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ऐंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुसरण में निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन दिनांक **09.08.2019** को मुंबई में निर्धारित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय नतीजों को सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ऐंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अनुमोदित किया जाना है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25/07/2019

दिपंकर हालदार
कार्यकारी निदेशक (विधिक कार्य) एवं कंपनी सचिव

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए, जीवन को राह दिखाए.

जॉब कार्य के लिये कोटेशन आमंत्रण

मै. राठी सुपर स्टील लिमिटेड माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (''एनसीएलटी''), नई दिल्ली द्वारा आदेश सं. सीपी नं.: IB-1446 (PB)/2018, तिथि 12 जून, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेड इन्सॉल्वेन्सी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन गुजर रही है।

नाम	राठी सुपर स्टील लिमिटेड
निगमन की तिथि	22 अप्रैल, 1991
पंजीकृत कार्यालयः	सीएससी मयूर विहार, फेज–III, कोण्डली घरोली, दिल्ली में फ्लैट नं. 207, वर्धमान मयूर मार्केट
उत्पादन इकाई	ए1, औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड के दक्षिण, विजय नगर पुलिस चौकी के निकट, गाजियाबाद–201009
कॉर्पोरेट कार्यालय	ए–6/35, प्रथम तल, जीटी रोड के दक्षिण दिशा में, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद–201009
निर्मित उत्पाद	टीएमटी बार्स, वायर रॉड्स तथा स्टेनलेस–स्टील वायर रॉड्स
उत्पादन इकाई का क्षेत्रफल	21 एकड़
संस्थापित क्षमता	स्टील मेल्टिंग शॉपः 1,03,000 एमटीपीए रॉलिंग मिल्सः 1,62,000 एमटीपीए

यह कम्पनी पिछले 18 माह से चालू अवस्था में नहीं है।
राठी सुपर स्टील लि. के पास ऊपर वर्णित सुविधा है, यदि कोई व्यक्ति जॉब कार्य के लिये सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक हो तो कृपया सम्पर्क करें:
रीसर्जेन्ट इंडिया लिमिटेडः
श्री जोगिन्दर सिंह
ईमेलः cirp.rathisupersteel@gmail.com
मोबा.: (+91) 7840000667

हस्ता./–
हरीश चन्द्र अरोड़ा
रिज़ॉल्यूशन प्रॉफेशनल
राठी सुपर स्टील लिमिटेड
(सीआईआरपी में)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएँ प्रशासन अनुभाग
प्रधान कार्यालय, प्रथम तल, प्लाट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली –110075

ई–निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक पात्र बोली दाताओं से, **"पी एन बी प्रधान कार्यालय बिल्डिंग, प्लाट संख्या - 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 तथा दिल्ली व एन सी आर स्थित बैंक के विभिन्न आवासीय फ्लैटों में पम्पस, सेनेटरी एवं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के वार्षिक रखरखाव अनुबंध और संचालन एवं रखरखाव"** हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत रु.178 लाख; निविदा शुल्क: रु. 11,800/-, बयाना राशि (ईएमडी: रु. 3,56,000/- है। निविदा को डाउनलोड करने का शुभारम्भ 25.07.2019 को 10:00 बजे से है। निविदा दस्तावेज को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि, बोली तैयार करने और हैश प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07.08.2019, 15:00 बजे तक है। पुनः एन्क्रिप्शन और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 08.08.2019; 14:00 बजे तक है।

उपरोक्त कार्य के लिए निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट **www.pnbindia.in/ https://etender.pnbnet.in** से डाउनलोड किये जा सकते हैं। उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में कोई भी परिशिष्ट/ स्पष्टिकरण केवल उक्त वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे जिसे नियमित रूप से देखते रहें।

मुख्य प्रबंधक

नियुक्तियां

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम)
(CIN: L32309KA1954GOI000787)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक नवरत्न कम्पनी एवं भारत की प्रमुख व्यवसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को पंचकूला एकक में **निर्धारित समय (Fixed Term) 05 (पाँच) वर्ष** की समयावधि हेतु इलेक्ट्रॉनिकल अभियंता की आवश्यकता है।

क्र. सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	01.07.2019 को अधिकतम आयु सीमा	आरक्षण	पदों की संख्या	ग्रेड
1	वरिष्ठ अभियंता	बी.ई/बी.टेक/ए.एम.आई.ई./ जी.आई.ई.टी.ई. इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स AICTE से अनुमोनित कालेज से या स्वीकृत विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी मे हो एवं 4–5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव ((post qualification) हो। (अध्यापन के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा।	32 वर्ष	अनारक्षित	1	ई- III ₹ 50,000- 3% - ₹ 1,60,000 + लागू भत्ते

विस्तृत विज्ञापन के लिए, इच्छुक अभ्यर्थी हमारी वेबसाइट **www.bel-india.in** पर जाकर आवेदन पत्र और हिदायतों को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक **07.08.2019** तक या उससे पहले, निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LIMITED
(A wholly owned subsidiary of Air India Ltd.)

WALK-IN RECRUITMENT

Air India Air Transport Services Limited (AIATSL) wishes to engage on immediate basis Indian Nationals (Male& Female) who meet with the requirements stipulated herein, **for various posts** for ground dubes et Airport/Station on **Fixed Term Contract basis for a period of three years** which may be renewed subject to their performance and the requirement of the Company, to fill-in the existing vacancies as shown below and to maintain a wait-list for vacancies arising in future.

Sr. No.	Position	No. of post	Station
1	Dy. Terminal Manager (Pax Handling)	4	Chennai-2, Kolkata-2
2	Duty. Manager - Terminal/Ramp	10	Chennai-4, Kanoor-2, Kolkata-4
3	Dy. Officer Terminal	24	Kozhikode-1, Chennai-4, Amritsar-1, Bhopal-1, Raipur-1, Surat-1, Kolkata-10, Bhubaneswar-1, Patna-1, Guwahati-1, Imphal-1, Port Blair-1
4	Officer HR/IR	2	Chennai-1, Kolkata-1
5	Officer Accounts	1	Chennai
6	Jr. Executive - Human Resource/Administration	4	Kolkata-2, Chennai-2
7	Je Pax	73	Kozhikode-3, Madurai-1, Coimbatore-1, Tirupati-1, Visakhapatnam-1, Vijayawada-1, Mysore-1, Raipur-1, Chandigarh-1, Indore-1, Surat-1, Ahmedabad-2, Bhavnagar-1, Bhuj-1, Jamnagar-1, Rajkot-1, Vadodara-1, Kolkata-25, Bhubaneswar-2, Patna-1, Guwahati-2, Imphal-1, Agartala-2, Dimapur-1, Silchar-1, Ranchi-2, Chennai-16
8	JET	2	Kozhikode-1, Srinagar-1
9	CA	105	Kozhikode-30, Mysore-5, Bhopal-6, Ahmedabad-31, Surat-10, Rajkot-1, Vadodara-6, Diu-1, Shimla-2, Kullu-2, Dharamshalla-2, Bhatinda-2, Chandigarh-6
10	RSA	31	Kozhikode-4, Kochi-10, Mysore-1, Surat-2, Ahmedabad-8, Bhuj-1, Diu-1 Jamnagar-1, Rajkot-1, Vadodara-2
11	UARD	54	Kozhikode-8, Kochi-16, Mysore-3, Surat-2, Ahmedabad-6, Bhavnagar-1, Rajkot-2, Vadodara-2, Diu-1, Raipur-5, Indore-3, Bhopal-5
12	HM	182	Kozhikode-46, Mysore-7, Surat-15, Ahmedabad-20, Bhavnagar-1, Bhuj-1, Jamnagar-3, Rajkot-10, Vadodara-11, Kochi-68

- Govt. guidelines applicable for Reserved Categories.
- For Application Format and all other details, please see **Advertisement** on our website- **www.aiatsl.com(Careers)/www.airindia.in (careers)**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66, फोन: 011–26164817/26197769 फैक्स: 011–26171554, ई–मेल: legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ओर से वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 01.05.2019** को एक माँग नोटिस जारी करके **1.मैसर्स शिवोम मोर्टस (उधारकर्ता) 2. श्री मनीष शर्मा (उधारकर्ता) 3. श्री सतबीर शर्मा (गारंटर)** को पुनर्भुगतान करने के लिए **रु. 25,60,421/– (रु. पच्चीस लाख साठ हजार चार सौ इक्कीस मात्र) अप्रयुक्त ब्याज @12.75% दिनांक 08.05.2019** के बाद से उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। (नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था)
ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक **20 जुलाई 2019** को ले लिया है।
उधारकर्ता/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों मे किया गया कोई भी लेन–देन उल्लेख की गई राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन किया जाएगा।
सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।
बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है: खेवट नं. 175/167, खतौनी नं. 197, मस्टिल एवं किला नं. 215/6 जोकि मौजा कलानौर कलां, एमसी लिमिट कलानौर के भीतर, उप–तहसील कलानौर, जिला–रोहतक परिमापन 121 वर्ग गज

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
सहायक महाप्रबंधक और
प्राधिकृत अधिकारी (सरफेसी अधिनियम, 2002)

दिनांक: 20.07.2019

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
(भारत सरकार का उपक्रम)
जेड ओ एस ए आर बी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 22.06.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना और दिनांक 24.07.2019 के शुद्धिपत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि क्र.सं. 1 **मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (दो लॉट)** के खाते की सम्पत्ति की ई– नीलामी सांकेतिक कब्जे के साथ "जहां है, जैसा है, जो कुछ भी है और दायित्व रहित" के आधार पर दिनांक 29.07.2019 को होनी थी।

हम यह भी सूचित करते हैं कि क्र.सं. 1 की सम्पत्ति का मूल्य रु. **45,00,00,000/-**(रु. पैंतालीस करोड़ मात्र) जिसमें कि भूमि एवं भवन का मूल्य रु **38,00,00,000/-** (रु. अड़तीस करोड़ मात्र) और प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य रु.**7,00,00,000/-** (रु. सात करोड़ मात्र) है. और क्र.सं 1 की दूसरी सम्पत्ति का मूल्य रु. **20,00,00,000/-** (रु. बीस करोड़ मात्र) जिसमें कि भूमि एवं भवन का मूल्य रु **15,25,00,000/-** (रु. पंद्रह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) और प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य रु. **4,75,00,000/-** (रु. चार करोड़ पिच्चहत्तर लाख मात्र) है।

हम आगे सूचित करते है कि प्रथम संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **45,00,00,000/-** (रु. पैंतालीस करोड़ मात्र) और धरोहर राशि रु. **4,50,00,000/-** (रु. चार करोड़ पचास लाख मात्र) और दूसरी सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. **20,00,00,000/-** (रु. बीस करोड़ मात्र) और धरोहर राशि रु. **2,00,00,000/-** (रु. दो करोड़ मात्र) है।

दोनों संपत्तियों की बोली वृद्धि राशि समान रहेगी अर्थात रु. **500000/-** (रु. पाँच लाख मात्र)

हम आगे सूचित करते हैं कि सफल बोलीदाता को प्लांट और मशीनरी पर लागू जीएसटी का भुगतान करना होगा।

शेष अन्य नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25-07-2019

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- G. Noida, Plot no. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida, Gr. Noida Road, Distt. Gautam Buddha Nagar, Gr. Noida, U.P.- 201306
E-mail: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.05.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता जगत बंसल, ब्राईटवे इण्डस्ट्रिज प्रा0लि0 खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.– 80,00,681.34/– (रूपये अस्सी लाख छः सौ इक्यासी और चौतिस पैसे केवल) अदा करने की तिथि उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एव 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 जुलाई 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.– 80,00,681.34/– अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

इण्डस्ट्रियल प्लॉट नं0. 32, ईकोटैक–6, जिसकी माप 450 स्कोयार मीटर, ग्रेटर नोएडा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला गौतमबुद्धनगर मालिक ब्राईटवे इण्डस्ट्रिज प्रा0 लि0। **जिसकी सीमाऐ– उत्तर** में प्लॉट नं0. 31, **दक्षिण** में प्लॉट नं0. 33, **पूर्व** में 24 मीटर चौड़ा रोड़ और **पश्चिम** में प्लॉट नं0. 56

दिनांक: 22.07.2019
स्थानः ग्रेटर नोएडा।

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

कार्यालय पानीपत
क्लस्टर प्रमुख

पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत **फेडरल बैंक** लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (यहां के बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 21 जनवरी, 2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारों**:–
(1) मैसर्स साया नेटवर्क एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय एससीओ 31, खालसा स्कूल मार्केट, करनाल, हरियाणा में है, प्रतिनिधित्व इसके साझेदार (क) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नानक चंद एवं (ख) श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नानक चंद
(2) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री नानक चंद निवासी मकान नं. 103–104, नजदीक आर्य समाज मंदिर, कृष्णा नगर, करनाल–132001, हरियाणा
(3) श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नानक चंद निवासी मकान नं. 103–104, नजदीक आर्य समाज मंदिर, कृष्णा नगर, करनाल–132001, हरियाणा, को सूचना में उल्लिखित राशि बैंक की करनाल शाखा में 31.12.2018 को आपके पास अलग–अलग और संयुक्त रूप से कैश क्रेडिट खाता सं. 16495500000124 **रु.1,23,24,853.90 (एक करोड़ तेइस लाख चौबीस हजार आठ सौ तिरपन रुपए एवं नब्बे पैसे)** को उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त नियम के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले उपर्युक्त अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 22 जुलाई, 2019 को ले लिया है।**
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन फेडरल बैंक लि. की करनाल शाखा में 22.07.2019 को आपके पास अलग–अलग और संयुक्त रूप से कैश क्रेडिट खाता सं. 16495500000124 **रु.1,34,85,662.14 (एक करोड़ चौतीस लाख पिचासी हजार छह सौ बासठ रुपए एवं चौदह पैसे)** तथा उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभार का भुगतान के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(1) वकीलपुरा, बकरा मार्केट के सामने, सदर बाजार, एम.सी. सीमा के भीतर, जिला–करनाल, हरियाणा राज्य में स्थित दुकान के रूप में सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, एरिया परिमाप 97.11 वर्ग यार्ड के साथ उस पर वर्तमान और/या निर्मित किये जा रहे भवन जो निम्नानुसार घिरी है: पूर्व में 18'–6'' रोड और श्री हेमराज पुत्र गंजन राम की 2'–4'' सम्पत्ति, पश्चिम में: 29'–8'' रोड, उत्तर में 19'–9'' रोड और श्री हेमराज पुत्र गंजन राम की 16'–3'' सम्पत्ति, दक्षिण में: 40'–3'' गली।
(2) सैक्टर–18, हुडा अर्बन एस्टेट, पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित प्लॉट नं. 2128 सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, एरिया परिमाप 303.60 वर्ग मीटर के साथ उस पर वर्तमान और/या निर्मित किये जा रहे भवन जो निम्नानुसार घिरी हैं: पूर्व में: अन्य का प्लॉट, पश्चिम में: रोड, उत्तर में: प्लॉट नं. 2127 और दक्षिण में: 2129

दिनांक : 22.07.2019
स्थान : करनाल

प्राधिकृत अधिकारी
दि फेडरल बैंक लि.

RELAXO
RELAXO FOOTWEARS LIMITED
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085
CIN No:- L74899DL1984PLC019097, Ph. 011-46800600, Fax 011-46800692
E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के लागू विनियमन (ओं) के अनुसार प्रावधानों के अनुपालन में रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 3 अगस्त, 2019 को दोपहर 12:30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय – अग्रवाल सिटी स्क्वेयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम प्लेस, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली – 110085 में होगी जिसमें अन्य कार्यों के अलावा 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, समीक्षा, अनुमोदन और उन्हें रिकॉर्ड करने का काम किया जाएगा।
इस नोटिस में निहित जानकारी NSE की वेबसाइट www.nseindia.com और BSE की वेबसाइट www.bseindia.com के साथ–साथ हमारी वेबसाइट www.relaxofootwear.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड
हस्ता./–
विकास कुमार टाक
कम्पनी सचिव

स्थानः दिल्ली
तिथिः 23.07.2019

Subros Limited

Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001 **Tel.** 011-23414946-49, **Fax No.** 011-23414945
CIN No. L74899DL1985PLC020134
E-mail: rakesh.arora@subros.com **Website:** www.subros.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 9th August, 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results for the Quarter ended 30th June, 2019.

The details of the said meeting are also available on the website of the Company www.subros.com and on the website of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com and www.bseindia.com

For SUBROS LIMITED
Sd/-
Rakesh Arora
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 24.07.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66, फोन : 011–26164817/26197769 फैक्सः (011) 26171554, ई–मेलः legal_del@mahabank.co.in

इरादतन चूककर्ता
इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ का प्रकाशन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निम्नलिखित व्यक्तियों को आरबीआई द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड द्वारा भी इस संबंध मे आरबीआई द्वारा अनुबद्ध और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात इरादतन चूककर्ता घोषित किया है। बैंक द्वारा आरबीआई को तथा क्रेडिट सूचना कम्पनियों को भी निम्नलिखित व्यक्तियों को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के बारे में उपयुक्त सूचना भेजी गई है।
हम एतद्द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर रहे हैं।

क्रम सं.	खाते का नाम	कर्जदार का नाम	
1.	**मैसर्स एम. आर. चैन्स प्राईवेट लिमिटेड**	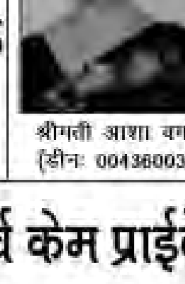 श्रीमती आशा वर्मा (डीनः 00436003)	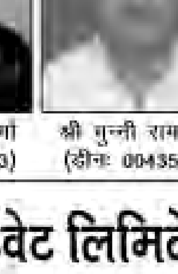 श्री मुन्नी राम वर्मा (डीनः 00435777)
2.	**मैसर्स शुभम स्टार्च केम प्राईवेट लिमिटेड**	 श्री आनंद अग्रवाल (डीनः 00007519)– निदेशकः मैसर्स शुभम स्टार्च केम प्राईवेट लिमिटेड एवं मैसर्स तिरूपति इंडस्ट्रियल केमिकल प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर), प्रोपराइटरः मैसर्स अकाश इंटरनेशनल (कॉर्पोरेट गारंटर)	 श्रीमती नीता अग्रवाल (डीनः 000038707)– निदेशकः मैसर्स शुभम स्टार्च केम प्राईवेट लिमिटेड एवं मैसर्स तिरूपति इंडस्ट्रियल केमिकल प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारंटर), प्रोपराइटरः मैसर्स कार्तीक इन्डस्ट्रीज (कॉर्पोरेट गारंटर)

दिनांकः 23.07.2019
स्थानः दिल्ली

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
अंचल प्रबंधक, दिल्ली अंचल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66, फोनः 011–26164817/26197769 फैक्सः 011–26171554, ई–मेलः legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ओर से वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 01.05.2019** को एक माँग नोटिस जारी करके **1.श्री राजू सक्सेना (उधारकर्ता) 2. श्री बुद्ध प्रकाश (सह–उधारकर्ता) 3. श्रीमती शीला (सह–उधारकर्ता)** को पुनर्भुगतान करने के लिए **रु. 9,65,672/– (रु. नौ लाख पैंसठ हजार छः सौ बहत्तर मात्र) अप्रयुक्त ब्याज @11.50% दिनांक 01.05.2019** के बाद से उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। (नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था)
ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक **22 जुलाई 2019** को ले लिया है।
उधारकर्ता/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों मे किया गया कोई भी लेन–देन उल्लेख की गई राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन किया जाएगा।
सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।
बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है: खसरा नं. 1248 का हिस्सा, बेगमाबाद बुडाना, साबुन फैक्टरी के सामने, ऊँची सड़क, डिफेन्स कालोनी, निवाड़ी रोड, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, परिमापन 175.00 वर्ग गज

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
सहायक महाप्रबंधक और
प्राधिकृत अधिकारी (सरफेसी अधिनियम, 2002)

दिनांकः 22.07.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66, फोनः 011–26164817/26197769 फैक्सः 011–26171554, ई–मेलः legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ओर से वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 01.05.2019** को एक माँग नोटिस जारी करके **1. श्री उमेश कुमार (उधारकर्ता) 2. श्रीमती उर्मिला देवी (उधारकर्ता)** को पुनर्भुगतान करने के लिए **रु. 49,30,778/–(रु. उनचास लाख तीस हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) + अप्रयुक्त ब्याज @ 9.50% दिनांक 06.05.2019** के बाद से उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनो के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। (नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था)
ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक **19 जुलाई 2019** को ले लिया है।
उधारकर्ता/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों मे किया गया कोई भी लेन–देन उल्लेख की गई राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन किया जाएगा।
सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।
बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है: खसरा नं. 697, ग्राम सदीक नगर, सिहानी, गाजियाबाद, यू.पी. परिमापन 250.83 वर्ग मीटर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
सहायक महाप्रबंधक और
प्राधिकृत अधिकारी (सरफेसी अधिनियम, 2002)

दिनांकः 19.07.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66, फोनः 011–26164817/26197769 फैक्सः 011–26171554, ई–मेलः legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** ओर से वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 05.09.2018** को एक माँग नोटिस जारी करके **1.श्रीमती ज्योतिष्णा त्यागी पत्नी श्री मुकेश त्यागी 2. श्री मुकेश त्यागी पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश** को पुनर्भुगतान करने के लिए **दिनांक 06.09.2019 से रु. 17,04,119/– (रु. सत्रह लाख चार हजार एक सौ उन्नीस मात्र) प्लस बढ़ते क्रम में संविदात्मक दर से ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज** के साथ उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। (नोटिस स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था)
ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/गारंटर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक **22 जुलाई 2019** को ले लिया है।
उधारकर्ता/गारंटर एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों मे किया गया कोई भी लेन–देन उल्लेख की गई राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अधीन किया जाएगा।
सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।
बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है: आवासीय फ्लैट नं. टी–1, प्लॉट नं. 13 पर तीसरा तल, खसरा नं. 403 एवं 404, रामबाग कालोनी I, हरसाऊ, गाजियाबाद

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
सहायक महाप्रबंधक और
प्राधिकृत अधिकारी (सरफेसी अधिनियम, 2002)

दिनांकः 22.07.2019

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(₹in Lacs except Shares & EPS)

Sr. No.	Particulars	3 Months Ended 30th June, 2019	Preceding 3 Months Ended 31st March 2019	Corresponding 3 Months Ended in the previous year 30th June, 2018	Year ended 31st March, 2019
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	16,619.21	14,388.33	14,615.62	60,235.46
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	407.65	354.28	325.28	1,361.24
3	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	409.23	344.69	328.78	1,346.58
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	236.30	134.88	226.43	684.27
5	Total Comprehensive Income for the period {Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	236.30	134.88	226.43	684.27
6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹10/- each)	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	15,810.16
8	Earning Per Share (of ₹10/- Each) (Not Annualised) (for continuing and discontinued operations)-Basic & Diluted				
	Basic :	1.39	0.79	1.33	4.02
	Diluted :	1.39	0.79	1.33	4.02

Note:- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com)and on the website of the Company (www.libertyshoes.com)

HEALERS | WARRIOR | COOLERS | leap7x | FORCE 10 | GLIDERS | FORTUNE | SENORITA | Prefect | WINDSOR

For and on behalf of
Board of Directors

LIBERTY

Place: New Delhi
Date: Wednesday, 24th July, 2019

ADESH KUMAR GUPTA
CEO & EXECUTIVE DIRECTOR
DIN: 00143192

Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara, Dist. Karnal - 132114, Haryana
Corporate Office: Ground Floor, Building No. 8, Tower A, DLF Cyber City, Phase - II, Gurugram - 122002, Haryana
E-mail ID: investorcare@libertyshoes.com, Website: www.libertyshoes.com
CIN: L19201HR1986PLC 033185

चीनी का 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 275 रुपए क्विंटल पर बरकरार रखा

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी। चीनी के बंपर उत्पादन को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा 2019-20 के विपणन वर्ष (अक्तूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 275 रुपए प्रति क्विंटल पर कायम रखने का फैसला किया गया है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो मिलों को गन्ना खरीद के लिए किसानों को देना होता है। राज्य सरकारें इसके ऊपर गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य भी घोषित कर सकती हैं।

देश का चीनी उत्पादन 2018-19 के विपणन वर्ष (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान 3.29 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीनी की घरेलू मांग 2.6 करोड़ टन रहने की संभावना है।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बुधवार को यहां हुई बैठक में खाद्य मंत्रालय के चीनी का 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की मंजूरी दी गई। अगस्त, 2018 में केंद्र ने चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाया था जिससे सरकार पर 1,175 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। यह कदम चीनी मिलों की नकदी की स्थिति सुधारने, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में मदद और घरेलू स्तर पर चीनी कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया था।

देश का चीनी उत्पादन 2018-19 के विपणन वर्ष (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान 3.29 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीनी की घरेलू मांग 2.6 करोड़ टन रहने की संभावना है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा के अनुसार 1 अक्तूबर, 2019 को नया चीनी सत्र शुरू होने के समय पुरानी चीनी का भंडार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 1.45 करोड़ टन पर रहने की उम्मीद है। सामान्य तौर पर उस समय 50 लाख टन के स्टाक की जरूरत होती है।

एअरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए जुर्माने की मंजूरी

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने रिलायंस जियो को पॉइंट्स आफ इंटरकनेक्शन (पीओआइ) नहीं उपलब्ध कराने के मामले में भारती एअरटेल और वोडाफोन आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपए के जुर्माने को मंजूरी दे दी है। डीसीसी विभाग का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, 'डीसीसी ने एअरटेल और वोडाफोन आइडिया पर जुर्माने की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस सिफारिश को फैसले के लिए सरकार में सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।' अक्तूबर, 2016 में ट्राई ने एअरटेल, वोडाफोन और आइडिया (अब विलय हो चुका) पर कथित रूप से रिलायंस जियो को इंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कुल 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।

एअरटेल और वोडाफोन प्रत्येक पर 1,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं आइडिया पर 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। अब वोडाफोन और आइडिया का विलय हो चुका है ऐसे में नई इकाई वोडाफोन आइडिया को दोनों कंपनियों का जुर्माना भरना होगा। उस समय नियामक इन कंपनियों के दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश करने जा रहा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नियामक का कहना था कि इससे ग्राहकों को काफी असुविधा होगी।

ट्राई की ये सिफारिशें रिलायंस जियो की शिकायत के बाद आई थीं। रिलायंस जियो ने कहा था कि मौजूदा आपरेटर पर्याप्त संख्या में पीओआइ जारी नहीं कर रहे हैं जिससे उसके नेटवर्क पर 75 प्रतिशत कॉल विफल हो रही हैं।

डीसीसी ने पिछले महीने एअरटेल और वोडाफोन आइडिया पर यह जुर्माना लगाया था। लेकिन जुर्माना लगाने से पहले आयोग इस पर ट्राई की राय लेना चाहता था क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि, ट्राई ने अपने रुख पर कायम रहते हुए जुर्माने के लिए की गई सिफारिश में संशोधन से इनकार कर दिया।

अब राज्य योजनाओं में हो सकेगा आधार का प्रयोग

आधार कानून में संशोधन को मंत्रिमंडल की हरी झंडी

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आधार व अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 में लाए गए आधिकारिक बदलावों को मंजूरी दे दी। कानून के इस संशोधन के तहत एक नया प्रावधान शामिल किया जा रहा है जिससे कि आधार आंकड़ों का इस्तेमाल राज्य योजनाओं और सबसिडी के लिए किया जा सकेगा।

आधार कानून में संशोधन के बाद राज्य के समेकित कोष द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए राज्य सरकारें राष्ट्रीय बायोमीट्रिक पहचान का इस्तेमाल कर सकेंगी। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य इसकी मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे मामलों में आधार के इस्तेमाल की अनुमति है, जहां कोष सीधे केंद्र सरकार से आता है। इससे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय योजनाओं के लिए जिस तरीके से केंद्रीय कोष से सबसिडी लाभार्थी को स्थानांतरित की जाती है, उसी तरह आधार के इस्तेमाल से राज्य सबसिडी को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा।

संसद में इससे पहले इसी महीने आधार व अन्य कानून में संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। यह संशोधन मोबाइल फोन का सिम कार्ड लेने या बैंक खाता खोलने के लिए 12 अंकों की इस विशिष्ट पहचान संख्या का इस्तेमाल स्वैच्छिक रूप से करने की अनुमति दिए जाने से संबंधित था। सरकार ने अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसमें कि राज्यों को अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आधार के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने का प्रावधान है।

पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिक तंत्र बने : एनजीटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

बेकार हो चुकी गाड़ियों की संख्या 2025 तक 2.1 करोड़ हो जाने पर गौर करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सरकार को इन गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए अधिकृत पुनर्चक्रण केंद्र खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि बेकार हो चुकी गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का काम संगठित आधार पर होना चाहिए क्योंकि मौजूदा क्षमता पर्याप्त नहीं है।

बाजार लगातार पांचवें दिन गिरा शेयर सूचकांक 135 अंक टूटा

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा)।

आर्थिक नरमी को लेकर चिंताओं और विदेशों में मिले-जुले रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट जारी रही और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 135 अंक की गिरावट के साथ 37,847.65 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान कम किए जाने से कारोबारी धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 135.09 अंक की गिरावट के साथ 37,847.65 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 59.75 अंक की गिरावट के साथ 11,271.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक नीचे में 11,229.80 और ऊपर में से 11,359.75 अंक के दायरे में रहा। शेयर बाजारों में मई की शुरुआत से बाजार में अब तक की यह सबसे लंबी गिरावट है। सूचकांक पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 1,367.99 अंक नीचे आ चुका है जबकि निफ्टी 416.20 अंक टूट चुका है।

'कर संग्रह का काम निष्पक्षता से करें अधिकारी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

आयकर विभाग के अधिकारियों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें आम आदमी के लिए कर का भुगतान करना सुखद अनुभव हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने 159वें आयकर दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व या कर वसूली का काम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

उन्होंने कहा कि कर विभाग के अधिकारियों ने पिछले कई सालों में सराहनीय काम किया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि के रूप में यह नजर आता है। प्रत्यक्ष कर संग्रह, जोकि 1860-61 में 13 लाख रुपए था, अब बढ़कर 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। भारत में आयकर 24 जुलाई, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार पेश किया गया था। इसी दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मोदी ने कहा कि आयकर दिवस के अवसर पर मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस बात का विश्लेषण और आत्ममंथन करें कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशल व प्रभावी तरीके से निभा सकते हैं। राजस्व संग्रह के अपने अहम लक्ष्य पर काम करते हुए हमें यह सुनिचित करना चाहिए कि कर संग्रह का काम निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से हो। करदाताओं को कर दायित्वों का निर्वहन करने में सुखद अनुभूति होनी चाहिए।

सार्वजनिक सूचना

फॉर्म सं. आईएनसी-19

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

मनु प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

कृते और याचिकाकर्ता की ओर से
मनु प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
अंशुल मेहरा
निदेशक
DIN: 00014049

तिथि: 25.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्रपत्र सं.- आईएनसी- 26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केंद्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

मैसर्स फिनास ऑटो लिमिटेड

वास्ते फिनास ऑटो लिमिटेड
हस्ता./-
अशोक विष्णु उगारे
डीआईएन - 00370768

तिथि : 24.07.2019
स्थान : दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (उत्तर पश्चिम)-I
एच-ब्लॉक उद्योग नगर इंड. एरिया, पीरागढ़ी चौक, नई दिल्ली-41

एनआईटी सं. 11/ईई(एनडब्ल्यू) I/(2019-20)

प्रैस निविदा सूचना

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	धरोहर राशि (रु.) एवं प्रॉसेसिंग शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि/आई.डी. नं.	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	जेडई-IV/ईई(एनडब्ल्यू)-I के अंतर्गत डी-2 तथा डी-7 ब्लॉक रोड सुल्तानपुरी के बीच (एसी-10) में पुराने/क्षतिग्रस्त 250 एमएम डाया सीवर लाइन का विस्थापन।	3629235/-	72600/- 500/-	22.7.2019 2019_DJB_176806_1	5.8.2019 के 3.00 बजे अप. में।

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/204

हस्ता./-
कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू) I

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 53/2019-20/RDD(RWA)/BOKARO   दिनांक :- 23.07.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में) अंक में	प्राक्कलित राशि (रुपये में) अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	RDD(RWA)/ BOKARO/04/ 2019-20	करमा आकलसोटीत पथ से हिरिस तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई- 6,500 कि0मी0)	2,02,88,800.00	दो करोड़ दो लाख अठासी हजार आठ सौ रु0 मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 02.08.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 13.08.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 14.08.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 16.08.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमंडल, बोकारो के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युरमेन्ट सेल

PR 212543 (Rural Work Department) 19-20 (D)

ORIENT BELL LIMITED

(CIN: L14101UP1977PLC021546)
Regd. Off. 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, UP
Corporate off: Iris House, 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi 110046
Tel.: +91-11-47119100, Email: customercare@orientbell.com, Website: www.orientbell.com

Statement of (Standalone & Consolidated) Unaudited Financial Results for the Quarter and Three Months Ended June 30, 2019

(In ₹ Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone: For the Quarter Ended on 30-06-2019	Standalone: For the Quarter Ended on 30-06-2018	Consolidated: For the Quarter Ended on 30-06-2019	Consolidated: For the Quarter Ended on 30-06-2018
1	Total income from Operations	12,068	12,039	12,068	12,039
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	50	110	66	119
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	50	110	66	119
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	34	73	50	82
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	51	94	67	103
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,426	1,425	1,426	1,425
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)(For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)				
	1. Basic	0.24	0.51	0.35	0.57
	2. Diluted	0.24	0.51	0.35	0.57

Note :
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 24th July, 2019 The financial results for the quarter and Three Months ended June 30,2019 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of quaterly/ annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites. (URL- www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on above mentioned Company's website at https://www.orientbell.com.
3. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).
4. Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

for and on behalf of the Board of Directors of
Orient Bell Limited
Sd/-
Madhur Daga
Managing Director

Place : Sikandrabad
Date : 24th July, 2019

ISHAN DYES AND CHEMICALS LIMITED

Registered Office: 18, G.I.D.C. Estate Phase - 1, Vatva, Ahmedabad – 382 445, Gujarat, India.
Telephone: +91-79-25832144/25893607 | Facsimile: +91-79-25833643
Email: ishandyes@yahoo.com | Website: www.ishandyes.com
Contact Person: Ms. Ankita V. Shah, Company Secretary and Compliance Officer
Email: ishandyes@yahoo.com | Corporate Identity Number: L24110GJ1993PLC020737

PROMOTERS OF OUR COMPANY : MR. PIYUSHBHAI N. PATEL, MR. SHRINAL P. PATEL, MS. ANILABEN P. PATEL, MS. MIRALI H. PATEL AND MR. MARUTBHAI D. PATEL

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ONLY

ISSUE OF UP TO 51,81,762 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT UP TO ₹ 1,399.08 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 46 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 100 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, MAY 10, 2019 (THE "ISSUE").

Capitalized terms used but not defined in this Announcement shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer, unless otherwise defined.

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	
ISSUE CLOSING DATE (OLD)	ISSUE CLOSING DATE (NEW)
Friday, July 26, 2019	Friday, August 09, 2019

ASBA* Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!! *Applications supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to the issues by simply blocking the fund in the bank account. Investors can avail the same. For further details, please see the chapter titled "Terms of the Issue" beginning on page 127 of the Letter of Offer.

This is to inform to the shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Friday, July 12, 2019 and scheduled to close on Friday, July 26, 2019, has now been extended by the Company from Friday, July 26, 2019 to Friday, August 09, 2019 based on request from the shareholders of the Company.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with amount payable on application) is **Friday, August 09, 2019**. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as **Friday, August 09, 2019**. There is no change in the CAF / Abridged Letter of Offer dated June 29, 2019 except for modification in the indicative timetable of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

For Ishan Dyes and Chemicals Limited
Sd/-
Piyush N Patel
Managing Director

Place: Ahmedabad
Date: July 24, 2019

Raka

एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74140HR1993PLC031900
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 197, सेक्टर 68, आई.एम.टी., फरीदाबाद, हरियाणा-121004

तिथि: 22.7.2019
स्थान: फरीदाबाद

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड

CIN: L35999HR1998PLC033943

सूचना

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 24.07.2019

लैंडमार्क प्रोपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 25.07.2019

आईएनसी-26

Public Notice for loss of share certificates

Notice is hereby given that the following share certificates of Sanjiv Jain has been reported lost/misplaced and has applied to the company for the issue of duplicate share certificates

S. N.	Folio No.	Name of holder	Certificate Nos	Dinstictive No	No of Shares
1	13702	Sanjiv Jain	13155-13163	2794401 to 279300	900
2	13702	Sanjiv Jain	15708	3049701 to 3049800	100

Any person who has any claim in respect of the said certificates should lodge such claims with the share department of the company at its Regd. Office as per address given below within 15 days of publication of this NOTICE. After which no claim will be entertained and the company will proceed to issue the duplicate share certificates.

Place: New Delhi
Date : 19.07.2019

Sd/-
Sanjiv Jain
(The company Secretary, CENLUB INDUSTRIES LIMITED, 233-234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad- 121004)

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लि., प्रथम तल वीडियोकॉन टॉवर, ई-1, झण्डेवालान, एक्सटेंशन नई दिल्ली-110055, दूरभाष: 011-66083006, 66084896 | वेबसाइट: www.idbibank.in

कब्जा सूचना [नियम 8 (1)]

संपत्तियों का विवरण

मकान नं. 62, तीसरी मंजिल, ईस्ट एंड एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092 की संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ भवन और संरचना के सभी प्लांट और अन्य जमीन से जुड़ी या स्थायी रूप से जमीन से जोड़ी हुई सभी मशीनरी शामिल हैं।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 24.07.2019

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड-मुंबई पोत मरम्मत प्रभाग
(भारत सरकार का उद्यम)

EOI Ref No: SR4/CMSRU/Caisson Gate/EOI/2019   Dt: 24 July 2019

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ह्युजेस ड्राई डॉक में कैसण गेट केलिए सामग्री की प्राप्ति, फैब्रिकेशन, संस्थापन और परीक्षण हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (इओआई) आमंत्रित करता है। उपरोक्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले फर्म ईओआई विवरण डउनलोड करने हेतु हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.com/Tenders देखें।

ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2019, 15.30 घंटे (आईएसटी)

ह/-
उप महा प्रबंधक (एसआरएम)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (पीआर)-I, शाहदरा दक्षिण जोन

ई-1/12, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, ईमेल : eeprshahsouth@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

सं. ईई (पीआर)-I/एसएच एस/2019-20/डी-258   दिनांक 23.07.2019

http://engineering.mcdtenders.com, www.mcdonline.gov.in

आर.ओ. नं. 23/डीपीआई/पूर्वी/2019-20   ईई (पीआर)-I शाह. दक्षिण

पूर्वी दिल्ली नगर निगम का नागरिक हेल्पलाइन नं.: 155303

क्यूबा में रहे राजनयिकों में दिखे अजीबो-गरीब लक्षण

शिकागो, 24 जुलाई (एपी)।

क्यूबा की राजधानी हवाना में 2016 से 2018 के बीच नियुक्त रहे अमेरिका और कनाडा के राजनयिकों में दिखे अजीबो-गरीब लक्षणों का रहस्य और गहरा गया है। अमेरिकी राजनयिकों के मस्तिष्क की एडवांस एमआरआइ दिखाती है कि उसमें कुछ अजीब बदलाव हैं जो किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण नहीं हुए हैं।

पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने एडवांस एमआरआइ में पाया कि स्वस्थ लोगों के मुकाबले हवाना में तैनाती के दौरान उन लक्षणों के शिकार रहे लोगों के मस्तिष्क में वाइट मैटर कम है और कुछ अन्य संरचनात्मक बदलाव भी हैं। इन कर्मचारियों को संतुलन खोने, सोने में दिक्कत, सोचने में समस्या, सिर में दर्द और अन्य दिक्कतें थीं। इन्हें देखते हुए अंदाजा लगाया गया था कि 'ब्रेन स्टेम' के पास सेरेबेलम प्रभावित हुआ होगा, लेकिन इसके उलट एमआरआइ में उन्होंने मस्तिष्क को जोड़ने वाले उत्तकों के पैटर्न में काफी फर्क देखा। विश्वविद्यालय की ब्रेन इमेजिंग विशेषज्ञ और मुख्य अध्ययनकर्ता रागिनी वर्मा का कहना है कि इन राजनयिकों के मस्तिष्क में उत्तकों का पैटर्न किसी भी बीमारी या जख्म के कारण बनने वाले पैटर्न से बहुत अलग है। वर्मा ने कहा, 'यह बहुत अजीब है। यह वाकई में मेडिकल का रहस्य है।' 'ब्रेन इंजरी' विशेषज्ञ डॉक्टर रैंडल स्वानसन का कहना है कि इसमें दो राय नहीं है कि कुछ हुआ है, लेकिन इमेजिंग के जरिए यह तय नहीं किया जा सकता कि क्या हुआ है।

ताइवान स्वतंत्रता की ओर बढ़ा तो हो सकता है युद्ध : चीन

बेजिंग, 24 जुलाई (भाषा)।

चीन ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर ताइवान स्वतंत्रता की ओर बढ़ा तो युद्ध छिड़ सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने श्वेतपत्र जारी करते हुए कहा कि चीन ताइवान को उसके मुख्य भू-भाग (चीन) से शांतिपूर्ण तरीके से फिर से जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देगा।

वू ने कहा, 'हालांकि, हम दृढ़तापूर्वक यह भी कहना चाहते हैं कि अगर ताइवान ने स्वतंत्रता की मांग की तो यह खतरनाक कदम होगा। अगर कुछ लोगों ने ताइवान को देश से अलग करने की हिम्मत की तो चीन की सेना राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए युद्ध को भी तैयार रहेगी।' अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ताइवान के साथ 2.2 अरब डालर के रक्षा सौदे को मंजूरी दी थी, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी।

चीन ने यह कहते हुए इस कदम का पुरजोर विरोध किया था कि अमेरिका का हथियार बेचना, चीन की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों और 'वन-चाइना' नीति के बुनियादी नियमों का भी उल्लंघन है। हालांकि ताइवान ने सौदे का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिकी हथियार, चीन की ओर से सैन्य खतरों की सूरत में उसकी आत्मरक्षा को मजबूत करने में मदद करेंगे।

हांगकांग में चीनी सेना तैनात करने की चेतावनी

बेजिंग, 24 जुलाई। चीन की सेना ने हांगकांग में चीन को प्रत्यर्पण करने वाले विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय सरकार के आग्रह पर कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह वहां अपने सैनिकों को तैनात कर सकती है। (**भाषा**)

2019 के बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में रश्दी, मार्गरेट

लंदन, 24 जुलाई (भाषा)।

ब्रिटिश-भारतीय उपन्यासकार सलमान रश्दी के आगामी दिनों में प्रकाशित होने वाले उपन्यास 'क्विचोटे' ने इस साल के बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में जगह बनाई है। 72 वर्षीय लेखक को पूर्व में 1981 में 'मिडनाइट्स चिल्ड्रन' के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। वर्ष 2000 में 'ब्लाइंड असैसिन्स' के लिए बुकर पुरस्कार जीत चुकीं कनाडाई लेखिका मार्गरेट ऐटवुड का नाम भी इस इस साल के बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल है। उनका नाम उनके उपन्यास 'द टेस्टामेंट्स' के लिए शामिल किया गया है जो उनकी चर्चित किताब 'द हैंडमेड्स टेल' की उत्तर कथा (सीक्वल) है।

ब्रेक्जिट के वादे पर किंतु-परंतु नहीं, काम शुरू : जॉनसन

लंदन, 24 जुलाई (भाषा)।

कंजरवेटिव पार्टी के नेतृत्व की जंग शानदार तरीके से जीतने के एक दिन बाद बोरिस जॉनसन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली। उन्होंने कहा कि 28 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ से 'बिना किसी किंतु और परंतु' के 31 अक्तूबर को ब्रिटेन अलग हो जाएगा। 55 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री व लंदन के मेयर रह चुके जॉनसन ने महारानी ऐलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात के बाद डाउनिंग स्ट्रीट की सीढ़ियों से प्रधानमंत्री के रूप में पहला भाषण दिया।

हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी

लाहौर, 24 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के गुजरांवाला की आतंकवाद रोधी अदालत ने बुधवार को मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित हाफिज सईद को आतंक के वित्त पोषण के आरोप में 17 जुलाई को गिरफ्तार कर लाहौर से गुजरांवाला लाया गया था। उसी दिन सईद को आतंकवाद रोधी अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ अमेरिकी डालर का ईनाम घोषित कर रखा है। अदालत ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग को सात अगस्त तक सईद के खिलाफ पूर्ण आरोपपत्र दाखिल करने के लिए भी कहा है। आतंकवाद रोधी विभाग ने तीन जुलाई को सईद समेत जमात-उद-दावा के 13 शीर्ष नेताओं के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में 23 प्राथमिकियां दर्ज की थीं।

भारत से नहीं बल्कि आतंकी संगठनों से है पाक को असली खतरा : पेट्रायस

न्यूयार्क, 24 जुलाई (भाषा)।

सीआइए के पूर्व निदेशक जनरल डेविड पेट्रायस ने कहा कि पाकिस्तान को असली खतरा भारत से नहीं, बल्कि देश के अंदर के चरमपंथियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकी संगठनों से है। पेट्रायस ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपट सकते हैं। पेट्रायस ने यहां मंगलवार को हिंद-प्रशांत विषय पर अपने संबोधन के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास में परिचर्चा सत्र के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री खान अपने देश में बड़ी चुनौती का सामना कर रह रहे हैं, जहां अर्थव्यवस्था बेहद बदहाल है और हालात सचमुच में मुश्किल भरे हैं।

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 13 के उप अनुच्छेद (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के अनुच्छेद (क) के मामले में

और

डीएलएफ कामर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड (U70101DL2002PLC113636) के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, 9वां तल, नई दिल्ली-110001 में स्थित है

आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनी

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कंपनी का अपना पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित करने की स्वीकृति के लिये 28.06.2019 को हुई असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के अनुरूप कंपनी के संस्थापन प्रलेख में बदलाव की पुष्टि हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 13 के अधीन केंद्रीय सरकार के पास आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेख करते हुए शपथपत्र से समर्थित अपनी आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर अथवा क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट मामले मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर, साथ में आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय को इसकी प्रति प्रेषित करते हुए, सुपुर्द कर सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है

दिनांक: 24 / 7 / 2019
स्थान: नई दिल्ली

कृते डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड
सं/-
निदेशक

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड
HeroFinCorp.
पंजी. कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

कब्जा सूचना
[(परिशिष्ट IV) नियम 8 (1)]

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद "सरफैसी अधिनियम 2002" के रूप में वर्णित) के प्रावधानों के अंतर्गत हीरो फिन कॉर्प लि., एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (भारतीय रिजर्व बैंक में विधिवत पंजीकृत) जिसका पंजीकृत कार्यालय 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली- 110057 में है (यहां के बाद "एचएफसीएल" वर्णित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.09.2016 जारी कर श्री अजय मैनी, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स, बी 1 / ए 21, भू तल, मोहन को-ऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली 110044, साथ हीं सी-3, 3रा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली के प्रबंध पार्टनर, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स, बी 1 / ए 21, भू तल, मोहन को-ऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली 110044, श्री राकेश मैनी, पार्टनर, मै. मैनी स्कैफोल्ड सिस्टम्स, बी 1 / ए 21, भू तल, मोहन को-ऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली 110044 तथा मै. मैनी कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट्स प्रा.लि., बी 1 / ए 21, भू तल, मोहन को-ऑपरेटिव इस्टेट, नई दिल्ली 110044 (ऋणधारक/ सह-ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 09.09.2018 को ब्याज के साथ सूचना में वर्णित रु. 10,11,79,116.54 की राशि के भुगतान का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 23.07.2019 को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय 9.9.2016 को रु. 10,11,79,116.54 तथा उस पर आगे के ब्याज के लिए 'एचएफसीएल के चार्ज के अधीन होगा।

"ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा वहन की गई खर्चे के साथ "एचएफसीएल" की बकाये को चुका देते हैं तो "एचएफसीएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री अथवा अंतरण नहीं की जायेगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री अथवा अंतरण के लिये "एचएफसीएल" द्वारा आगे कोई भी कदम नहीं उठाया जायेगा।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

3/26, 2रा तल, शांति निकेतन, नई दिल्ली का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 23.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिन कार्प लिमिटेड

CIN: U74899DL1991PLC046774 | टेली.: 011-49487150 | फैक्स: 011-49487197
ईमेल: legal@herofincorp.com | वेबसाईः www.herofincorp.com

कब्जा-सह-
नीलामी बिक्री सूचना
DCB BANK

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा ऋणधारक, सह-ऋणधारकों तथा विशेष रूप से गारन्टरों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. नई दिल्ली के पास गिरवी है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने 17.7.2019 को वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उसका भौतिक कब्जा कर लिया है। अधोलिखित बकाये तथा अधोलिखित विवरणों के अनुसार आगे के ब्याज, चार्जेज तथा लागत आदि की वसूली के लिये निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की जायेगीः

सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" शर्त पर की जायेगी। यदि वे अपने सम्पूर्ण बकाये का भुगतान नहीं करते हैं तो वर्णित तिथि को नीलामी-सह-बिक्री के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों के लिये यह एक सूचना हैः

ऋणधारक एवं गारन्टरों का नाम: राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा नील कमल शर्मा
गिरवी सम्पत्ति का विवरण: बी-225/5 एच, गली नं. 7, अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032

आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
रु. 1,08,00,000 (रु. एक करोड़ आठ लाख मात्र)	रु. 10,80,000/- (रुपए दस लाख अस्सी हजार मात्र)	16.8.2019 को 11.30 पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	27.8.2019 को 12.30 अप. से 4.00 बजे अप.

बकाया: 17.7.2019 को रु. 1,36,03,637/- (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार छः सौ सैंतीस मात्र)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की खरीद के लिये इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं से मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक क्रेता 26.8.2019 को 6.30 बजे सायं या उससे पूर्व डीसीबी बैंक लि., 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली-110005 में धरोहर राशि के लिये डीसीबी बैंक लि., नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में उपरोक्त सम्पत्ति के लिये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मुहरबंद प्रस्ताव को नीलामी की तिथि 27.8.2019 को 12.30 बजे पूर्वा. में खोला जायेगा।

यदि बोली सफल नहीं हो तो बिना ब्याज के ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी।

इच्छुक क्रेता अधिकतम् उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें श्री श्यामसुन्दर चंधोक अथवा श्री मयंक दत्त चौधरी (011)-45016060/55 से सम्पर्क करना होगा।

धरोहर राशि के बिना प्रस्ताव तत्काल अस्वीकार कर दी जायेगी।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने या नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में क्रेता को तत्काल 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी राशि घटाकर) का भुगतान करना होगा तथा यदि वे उसका भुगतान करने में विफल होते हैं तो धरोहर राशि के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से तत्काल बिक्री की जायेगी।

शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर धरोहर राशि के रूप में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।

अन्य किसी भी सांविधिक बकाये/करों/स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/अंतरण शुल्क का वहन अलग से क्रेता को ही करना होगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा बकाया देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी।

हस्ता./-
तिथि: 24.07.2019
स्थान: दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited
पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: www.pnbhousing.com
शाखा का पता: एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110016,
टेली.: 011-26512911, ई-मेल: greenpark@pnbhousing.com, वेबसाईट: www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	0035 6660000009 बी.ओ. ग्रीन पार्क	मै. ट्रैण्ड फ्लोरिंग प्रा. लि. श्री अमित नारायण सिंह एवं श्री अरविन्द नारायण सिंह	8.4.2019	रु. 94,39,503.52 (रुपए चौड़ानवे लाख उन्तालिस हजार पांच सौ तीन तथा पैसे बावन मात्र)	20.7.2019 (सांकेतिक कब्जा)	फ्लैट नं. 9337, भू तल, कैटगरी II, सेक्टर सी, पॉकेट-9, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, वसंत कुंज, ग्रीन पार्क, दिल्ली-110070

स्थान: ग्रीन पार्क, तिथि: 24.07.2019 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः मेरठ रोड, सेहानी, गाज़ियाबाद, उ0प्र0-201003

यह माग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार / गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदार: **(1) श्रीमती रचना जैन पत्नी मनोज कुमार जैन** 1 / 5611, गली नं.13, बलबीर नगर विस्तार शाहदरा, दिल्ली-110032 **(2) श्री मनोज कुमार जैन पुत्र हरी किशन,** 1 / 5611, गली नं.13, बलबीर नगर विस्तार शाहदरा, दिल्ली-110032 **गारंटर:** **श्री पंकज जैन, पुत्र महेन्दर जैन** मकान नं.125, गली नं.3, गीता बाल भारती स्कूल, शंकर नगर, कृष्णा नगर पूर्व, शाहदरा, दिल्ली-110051	**श्रीमती रचना जैन पत्नी श्री मनोज कुमार जैन** के नाम पर गांव सिकंदरपुर, गली नं. 16 की आबादी, बलबीर नगर एक्स. इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति सं. 1 / 5518-बी, एरिया 89.46 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. 21, भूमि परिमाप 89.46 वर्ग मीटर, खसरा नं. 175 का भाग, प्रवेश, गलियारे की सीढ़ियों के सामान्य अधिकार के साथ बिजली एवं पानी का कनेक्शन और भूमि में अविभाजित इम्पोर्टेबल आनुपातिक स्वामित्व अधिकार तथा भूतल पर एक एसयूवी कार पार्किंग एवं 2 दोपहिया पार्किंग अधिकार। **सम्पत्ति निम्नानुसार घिरी है:** **पूर्वः** रोड, **पश्चिमः** अन्य की सम्पत्ति, **उत्तरः** रोड, **दक्षिणः** अन्य की सम्पत्ति।	29.06.2019 को एनपीए 01.07.2019 को बकाया रु.25,60,309/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24.07.2019
प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाज़ियाबाद

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
रिकवरी विभाग, सर्किल कार्यालय, पीएनबी हाउस, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.
फोन: 05732-281724, फैक्सः 05732-283502, ई-मेलः cobsrsamd@pnb.co.in

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बीओः सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 06.05.2019 जारी कर ऋणधारक(कों) मै. ममता सुगन्धि भण्डार (प्रॉपः श्री विजय कुमार जिन्दल, पुत्र श्री मोहन लाल) पताः 57, आनंद विहार, जिला बुलन्दशहर-203001 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.4.2019 को रु. 10,78,183.48 (शब्दों में रुपए दस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तिड़ासी एवं पैसे अड़तालिस मात्र) के साथ 1.5.2019 के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर 01.10.2018 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.04.2019 को रु. 10,78,183.48 (शब्दों में रुपये दस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तिड़ासी तथा पैसे अड़तालिस मात्र) के साथ 1.5.2019 के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर 01.05.2019 को अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक, बीओः सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं. 6870, तिथि 23.12.1978 में पेज 511 से 516 में बही नं. 1, जिल्द नं. 1438 में उप-रजिस्ट्रार कार्यालय बुलन्दशहर में पंजीकृत आवासीय मकान सं. 57, मोहल्ला आनंद विहार, सराय लोढ़गण, हनुमान मंदिर के निकट, बुलन्दशहर, माप 83.64 वर्ग मी. के ईएम से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्वः** अर्जी हाजी अब्दुल, **पश्चिमः** रास्ता, **उत्तरः** पूरण चंद का प्लॉट, **दक्षिणः** अर्जी माया देवी।

तिथि: 19.07.2019
स्थान: बुलन्दशहर
प्राधिकृत अधिकारी
कमल किशोर ठाकुर, मुख्य प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक
बीओः सिविल लाइन्स, जिला बुलन्दशहर

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
रिकवरी विभाग, सर्किल कार्यालय, पीएनबी हाउस, यमुनापुरम, बुलन्दशहर, उ.प्र.
फोन: 05732-281724, फैक्सः 05732-283502, ई-मेलः cobsrsamd@pnb.co.in

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, बीओः सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 06.05.2019 जारी कर ऋणधारक(कों) मै. सिरोही कन्स्ट्रक्शन) (श्री चकित कुमार सिंह, पुत्र श्री ओमवीर सिंह के पार्टनर) पताः ईडब्ल्यूएस-272 आवास विकास-1, डीएम रोड, जिला बुलन्दशहर सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 30.4.2019 को रु. 12,73,110.10 (शब्दों में रुपए बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ दस एवं पैसे दस मात्र) के साथ 1.5.2019 के बाद वसूली यदि कोई भी गई हो, को घटाकर 01.10.2018 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 19 जुलाई, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है:

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.3.2019 को रु. 12,73,110.10 (शब्दों में रुपए बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ दस एवं पैसे दस मात्र) के साथ 1.5.2019 के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर 1.4.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक, बीओः सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्रम सं. 781/782 में पेज 183/157 में बही नं., जिल्द नं. 2400/2419 में प्रविष्टि के माध्यम से राम गिलास, सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निष्पादित प्रेम वीर सिंह के पक्ष में बिक्री प्रलेख के अनुसार आवासीय मकान सं. ईडब्ल्यूएस-272 आवास विकास-1, डीएम रोड, जिला बुलन्दशहर-203001, माप 42.74 वर्ग मी. पर ईएम से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः फ्लैट नं. 271, पश्चिमः प्लैट नं. 273, उत्तरः फ्लैट नं. 255, दक्षिणः 6.00 मी. चौड़ी सड़क।

तिथि: 19.07.2014
स्थान: बुलन्दशहर
प्राधिकृत अधिकारी
कमल किशोर ठाकुर, मुख्य प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक
बीओः सिविल लाइन्सः जिला बुलन्दशहर

पंजाब नैशनल बैंक भरोसे का प्रतीक punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
शाखा कार्यालयः शालीमार बाग, दिल्ली, मो.: 8130694683, ई-मेलः bo4184@pnb.co.in

तिथिः 25.6.2019 (पंजी. डाक (स्पीड पोस्ट)
1. मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स (पार्टनरशिप फर्म) द्वारा उसके पार्टनर्स श्री अमरजीत सिंह कालरा, पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह कालरा तथा श्रीमती जगजीत कौर कालरा, पत्नी श्री सुरिन्दर सिंह कालरा
पता 1: पंजी/कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
पता 2: वर्क्स/फैक्ट्रीः सी-17 एवं 18, इंडस्ट्रियल इस्टेट काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244713
पता 3: कमरा सं. 301, दूसरा तल, डब्ल्यूजेड-15बी, उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर, नई दिल्ली-110018
2. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा (गारन्टर) पत्नी एस. अमरजीत सिंह कालरा, सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
3. श्री अमरजीत सिंह कालरा (पार्टनर) पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह कालरा, सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
4. श्रीमती जगजीत कौर कालरा (पार्टनर) पत्नी श्री सुरिन्दर सिंह कालरा, सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
5. साथ ही exports.ems@gmail.com, fm.manager@5core.in पर ईमेल भी की गई।
प्रिय महोदय/महोदया
संदर्भः ऋण खाता सं.-0637008700003060, 418400UD00001687, 418400UD00001720, 418400UN0000000031, 418400UF00000053, जिसमें मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स (पार्टनरशिप फर्म) द्वारा साख सुविधाऐं प्राप्त की गई, में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (सरफैसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स (पार्टनरशिप फर्म) जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 तथा फैक्ट्री परिसर सी-17 एवं 18, इंडस्ट्रियल इस्टेट, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड 244713 में है, ने निम्न साख सुविधाऐं प्राप्त की हैं:

विषयः पंजाब नेशनल बैंक, शालीमार बाग, दिल्ली में ऋण खाताऐं जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	सुविधा	सीमा	शेष बकाया (25.6.2019 को)
1.	0637008700003060	नगदी साख-हाईपो एवं बीडी, पीसी लिमिट का (सब लिमिट)	(20000000)	4831446.15
2. 3.	418400UD00001687 418400UD0000172	पैकिंग क्रेडिट	180000000	49605499.00 108879256.09
4.	4418400UN00000031	एफओबीपी/एफएबीसी/एफओयूबीपी जिसमें रु. 5.00 करोड़ की तदर्थ सीमा शामिल है	370000000	318186919.00
	कुल		550000000	481503120.24

ऋणधारक मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स ने 01.05.2019 से पुनर्भुगतान की तिथि तक स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज के साथ 25.06.2019 को बकाया रु. 48,15,03,120.24 (रुपए अड़तालिस करोड़ पंद्रह लाख तीन हजार एक सौ बीस तथा पैसे चौबीस मात्र) की ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक की है। उनके द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाएं 31.03.2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दी गई है। बैंक ने 25.6.2019 को अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर 25.06.2019 को बकाया रु. 481503120.24 की राशि वापस लौटाने का आग्रह किया। यह सूचना पंजीकृत डाक से भेजी गई थी। एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा गारन्टरों से आग्रह है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ 48,15,03,120.24 की राशि का भुगतान करें अन्यथा बैंक में यहां नीचे अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार ऋणधारक/ गारन्टर पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना सूचना की प्राप्ति की तिथि से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

अनुसूची

परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित निर्मित है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
1. कच्चे मालों, प्रगति में कार्यों, तैयार सामग्रियों, कंज्यूमेबल्स स्टोर्स/पैकिंग सामग्री, प्रेषण में सामग्री तथा बुक डेब्ट्स के एसाइन्मेन्ट्स तथा ऋणधारक की अन्य सभी चालू परिसम्पत्तियों के सम्पूर्ण स्टॉक्स का हाइपोथेकेशन।
2. उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त की जा रही गोदाम में पड़ी मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स के नाम में सम्पूर्ण चल परिसम्पत्तियों जैसे प्लान्ट एवं मशीनरी तथा अटैच की जाने योग्य अन्य परिसम्पत्तियों
3. श्रीमती जगजीत कौर कालरा पत्नी श्री सुरिन्दर सिंह कालरा, निवासी डब्ल्यूजेड-15-बी, उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर, नई दिल्ली-110018 के नाम में ग्राम बसई दारापुर, कॉलोनी मानसरोवर गार्डन के नाम से विदित, नई दिल्ली-110015 में स्थित निर्मित सम्पत्ति माप, क्षेत्रफल 310 वर्ग यार्ड्स के भाग में फ्रान्ट एवं बैक कोर्टयार्ड के साथ बिना छत के अधिकार के सी-130 ऊपरी भूतल में भूमि एवं भवन से शामिल आवासीय सम्पत्ति में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
4. एस अमरजीत कालरा, पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह कालरा के नाम में ग्राम बसई दारापुर, कॉलोनी मानसरोवर गार्डन के नाम से विदित, नई दिल्ली-110015 में स्थित निर्मित सम्पत्ति सं. सी-130, क्षेत्रफल माप 310 वर्ग यार्ड्स के भाग में बिना छत के अधिकार के निम्न भूतल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज
5. एस अमरजीत कालरा, पुत्र श्री सुरिन्दर सिंह कालरा के नाम में ग्राम बसई दारापुर, कॉलोनी मानसरोवर गार्डन के नाम से विदित, नई दिल्ली-110015 में स्थित निर्मित सम्पत्ति सं. सी-130, क्षेत्रफल माप 310 वर्ग यार्ड्स के भाग में छत के अधिकार के साथ दूसरे तल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज
6. उसके पार्टनर एस अमरजीत सिंह कालरा, पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा के माध्यम से मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स के नाम में ग्राम तिहाड़ के क्षेत्र, उग्रसेन मार्केट के नाम से विदित कॉलोनी, अशोक नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में स्थित डब्ल्यूजेड-15, क्षेत्रफल माप 76 वर्ग यार्ड्स (लगभग), खसरा नं. 328/329 में दक्षिणी साइट के भाग में निर्मित सम्पत्ति में छत के अधिकार के बिना निम्न भूतल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
7. उसके पार्टनर एस अमरजीत सिंह कालरा, पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा के माध्यम से मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स के नाम में ग्राम तिहाड़ के क्षेत्र, उग्रसेन मार्केट के नाम से विदित कॉलोनी, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में डब्ल्यूजेड-15, दूसरा तल, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल माप 91 वर्ग यार्ड्स में सम्पत्ति में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
8. उसके पार्टनर एस अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा के माध्यम से मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स के नाम में ग्राम केशोपुर, संतगढ़ नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 में स्थित खसरा नं. 14/11/2 के भाग में प्लॉट नं. 27 के भाग में निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-113, क्षेत्रफल माप 35 वर्ग यार्ड्स में छत के अधिकार सहित डब्ल्यूजेड-113, दूसरा तल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
9. उसके पार्टनर एस अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा के माध्यम से मै. ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स के नाम में ग्राम केशोपुर, संतगढ़ नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 में स्थित खसरा नं. 14/11/2 के भाग में प्लॉट नं. 27 के भाग में निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-113, क्षेत्रफल माप 35 वर्ग यार्ड्स (भूतल एवं प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-113 में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
10. एस अमरजीत सिंह कालरा, पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा के नाम में पटौदी, हरियाणा में प्लॉट नं. 1060 पी, सेक्टर 1, पीएट, क्षेत्रफल माप 450 वर्ग मी. में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
11. उसके पार्टनर एस अमरजीत सिंह कालरा, पुत्र सुरिन्दर सिंह कालरा के माध्यम से ईएमएस एंड एक्स्पोर्ट्स के नाम में डेवलपमेन्ट साइट, इंडस्ट्रियल इस्टेट, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर (उत्तरांचल) में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन, लीज पर, प्लॉट नं. सी-17 एवं सी-18, क्षेत्रफल माप 137.76 वर्ग मी. (1600 वर्ग यार्ड्स) में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
12. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम तिहाड़, उग्रसेन नगर के नाम से विदित कॉलोनी, एलिस उग्रसेन मार्केट, संत पुरा, अशोक नगर के निकट, नई दिल्ली-110018 के क्षेत्र में स्थित प्लॉट नं. 14 एवं 15, क्षेत्रफल माप 153 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-15-बी/1 में छत के अधिकार के बिना सम्पूर्ण दूसरे तल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
13. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम तिहाड़, मीनाक्षी गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 में भूमि क्षेत्रफल माप 89 वर्ग यार्ड्स (74.41 वर्ग मी.) पर निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-40बी-1/ए, जो प्लॉट नं. 22 एच बी, खसरा नं. 282 पर निर्मित है, में बिना छत/टैरेस के अधिकार के सम्पूर्ण प्रथम तल तथा भूमि क्षेत्रफल माप 89 वर्ग यार्ड्स (74.41 वर्ग मी.) पर बिना छत/टैरेस के अधिकार के सम्पूर्ण दूसरे तल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
14. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम तिहाड़, मीनाक्षी गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 के क्षेत्र में स्थित भूमि क्षेत्रफल माप 100 वर्ग यार्ड्स (83.60 वर्ग मी.) निर्मित सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-40बी-1 सी, जो प्लॉट नं. 21, खसरा नं. 282 पर निर्मित है, में बिना छत/टैरेस के अधिकार के सम्पूर्ण प्रथम तल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
15. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम तिहाड़, मीनाक्षी गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 के क्षेत्र में स्थित भूमि क्षेत्रफल माप 97 वर्ग यार्ड्स (81.10 वर्ग मी.) पर बिना छत/टैरेस के अधिकार के सम्पूर्ण प्रथम तल तथा भूमि, क्षेत्रफल माप 97 वर्ग यार्ड्स (81.10 वर्ग मी.) पर बिना छत/टैरेस के अधिकार के सम्पूर्ण दूसरे तल, सम्पत्ति नं. डब्ल्यूजेड-40बी-1 बी, जो प्लॉट नं. 20, खसरा नं. 282 में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
16. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में मोरे सराय रोड, कौरिया पुल, सराय बर्फखान, एचसी सेन रोड, दिल्ली-110016 में स्थित निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति, प्राईवेट नं. 43-ए, सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 2287 का भाग, क्षेत्रफल माप 330 वर्ग फीट (30.65 वर्ग मी.) में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
17. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम मटियाला, टी-एक्स्टें. के नाम से विदित कॉलोनी, पार्ट-III (जैन कॉलोनी) उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 की राजस्व सम्पदा में स्थित निर्मित सम्पत्ति सं. 104-ए, क्षेत्रफल माप 60 वर्ग यार्ड्स (अर्थात् 50.17 वर्ग मी.), खसरा नं. 20/20 में छत के अधिकार के बिना दूसरे तल, प्लॉट नं. 113 (दक्षिण-पश्चिम दिशा) में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
18. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110018 में स्थित निर्मित सम्पत्ति सं. सी-131-बी, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग यार्ड्स में छत/टैरेस के अधिकार के बिना सम्पूर्ण प्रथम तल में स्थित अचल सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
19. श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम बसई दारापुर, मानसरोवर गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 के क्षेत्र में स्थित निर्मित सम्पत्ति सं. सी-130, क्षेत्रफल माप 310 वर्ग यार्ड्स के भाग में फ्रान्ट एवं बैक कोर्टयाई के साथ बिना छत/टैरेस के अधिकार के प्रथम तल में स्थित अचल सम्पत्ति के इक्विटैबल मार्टगैज का विस्तार।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

खबर कोना

अर्जेंटीना के पहले विश्व कप क्वालीफायर से मेस्सी बाहर

आसुनसियोन (पराग्वे), 24 जुलाई (एपी)।

लियोनल मेस्सी को विश्व कप 2022 के लिए अर्जेंटीना के पहले विश्व कप क्वालीफायर मैच से निलंबित कर दिया गया है। दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संचालन संस्था ने इसके साथ ही उन पर 1500 डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ (कानमिबोल) ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। मेस्सी को कोपा अमेरिका के तीसरे स्थान के लिए चिली के खिलाफ खेले मैच के दौरान लाल कार्ड मिला था। मेस्सी खेल के 37वें मिनट में चिली के गैरी मेडल से भिड़ गए थे और इन दोनों को बाहर कर दिया गया था। अर्जेंटीना ने यह मैच 2-1 से जीता था। दक्षिण अमेरिका में विश्व कप क्वालीफाईंग मैच मार्च से शुरू होंगे। फैसले में मेस्सी के कोपा अमेरिका संगठन पर लगाए गए आरोपों का जिक्र नहीं किया गया है। मेस्सी ने कहा था कि टूर्नामेंट में भ्रष्टाचार व्याप्त था और इसमें ब्राजील को जिताने के लिए पूरी तैयारियां की गई थी। मेस्सी ने बाद में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ से माफी मांगी थी।

वाल्मिकी और हरजीत का डच क्लब से करार

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

भारतीय हॉकी खिलाड़ी देविंदर वाल्मिकी और हरजीत सिंह ने नीदरलैंड के क्लब एचजीसी के साथ 2019-20 सत्र के लिए अनुबंध किया है और इस दौरान वे आगामी यूरो हॉकी लीग के मैचों में खेलेंगे। वाल्मिकी और हरजीत दोनों मिडफील्डर हैं और अभी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। यूरो हॉकी लीग में वे चार अक्तूबर को बार्सिलोना में पदार्पण करेंगे। एचजीसी ने 2011 में यूरो हॉकी लीग का खिताब जीता था लेकिन इसके बाद वे पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। वाल्मिकी रियो ओलंपिक 2016 की भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अब तक भारत की तरफ से 48 मैच खेले हैं। हरजीत 2016 में जूनियर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने राष्ट्रीय टीम की तरफ से 52 मैच खेले हैं।

रूसी मुक्केबाज दादाशेव की मुकाबले के बाद मौत

मास्को, 24 जुलाई (एएफपी)।

रूसी मुक्केबाज मैक्सिम दादाशेव की मेरीलैंड में एक मुकाबले के दौरान सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। रूसी मुक्केबाजी महासंघ ने मंगलवार को यह घोषणा की। महासंघ ने बयान में कहा, 'मैक्सिम दादाशेव की अमेरिका में मृत्यु हो गई। वह सुबरियल मैतियास के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे।' इस 28 वर्षीय मुक्केबाज का वाशिंगटन में आपात स्थिति में मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया। प्यूर्टोरिका के मैतियास के खिलाफ शुक्रवार को उनका मुकाबला 11वें दौर के बाद रोक दिया गया था। 'मैड मैक्स' के नाम से मशहूर दादाशेव ड्रेसिंग रूम तक जाने की स्थिति में भी नहीं थे और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके मस्तिष्क में सूजन आ गई थी जिसके लिए ऑपरेशन किया गया था। दादाशेव 2016 में पेशेवर मुक्केबाज बने थे।

श्रीकांत और समीर बाहर

दूसरे दौर में सिंधू-प्रणय

जापान ओपन

37 मिनट में सिंधू ने गैर वरीय चीन की हान यूए को 21-9, 21-17 से हराया

59 मिनट में प्रणय ने अपने से अधिक रैंकिंग के श्रीकांत को 13-21, 21-11, 22-20 से हराया

पीवी सिंधू

तोक्यो, 24 जुलाई (भाषा)।

शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधू और एचएस प्रणय ने क्रमशः महिला और पुरुष एकल स्पर्धाओं में बुधवार को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जीत दर्ज करते हुए जापान ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया ओपन में उप विजेता रहीं सिंधू ने गैर वरीय चीन की हान यूए को 21-9, 21-17 से हराने में महज 37 मिनट लिए। पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधू का सामना अब जापान की आया ओहोरी से होगा।

आठवें वरीय श्रीकांत की खराब फॉर्म जारी रही और उन्हें बुधवार को यहां पहले दौर में ही हमवतन प्रणय से हार का सामना करना पड़ा। प्रणय ने बीडब्लूएफ विश्व टूर सुपर 750 टूर्नामेंट में अपने से अधिक रैंकिंग के श्रीकांत को 13-21, 21-11, 22-20 से हराया। यह मैच 59 मिनट तक चला। समीर वर्मा भी पहले दौरे से आगे नहीं बढ़ पाए और डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से सीधे गेम में हार गए। गैरवरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को 46 मिनट तक चले मैच में 17-21, 12-21 से पराजय का सामना करना पड़ा।

श्रीकांत का प्रणय के खिलाफ रेकार्ड बेहतर रहा है। उन्होंने पहला गेम आसानी से अपने नाम किया। प्रणय ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की और फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंचे तीसरे और निर्णायक गेम में अहम मौकों पर अंक बटोरे। वह दूसरे दौर में डेनमार्क के रासमुस गेमके का सामना करेंगे। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत इस सत्र में फॉर्म से जूझ रहे हैं। वह पिछले सप्ताह इंडोनेशिया ओपन में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। पुरुष युगल में भारत के लिए अच्छी खबर रही। सत्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंग्लैंड के मार्कस एलिस और क्रिस लैंग्रिज की जोड़ी को 21-16, 21-17 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब इनका सामना सोलग्यू चोई और सेयुंग जाए सियो की कोरियाई जोड़ी तथा चीन के काई जियांग हुआंग और चेंग लियू की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

महिला युगल में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी कोरिया की सो यियोंग किम और ही योंग कोंग की जोड़ी से 16-21, 14-21 से हारकर बाहर हो गई। इस बीच प्रणव जेरी चोपड़ा और सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी मिश्रित युगल से बाहर हो गई है। उन्हें चीन के झेंड सी वेइ और हुआंग या कियोंग ने 21-11, 21-14 से हराया।

शुभमन को टीम में होना चाहिए था : गांगुली

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बुधवार को अनुभवी अजिंक्य रहाणे और युवा शुभमन गिल को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए एक दिवसीय टीम में नहीं चुनने पर सवाल उठाए। उन्होंने चयनसमिति से अपनी नीतियों में निरंतरता बनाए रखने का आग्रह किया। केदार जाधव निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन वह टीम में हैं जबकि वेस्ट इंडीज में पांच लिस्ट ए मैचों में 218 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज रहे गिल को टीम में जगह नहीं मिली।

गांगुली ने ट्विटर पर चयनकर्ताओं की खिंचाई की और उन्होंने कहा कि उनका मुख्य काम सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टीम का चयन करना होना चाहिए ना कि लोगों को खुश करना।

उन्होंने ट्वीट किया, 'लय और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए समय आ गया है कि चयनकर्ता सभी प्रारूपों में समान खिलाड़ियों का चयन करें। केवल कुछ खिलाड़ी ही हैं जो सभी प्रारूपों में खेलते हैं। मजबूत टीमों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं। सभी को खुश करना जरूरी नहीं है। देश के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करना और चयन में निरंतरता बनाए रखना अहम है।' गांगुली ने कहा कि टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी प्रारूपों में खेल सकते हैं। शुभमन गिल को टीम में नहीं देखकर हैरान हूं। रहाणे को भी वनडे टीम में होना चाहिए था।

गिल ने कहा, निराश हूं लेकिन, समय बर्बाद नहीं कर रहा

भारत 'ए' की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने के कारण शुभमन गिल को सीनियर टीम में वापसी की उम्मीद थी। लेकिन, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए उनका चयन नहीं हुआ जिससे वह निराश हैं। हालांकि इसके बारे में सोचकर वह समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। गिल, मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर के बारे में माना जा रहा था कि उन्हें सीमित ओवरों की टीम में चुन लिया जाएगा लेकिन तीन अर्धशतकों की मदद से 218 रन बनाने और मैन ऑफ द सीरीज चुने जाने के बावजूद पंजाब के युवा बल्लेबाज की अनदेखी की गई। गिल ने कहा कि मैं रविवार को भारतीय सीनियर टीम की घोषणा का इंतजार कर रहा था और मुझे किसी एक टीम में चयन की उम्मीद थी। चयन नहीं होना निराशाजनक है लेकिन मैं इसके बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं।

मुर्ताघ ने इंग्लैंड को 85 रन पर समेटा

लंदन, 24 जुलाई (एएफपी)।

यह 34 टैस्ट में चौथी बार है कि इंग्लैंड ने एक सत्र में सभी 10 विकेट गंवा दिए जो आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टैस्ट मैचों की शृंखला से पहले शुभ संकेत नहीं है।

टिम मुर्ताघ की शानदार गेंदबाजी के दम पर विश्व कप विजेता इंग्लैंड के रंग में भंग डालते हुए आयरलैंड ने उसे लॉर्ड्स पर खेले जा रहे टैस्ट के पहले दिन 85 रन पर समेट दिया। मुर्ताघ ने नौ ओवर में 13 रन देकर पांच विकेट लिए। चाय के समय आयरलैंड ने दो विकेट पर 127 रन बना लिए थे और उसे पहली पारी में 42 रन की बढ़त मिल गई है।

एंड्रयू बलबर्नी 51 और पॉल स्टर्लिंग नाबाद 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। यह टैस्ट पांच की बजाए चार दिन का है। इसी मैदान पर विश्व कप जीतने के दस दिन बाद ही इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कलई आयरलैंड ने खोल दी। अगले सप्ताह से इंग्लैंड को एशेज शृंखला भी खेलनी है। इंग्लैंड के तीन ही बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच सके जिनमें से जो डेनली ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। इंग्लैंड की पारी 24वें ओवर के भीतर सिमट गई।

यह 34 टैस्ट में चौथी बार है कि इंग्लैंड ने एक सत्र में सभी 10 विकेट गंवा दिए जो आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टैस्ट मैचों की शृंखला से पहले शुभ संकेत नहीं है। विश्व कप के हीरो जैसन रॉय पांच रन बनाकर आउट हो गए। आयरलैंड के लिए पहला टैस्ट खेल रहे मार्क एडेयर ने 32 रन देकर तीन विकेट लिए जिसमें जोए रूट का विकेट शामिल था।

'रमन की नियुक्ति की समीक्षा करें आचरण अधिकारी'

नई दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डीके जैन को राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच डब्लूवी रमन की नियुक्ति की समीक्षा करने को कहा है। सीओए ने सैद्धांतिक रूप से अप्रैल में ही रमन की नियुक्ति की समीक्षा करने का फैसला किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जैन को कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह मामला भेजा है।

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज रमन को पिछले साल दिसंबर में पूर्व क्रिकेटरों कपिल देव, अंशुमान गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी की तदर्थ समिति ने विवादास्पद हालात में नियुक्त किया था। सीओए उस समय दो सदस्यीय समिति थी और इसके अध्यक्ष विनोद राय और डाइना इडुल्जी के बीच कोच चयन प्रक्रिया को लेकर गंभीर

मतभेद थे। लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोडगे के शामिल होने के बाद अब यह समिति तीन सदस्यीय हो गई है।

इडुल्जी ने कोच चयन प्रक्रिया को दिखावटी और 'असंवैधानिक' करार देते हुए कहा था कि कोच चुनने की जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएससी) को दी जानी चाहिए थी। सीएसी अभी काफी हद तक निष्क्रिय है और ऐसे में एक बार फिर कपिल, गायकवाड़ और रंगास्वामी की तदर्थ समिति को पुरुष टीम के मुख्य कोच के चयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं।

नए संविधान के अनुसार सिर्फ सीएसी को ही कोच चुनने का अधिकार है लेकिन सीओए को गांगुली और लक्ष्मण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार है जिन्हें जैन ने क्रिकेट में कई भूमिकाओं में से एक को चुनने को कहा है। बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा कि तदर्थ समिति अगर दोबारा राष्ट्रीय कोच चुनती है तो स्थिति पेचीदा हो सकती है, जैसा कि रमन के मामले में हुआ। तार्किक यह है कि गांगुली और लक्ष्मण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार किया जाए और फिर आगे की प्रक्रिया पर फैसला किया जाए।

यूटीटी ने दिग्गजों के खिलाफ बेखौफ खेलने में मदद की : शरत

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

भारत के स्टार खिलाड़ी अचंता शरत कमल का मानना है कि अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग में खेलकर उनके और अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। अब वे शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी के खिलाफ खेलने में झिझकते नहीं। लीग का तीसरा चरण 25 जुलाई से शुरू होगा। इसमें नए प्रारूप के हिसाब से मैच खेले जाएंगे। इस बार कुछ नई टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। चेन्नई लायंस, दबंग दिल्ली, गोवा चैलेंजर्स, पुनेरी पलटन, कोलकाता की आर पी-एस जी मेवरिक्स और यू मुम्बा एक दूसरे से भिड़ेंगी।

इस सत्र में चेन्नई लायंस प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारत के सीनियर टेटे खिलाड़ी शरत इसी टीम का हिस्सा हैं। शरत ने यूटीटी की सफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि इसके पहले दो सत्र, विशेषकर पहले सत्र में भारतीय खिलाड़ियों को लगा कि हम शीर्ष विदेशी खिलाड़ियों को पराजित कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मनिका बत्रा। दूसरे सत्र में मानव ठक्कर, जिसने क्रिस्टियन कार्लसन को हराया।

उन्होंने कहा कि अब हर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना कर रहा है। ओलंपिक रजत पदकधारी दक्षिण कोरिया के किम टैक सू एशियाई खेलों के बाद हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि भारत अब काफी मजबूत टीम है। चीन के कोच भी अभ्यास सत्र के बाद एक साथ खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजा रहे थे, हालांकि हम उन्हें हरा नहीं सके थे लेकिन उन्होंने हमारे जज्बे की प्रशंसा की।

शरत ने कहा कि इस लीग ने हमें शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका दिया और इससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। इससे हमें शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ियों के खिलाफ बेखौफ खेलने के लिए प्रेरित किया। अपनी टीम की संभावनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल हमारी टीम छुपीरूस्तम नहीं है, बल्कि प्रबल दावेदार है।

रोड्स ने क्षेत्ररक्षण कोच के लिए आवेदन किया

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जोंटी रोड्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के क्षेत्ररक्षण कोच के पद के लिए आवेदन किया है। वह इस पद के लिए आवेदन करने वाले सबसे हाई प्रोफाइल आवेदकों में से एक हैं। रोड्स ने 'क्रिकेटनेक्स्ट' वेबसाइट से कहा कि हां, मैंने भारत के क्षेत्ररक्षण कोच के पद के लिए आवेदन किया है। मेरी पत्नी और मुझे इस देश से प्यार है और इस देश ने पहले ही मुझे इतना कुछ दिया है। हमारे दो बच्चों का जन्म भारत में हुआ है। रोड्स अपने जमाने के शीर्ष क्षेत्ररक्षकों में से एक हैं। 1992 विश्व कप में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को रन आउट करना उनके करिअर के सर्वश्रेष्ठ क्षणों में से एक है।

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण Faithful, Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

विकास की नई संभावनाओं की तलाश

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए पुनरीक्षित वित्तीय परिणाम

₹ लाख में

विवरण	30.06.2019 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (पुनरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
परिचालनों से कुल आय (निवल)	608069	563751	2394922
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर पूर्व असामान्य और / या असाधारण मदें)	(115936)	(176821)	(310313)
कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(115936)	(176821)	(310313)
कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मदों के पश्चात)	(98046)	(128177)	(258830)
अवधि के लिए कुल समग्र आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल है।]	(98046)	(128177)	(258830)
ईक्विटी शेयर पूंजी	268372	141727	248791
पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों को छोड़कर)	1238491	1197471	1238491
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/-) (परिचालनगत व परिचालन रहित के लिए) (अवार्षिकीकृत)			
1. मूल :	(3.66)	(9.04)	(17.12)
2. मिश्रित :	(3.66)	(9.04)	(17.11)

नोट: उपरोक्त आंकड़े, सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के उद्धरण रूप हैं। तिमाही वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज एवं सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। (BSE: www.bseindia.com एवं NSE: www.nseindia.com), बैंक वेबसाइट (www.syndicatebank.in)

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
वाई. नागेश्वर राव	अजय के. खुराना	एस. कृष्णन	मृत्युञ्जय महापात्र	अजय विपिन नानावटी
विशेष कार्य अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अध्यक्ष

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24.07.2019

अधिक भुगतान क्यों करें?

सिंडिकेटबैंक आवास ऋण को अपनाएं और कम ई एम आई द्वारा बचत करें।

8.60%* प्र.व.

टॉप-अप की सुविधा उपलब्ध

टोल फ्री नंबर : 1800 3011 3333 / 1800 208 3333
www.syndicatebank.in

ओलंपिक में क्वालीफाई करने पर मानव की निगाहें

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 24 जुलाई।

बुधवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे यूटीटी में शामिल अलग-अगल फ्रेंचाइजियों से खेल रहे खिलाड़ी।

• लीग का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। चेन्नई लायंस, दबंग दिल्ली, गोवा चैलेंजर्स, पुनेरी पलटन, कोलकाता की आर पी-एस जी मेवरिक्स और यू मुम्बा एक दूसरे से भिड़ेंगी।

टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने पिछले कुछ समय में अपने दमदार प्रदर्शन से सबको हैरान किया है। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग में खेल रहे ठक्कर ने कहा कि इस लीग में शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने और जीत दर्ज करने से उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। अपने हाल के दिनों के प्रदर्शन को उन्होंने इसी का नतीजा बताया। शौकिया तौर पर इस खेल में कदम रखने वाले मानव यूटीटी में धुरंधरों को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। वह मानते हैं कि लीग में शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी भारतीय खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन से दिख रहा है।

मानव ने कहा कि दो तीन साल पहले पहले सिर्फ एक या दो ही खिलाड़ी थे जो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करते थे लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कई खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूटीटी ने हमें ऐसा मंच मुहैया कराया जहां हम शीर्ष विदेशी खिलाड़ियों से खेल सकते हैं। जब हम बाहर खेलते हैं तो हमें उनके खिलाफ खेलने के लिए पहुंचना पड़ता है लेकिन यूटीटी में हम सीधे ही उनके खिलाफ खेल सकते हैं। यहां हमें मौका मिलता है जिससे हमारा उनके खिलाफ खेलने का डर खत्म हुआ है, इसका असर प्रदर्शन में दिखता है।

मानव ने कहा कि इससे हर खिलाड़ी को मदद मिल रही है और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह खेल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका भविष्य अच्छा है। आप देखोगे कि यूटीटी के बाद हमने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पदक जीते। मानव ने महज 19 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और अब उनकी निगाहें इस तरह के प्रदर्शन को जारी रखकर अपनी रैंकिंग को सुधारने पर लगी है ताकि तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकें।

उन्होंने कहा कि ओलंपिक में खेलना मेरा सपना है। मुझे इस साल कई टूर्नामेंट खेलने हैं और उम्मीद करता हूं इस तरह का प्रदर्शन जारी रख सकूंगा। नए मुख्य कोच देजान पेपिच के बारे में उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी वह हमारे साथ थे तो उनके आने से खिलाड़ियों को काफी सहायता मिलेगी। यूटीटी में वह पहले दो सत्र में जूनियर खिलाड़ी के तौर पर खेले थे और अपनी यू मुम्बा टीम को खिताब दिलाने की उम्मीद लगाए हुए हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 249, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।